खण्ड-368, अंक-5
शुक्रवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(14 सितम्बर, 1984 ई0)

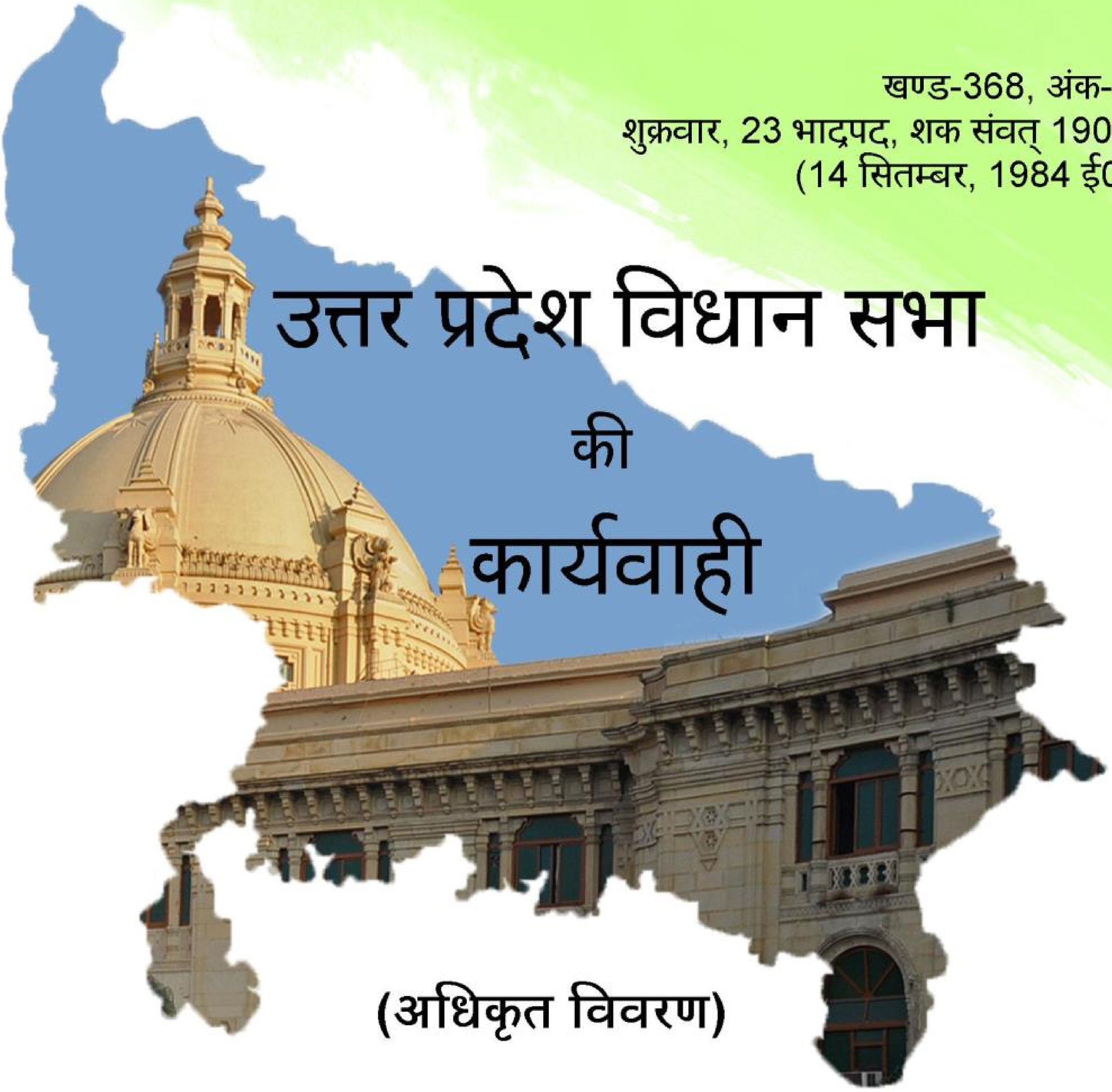

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3- 88
श्री उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन	88-96
सदन स्थगित किये जाने का प्रस्ताव	96-116

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 14 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खुर्शीद अहमद, श्री — बहराइच
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
छेदा लाल, श्री चौधरी — खीरी
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
तेजबहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्र पाल सिंह रावत, श्री — एटा
पारवती देवी, श्रीमती — बराबंकी
बैजनाथ कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भीम सिंह सोना, श्री — मेरठ
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर

नोट--निम्नलिखित मन्त्रियों के अतिरिक्त शेष मन्त्री सदन में उपस्थित थे : शिक्षा मन्त्री, श्री वीर सेन, ग्राम्य एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री, श्री अरुण कुमार वित्त एवं ऊर्जा राज्य मन्त्री, श्री राज पाल त्यागी, आवास राज्य मन्त्री, श्री रामसजीवन सिंह तथा कृषि एवं राजस्व उपमन्त्री कुमारी सरस्वती अम्माल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1984 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों पर लगाया गया कथित बिक्री कर

**1--श्री जयवीर सिंह बरार--
(अनुपस्थित)

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों पर बिक्रीकर लिया जाता है जबकि सारे देश के किसी भी अन्य प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों पर बिक्री कर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इस बिक्री कर को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी नहीं, पाठ्य पुस्तकों पर कोई बिक्री कर नहीं है । अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

रेणूकोट में ताप विद्युत् गृह की स्थापना हेतु हिण्डालको के साथ विचार-विमर्श

*2--श्री मोहन सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेणूकोट के निजी क्षेत्र में 500 मेगावाट के ताप विद्युत उत्पादन का कोई समझौता हिन्डालको के साथ किया है और इसी तरह का किसी निजी संस्थान से कोई समझौता गैस के ऊपर आधारित है तथा औरैया जिला इटावा में भी विद्युत केन्द्र खोलने का समझौता हुआ है ? यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और यह विद्युत इकाइयां कब तक बनकर तैयार हो जायेंगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस विषय में अभी बातचीत हो रही है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा बार-बार आग्रह रहता है कि जो घोषणायें सदन में होती हैं, उसमें प्रतिबद्धता सरकार की रहती है । सदन से बाहर घोषणा हुई है कि सरकार का समझौता हो गया है और निजी क्षेत्र में 500 मेगावाट गैस की क्षमता का एक विद्युत सयंत्र स्थापित करने के लिए हिन्डालको को लाइसेन्स देने हेतु प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है । जैसा कि मैंने पढ़ा है । माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बात-चीत किससे चल रही है । केन्द्र सरकार से चल रही है उन्हें अनुमति देने के लिए या फिर किसी निजी संस्थान के साथ हुए समझौते की शर्तों में मतभेद के ऊपर बात-चीत चल रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं । मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं इस आदरणीय सदन में । हमने 1981 में निर्णय लिया था कि निजी क्षेत्रों में कोयले के ऊपर आधारित तापीय विद्युत गृह विद्युत उत्पादन के लिए देंगे किसी कारपारेशन आदि को नहीं देंगे । इस सम्बन्ध में बात-चीत चल रही है । शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं, ज्योंही शर्तें तय हो जायेंगी, तो मंत्रिमण्डल उस पर विचार करेगा, तत्पश्चात अपनी सिफारिशें देगा । इटावा डिस्ट्रिक्ट के औरैया में पाइप आता है, वहां गैसों पर आधारित 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन गृह या तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लगायेगा और या फिर यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 लगायेगा, जिसके पास संसाधन होगा, वह लगायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कोयले पर आधारित, जो तापीय विद्युत केन्द्र आप स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें बात-चीत हिन्डालको से हो रही है ? यदि हां, तो वह बात-चीत किस स्टेज पर है ? कितने सौ

मेगावाट का विद्युत गृह बनाने का सुझाव आपकी ओर से है ? उनकी ओर से जो शर्तें हैं, उन्हें सरकार को मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, बात-चीत लगभग अन्तिम चरण में चल रही है। हमारी जो पिकअप एजेन्सी है, उसको हमने यह काम सौंपा था कि इसे कहां पर लगाया जाय ? विद्युत परिषद मिर्जापुर में लगाने का इच्छुक नहीं है, यह ऐसी जगह लगाना चाहते हैं, जहां उनको कोयला सहूलियत से मिल जाय। वैसे भी मान्यवर, 2-3 महीने में इसका फैसला हो जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हिन्डालको का मामला अन्तिम चरण में है। क्या 1981 के बाद हिन्डालको की तरह कोई अन्य प्राइवेट फर्म ने भी अपने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, यदि हां, तो किस स्टेज पर वे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, हमने कोशिश की, किन्तु किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

पाइप लाइन के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पाइप लाइन कहां मिलेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, वर्तमान मुख्य मंत्री जी जब केन्द्र में उद्योग मंत्री थे तो उनके सहयोग से इस प्रदेश में 4 फरटिलाइजर के कारखाने खोलना तय हुआ है। बम्बे हाई से जो गैस पाइप आती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के औरैया वाला स्थान उचित है। यहां पर गैस उपलब्ध हो जायेगी जिससे हम जनरेशन कर सकेंगे। इसे या तो एन0 टी0 पी0 सी0 लगायेगी और या फिर हम लगायेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह--

वर्कस एण्ड रेफरेन्स के नाम पर विद्युत् परिषद् के समक्ष क्या सवाल रखा गया है ? एक मुद्दा तो यह रखा गया है कि जितनी बिजली का उत्पादन होगा, वह सारी बिजली बोर्ड अपने स्तेमाल में रखेगा या वह प्राइवेट यूनि। दूसरे वह तापीय विद्युत घर कहां लगायेंगे और किन-किन शर्तों के साथ लगायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहां पर थर्मल पावर स्टेशन है अगर वहां पर लगाया गया तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए अभी इस सम्बन्ध में विचार चल रहा है, दूसरे हम उन्हें केवल उत्पादन का काम दे सकते हैं ट्रांस-मीटर का काम नहीं देंगे।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसी उद्योग-पति या संस्थान या पब्लिक यूनियन कम्पनी या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को आशय-पत्र इस बात का मिला कि बिजली उद्योग उत्तर प्रदेश में लगायें, यदि हां, तो किस स्थान के लिए ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, अभी आशय-पत्र का कोई सवाल नहीं उठता है जब सारी चीजें तय हो जायेंगी तो उसकी स्वीकृति मंत्रि-परिषद् जब दे देगा तो फिर इसकी स्वीकृति केन्द्र से ली जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह --

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बिजली उत्पादन होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन की शर्तें क्या होंगी और उस बिजली का रेट क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

अभी रेट का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पंचानन राय--

निजी क्षेत्र में जो विद्युत पैदा करने के लिए समझौता किया जा रहा है क्या कोई ऐसा प्रतिबन्ध भी रखा जायेगा कि बिजली की एक निश्चित मात्रा सरकार को मिलनी आवश्यक है और इतनी-इतनी निजी क्षेत्र को ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पूरी बिजली विद्युत परिषद को देनी पड़ेगी, सरकार को नहीं ।

श्री किरनपाल सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तापीय विद्युत उत्पादन की जो योजना है उसके उत्पादन का कितना अंश प्राइवेट सेक्टर को दिया जायगा और कितना अंश विद्युत परिषद अपने इस्तेमाल में रखेगा और जो प्राइवेट सेक्टर को बिजली दी जायेगी, वह किस रेट पर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब आ चुका है कि सारी बिजली विद्युत परिषद लेगी और रेट का अभी प्रश्न नहीं उठता । रेट बाद में तय होंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त--

एक अंश का जवाब मैं दिये देता हूं कि जल विद्युत और तापीय विद्युत दोनों को हम लगायेंगे, लेकिन साधनों की कमी की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर विचार हो रहा है और समस्त बिजली का वितरण विद्युत् परिषद द्वारा ही होगा ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्राईवेट सेक्टर में जो बिजली पैदा होगी उसके बदले में अपने उद्योगों के लिए कोई शर्त ऐसी रखी गयी है कि वह बिजली के बदले बिजली लेंगे, यदि ऐसा नहीं है, कीमत अदा करेंगे तो उस बिजली को उनको किस दर पर दी जायेगी और क्या इस बात की भी घोषणा की गयी है कोई भी सेक्टर इस काम के लिए आए ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अपने उद्योगों के लिए बिजली देने की कोई शर्त नहीं है और रेट के बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

आयुक्त बिक्री कर कार्यालय की आडिट रिपोर्ट

*1--श्री यदुनाथ सिंह

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय का विभागीय आडिट पार्टी ने वर्ष 80-81 व 81-82 में आडिट किया था और अपनी आडिट रिपोर्टों में कुछ बातों पर एतराज किया था ? यदि हां, तो वह एतराज किस किस्म के हैं और किन पर लगाये गये हैं और क्या एतराज दूर कर दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उनको विधायक यदुनाथ सिंह का पत्र संख्या 765, दिनांक 12-12-1983 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त

जी हां ।

एतराज मुख्यतः अनियमित व्यय करने और स्टाक का सही लेखा न रखने से सम्बन्धित थे ।

लेखा, स्टोर तथा नजारत सम्बन्धी कार्य पर लगाये गये कुल 14 एतराज थे । प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार 8 आपत्तियां तय मान ली गई हैं, 8 मामलों में भविष्य में निर्धारित प्रक्रिया

का पालन करने के निर्देश देते हुये उन्हें तय मान लिया गया है। एक मामले में आपत्ति को आंशिक रूप से तय मान लिया गया है और शेष भाग के अनुपालन की कार्यवाही चल रही है। शेष 2 मामलों में अनुपालन की कार्यवाही हो रही है।

जी हां।

दिनांक 30-4-1984 के पत्र द्वारा माननीय विधायक को अन्तरिम उत्तर भेजा जा चुका है।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि लेखा स्टोर तथा नजारत सम्बन्धी कार्य पर लगाये गये कुल 14 एतराज थे। तो, वह कौन-कौन एतराज हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इनका सारांश बता दें, इतना समय नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इन एतराज का संक्षिप्त विवरण ही है। एक एतराज है कि बिना रेट कान्ट्रेक्ट के 2 सोफा दो आराम कुर्सी तथा लाइब्रेरियन के लिये 6 लकड़ी की आलमारी का क्रय किया जाना। निहित राजस्व 5680.00 इसमें जो किया गया अनुपालन है, वह भी बता दूं। उक्त वस्तुओं का रेट कांट्रेक्ट उपलब्ध नहीं थी। वस्तुएं कोटेशन के आधार पर कार्यालयध्यक्ष की स्वीकृति से तय की गयी थी जो नियमित था। अतः आपत्तियां तय मान ली गयी हैं। दूसरा एतराज है, एडवोकेट आन रिकर्ड्स उच्चतम न्यायालय अथवा डिप्टी रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय को बैंक ड्राफ्टों से न्यायालय कार्य हेतु 47500.00 का भुगतान किया गया था जिनकी प्राप्ति रसीदें उपलब्ध नहीं थी। किया गया अनुपालन-भुगतान उच्चतम न्यायालय कार्य के लिये बैंक ड्राफ्ट से किया गया था जिसके लिये ड्राफ्ट प्राप्त करने की रसीदें भेजने के लिये कार्यवाही की गयी और आपत्ति को इस निर्देश के साथ तय मान लिया गया कि उपायुक्त (प्रशासन) अपने स्तर से रसीदें मंगाकर सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। तीसरा एतराज है—आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय की लाइब्रेरी के लिये क्रय किये अखबारों की रद्दी बेचने का विवरण उपलब्ध नहीं था। किया गया अनुपालन-कोटेशन के आधार पर दिनांक 26-11-1981 को 122.98 में रद्दी का विक्रय करके धनराशि दिनांक 30-11-1981 को कोषागार में जमा कर दी गई है। अतः आपत्ति तय मान ली गयी है।

श्री अध्यक्ष--

14 एतराज हैं, इसमें बहुत समय लग जायेगा। माननीय सदस्य कोई दूसरा प्रश्न करें।

श्री यदुनाथ सिंह

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि शेष दो मामलों में अनुपालन की कार्यवाही हो रही है तो, आखिर वह दो मामले क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, एक है--विद्युत् विभाग ने बिजली के बिलों में विद्युत् कर को भी सम्मलित कर लिया था। जब कि राजकीय कार्यालयों को विद्युत् कर का भुगतान नहीं करना होता है। इस प्रकार विद्युत् कर के रूप में 323.88 पै0 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। इसमें जो स्थिति है--भुगतान किये गये विद्युत् कर की वापसी के लिये विद्युत् विभाग को लिखा गया है परन्तु अभी तक विद्युत् कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि वापस प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद है-आडिट के समय स्टाक का मौका है--आडिट कराया गया था जिसमें स्टाक की वस्तुओं की कमी अथवा अधिकता पायी गयी थी। इसमें जो स्थिति है--समस्त स्टाक की वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पुनः

कराया गया है रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इसके बाद है--खस की टट्टी अगले वर्ष मरम्मत करके प्रयोग की जानी चाहिये थी ? जो नहीं की गई। वर्ष 1980-81 में 79-80 की तुलना में अधिक खस की टट्टी लगी। आडिट के अनुसार इसमें 16,168.70 पै0 का अपव्यय हुआ। इसमें जो स्थिति है--जांच की जा रही है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

*2--श्री मुहम्मद आजम खां--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितताओं, जाति-वाद, प्रबन्ध समिति के निरंकुशता के सम्बन्ध में जांच तथा कृत कार्यवाही

*3--श्री तपेश्वर (अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 129 व 137 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच पूरी करने में अप्रत्याशित विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं, जांच आख्या कब तक प्राप्त होने की आशा है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद)--

कोई दोषी नहीं है।

जांच आख्या प्राप्त हो गयी है।

प्रश्न नहीं होता।

आजमगढ़ जिले के ग्राम चकिया, अमिलों एवं रसूलपुर को विद्युत आपूर्ति

*4--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के बुनकर बाहुल्य ग्राम चकिया, अमिलों, रसूलपुर आदि ग्रामों में, जहां पावरलूम पर बनारसी साड़ियां तैयार की जाती हैं, कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या सरकार इन ग्रामों को औद्योगिक क्षेत्र मानकर अट्ठारह घंटे प्रतिदिन आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चकिया, अमिलों, रसूलपुर आदि ग्रामों की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार 7 घंटे प्रतिदिन(औसत) की जाती है। वर्तमान विद्युत उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटा प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करना सम्भव नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति विद्युत भार उसके प्रकार एवं आपूर्ति व्यवस्था के आधार पर की जाती है अतः फिलहाल इस क्षेत्र को उपरोक्त से अधिक विद्युत आवंटित करना सम्भव नहीं है।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह जानना चाहा था कि ये गांव चकिया, अमिलों रसूलपुर, मुबारकपुर कस्बे से लगे हुए गांव हैं, क्या माननीय मन्त्री जी उन गांवों को भी, जो कस्बे के बराबर के गांव हैं, जहां पर बुनकर काम में लगे हुए हैं, वहां पर भी 18 घन्टे बिजली देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जहां पर 6 ट्रांसमीशन लाइनों पर 250 पावरलूम्स काम कर रहे हों, वहां

पर ऐसा करते हैं। यहां की स्थिति की जांच कराऊंगा। जो सम्भव होगा करूंगा।

श्री दूधनाथ राजभर—

मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस ग्राम में 250 से ऊपर करघे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त—

जहां पर 250 करघे हो जायेंगे, 2-4 कम भी हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, वहां पर दे देंगे।

[शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में स्थायी एवं अस्थायी तहसीलदार

*1—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदारों के कितने पद हैं और इनमें से कितने पदों पर अस्थायी तहसीलदार कार्य कर रहे हैं? क्या यह सही है कि तहसीलदारों का चयन 1966 के बाद नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप तहसीलदारों से प्रोन्नत होकर पी0 सी0 एस0 कैडर में चयन भी नहीं हो पा रहा है? कृपया यह भी बतायेंगे कि पी0 सी0 एस0 कैडर में कितने ऐसे स्थान रिक्त हैं जिन पर तहसीलदारों की प्रोन्नति होनी है और क्या तहसीलदारों का चयन न होने के कारण नायब तहसीलदारों और सुपरवाइजर कानूनगो की प्रोन्नतियां भी रुकी हुई हैं और इस प्रकार कितने नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)—

प्रदेश में तहसीलदार संवर्ग के 304 स्थायी तथा 23 अस्थायी पदों को मिलाकर कुल 327 पद हैं। सभी 327 पद हैं। सभी 327 पदों पर अस्थायी/स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे हैं।

जी नहीं, वर्ष 1966 में हुये चयन के बाद वर्ष 1979-80 में तथा 1983-84 में नियमित चयन सम्पन्न हुआ है।

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के संवर्ग में पिछली बार तहसीलदार संवर्ग से प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत नियमानुसार आरक्षित स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध चयन वर्ष 1979 में हुआ था और चयनित अधिकारियों की नियुक्ति जुलाई 1979 में कर दी गई थी। इसके पश्चात् प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत आरक्षित 251 स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध नियमित चयन इसलिये सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि इस हेतु पात्र स्थायी तहसीलदार उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान समय में 251 स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध 223 स्थानापन्न तहसीलदार तदर्थ रूप से डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्यरत हैं तथा 28 पद रिक्त हैं एवं सम्भावित रिक्तियों को देखते हुये 50 और तहसीलदारों को प्रोन्नति देने हेतु शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा राजस्व परिषद् के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

चयन न होने के कारण नायब तहसीलदार और सुपरवाइजर कानूनगो की पदोन्नतियां नहीं रुकी हुयी हैं क्योंकि तहसीलदारों को पी0 सी0 एस0 कैडर में तदर्थ रूप से प्रोन्नतियां दी जा रही हैं और इसी प्रकार तहसीलदार संवर्ग के पदों पर नायब तहसीलदार, पेशकार एवं सदर कानूनगो संवर्गों से पदोन्नतियां दी जा रही हैं नायब तहसीलदार संवर्ग में प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 से 1983-84 तक कुल 378 रिक्तियां स्पष्ट हुई थीं जो तहसीलदारों के अवशेष नियमित चयन के फलस्वरूप घट बढ़ सकती हैं। नायब तहसीलदार संवर्ग में वर्ष 1967-68 से 1972-73 तक की अवधि में घटित 41 स्थायी

रिक्तियों हेतु नियमित चयन सम्पन्न कराने के लिए अधियाचन अगस्त, 1984 में लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है । शेष रिक्तियों का अधियाचन भेजने से पूर्व अर्ह संग्रह अमीनों की प्रान्तीय कोटिक्रम सूची प्रकाशन हेतु तयार की जा रही है ताकि सुपरवाइजर कानूनगोयान के साथ आरक्षित प्रोन्नति कोटे के संग्रह अमीनों को नियमानुसार पात्रता सूची में सम्मिलित करके चयन किया जा सके । नियमित चयन की कार्यवाही के साथ-साथ नायब तहसीलदार के संवर्ग के पदों पर सुपरवाइजर कानूनगों संवर्ग से 14 अभ्यर्थियों की तदर्थ पदोन्नतियां 30 जून, 1981 को की गयी हैं । नायब तहसीलदार के 215 पदों पर सुपरवाइजर कानूनगो एवं संग्रह अमीनों को तदर्थ रूप से प्रोन्नति करने का प्रस्ताव है ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, आप जरा ध्यान दें राजस्व विभाग की दुर्दशा पर कि इनका पूरा विभाग अस्थायी है । इसमें 327 तहसीलदारों के पद हैं जिसमें एक भी स्थायी नहीं हैं, सब अस्थायी हैं । इन तहसीलदारों को प्रोन्नति हो कर ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं । उसमें 251 पद रिक्त हैं और उसमें 223 अस्थायी डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्यरत हैं क्योंकि स्थायी तहसीलदार उपलब्ध नहीं हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 300 तहसीलदारों के पद कब से अस्थायी हैं, उनको स्थायी करने में जो विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह अन्तिम बार कब की गयी थी ?

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, जो प्रश्न भीखा लाल जी ने उठाया है कि राजस्व विभाग अस्थायी चल रहा है तो मैं इस संबंध में उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है और धीरे-धीरे जैसे कार्यवाही सम्पन्न होगी, यह पद स्थायी होते जायेंगे, लेकिन जो अस्थायी हैं उनकी उन पदों पर काम चलाने के लिये स्थानापन्न नियुक्तियां की जाती हैं ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में राजस्व परिषद् सफेद हाथी के समान हैं । उसको अबालिश करने के लिये राजस्व संहिता ने सिफारिश की है लेकिन अपने अधिकारियों के दबाव में आकर इन्होंने उसे अबालिश नहीं किया है । यह जो 327 पदों पर अस्थायी/स्थानापन्न तहसीलदार कार्य कर रहे हैं, उनको स्थायी करने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? इसमें विभाग द्वारा एग्जामिनेशन होता है, साक्षात्कार होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो यह सब कार्यवाही अन्तिम बार कब हुई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, स्थायीकरण की कार्यवाही से माननीय सदस्य अवगत हैं, यह कार्यवाही बीच में है क्योंकि इससे बीच में कुछ मामले हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में चले गये थे जिसके कारण स्टे हो गया था और इसके कारण से विलम्ब हुआ है । अब कोई विलम्ब का कारण नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अब इस पर कार्यवाही जल्दी होगी और माननीय सदस्य की जो शिकायत है, यह दूर हो जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री जी से एक आश्वासन और चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी का सारा विभाग टेम्प्रेरी है, तो क्या बोर्ड आफ रेवेन्यू की इज्जत बचाने के लिये हमारे ये दोनों मंत्रीगणों ने अपने को भी एडहाक में तो नहीं शामिल कर लिया है ? मंत्री जी मुझे इस बात का आश्वासन दे दें ।

दूसरे में यह जानना चाहता हूं कि आपके सामने यह प्रश्न है कि स्थान तो रिक्त होते चले जा रहे हैं और कोटा पूरा करने के संम्बन्ध में आपको स्टेण्डर्ड लोग, यानी कि पात्र व्यक्ति मिल नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से आज तक वह जगहें खाली पड़ी हुई हैं। कृपा करके आप माननीय मंत्री मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस दौरान में जो रिजर्व कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में स्टेन्डर्ड व्यक्ति या पात्र व्यक्ति ढूढ़ने के लिये बोर्ड आफ रेवन्यू ने या शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की ? जो स्टे की बात अभी माननीय मन्त्री जी कही है यह बात मन्त्री जी के मूल उत्तर में नहीं है। तो मंत्री जी कृपा करके जो केस कोर्ट में गये हैं उनके मुद्दई का नाम आप बताने की कृपा करेंगे कि वह केस कब से स्टे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिस रिट का मैंने हवाला दिया है वह खारिज हो गयी है। चयन के अनुसार हमने नियुक्तियां की हैं समय-समय पर और हमने लोक सेवा आयोग को अभियाचना भेजी है। अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है वह स्वतः स्पष्ट है। एडहाक नियुक्तियां होती रहती हैं और उनके स्थायीकरण की कार्यवाही चलती रहती है। माननीय सदस्य को इस मामले में चिन्ता नहीं होनी चाहिये, हमें स्वयं इसकी चिन्ता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, गत वर्ष में मैंने भी इसी माननीय सदन में इसी प्रकार का एक प्रश्न रखा था, उसका जबाब भी मटोल डोल वाला आया था, जो आश्वासन दिया गया था वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। परगनाधिकारी या एस० डी० ओ० के कतने पद ऐसे हैं जो तहसीलदारों के आरक्षित कोटे से भरे जाने भरा गया ? मेरी निजी जानकारी है कि ऐसे 70 पद खाली हैं तो उनको न भरे जाने का क्या कारण है ? पिछले साल न जाने कितने तहसीलदार नायब तहसीलदार बना दिये गये और न जाने कितने नायब तहसीलदार को तहसीलदार बना दिया गया। ऐसे कितने मामले अदालत में गये जिसमें अदालत का फैसला शासन और राजस्व परिषद् के खिलाफ हुआ है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न का सम्बन्ध नायब तहसीलदार और तहसीलदार से है, चकबन्दी अधिकारी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलवादें। सवाल दीगर और जवाब दीगर। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, अब मैंने माननीय ऊदल को बुला लिया है, आप उनका समय न लें।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और यदि नहीं है तो क्या इसकी वे जांच करायेंगे कि सेवायें नायब तहसीलदारों की और तहसीलदारों की 25 वर्ष से अब तक अस्थायी तरीके से काम करने वालों द्वारा भरी गयी थीं उनमें से बहुत से लोग अस्थायी रूप में ही रिटायर्ड हो गये ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और इनके स्थायीकरण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि कुछ नायब तहसीलदार और तह-

सीलदार ऐसे हैं जो अस्थायी चल रहे हैं और उनमें से कुछ अस्थायी रूप में ही रिटायर्ड हो गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अगर पूरी सेवा करने के बाद रिटायर्ड होने पर उन्हें रिटायरमेन्ट के समय नियमानुसार स्थायी कर दिया जाता है तो उन्हें सभी सुविधायें जो मिलनी चाहिये, उनको मिलती हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी को नहीं सुना पा रहा हूं। मैंने स्पष्ट रूप से दो सवाल किये थे, मेरी जानकारी है कि एस0 डी0 एम0 के 70 पद रिक्त हैं जो तहसीलदारों के प्रोन्नति के कोटे से भरे जाने हैं। उनके भरे न जाने का क्या कारण है। दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बीच कितने तहसीलदार न्यायालय में गये और कितने फैसले राजस्व परिषद् के खिलाफ हुए ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है, परगनाधिकारी के 28 पद रिक्त हैं। उन पदों को भरने के लिए 50 पदों का चयन कराने के लिए राजस्व विभाग और नियुक्ति विभाग को कहा गया है। वह कार्यवाही चल रही है और उनका चयन जल्दी ही हो जायेगा।

श्री भीखा लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी उत्तर में कहा गया है कि नायब तहसीलदार संवर्ग में 1967-68 से 1972-73 की अवधि तक 11 स्थायी रिक्तियों पर नियमित चयन कराने हेतु सन् 1984 में लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी। तो 1968 से 1973 के बीच में यह रिक्तियां हुई और अब 1984 में लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। यह कार्यवाही मेरे प्रश्न करने के बाद की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें इतना विलम्ब क्यों किया गया, विलम्ब से कार्यवाही करने का कौन जिम्मेदार है, क्या उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह कहना कि जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तब कार्यवाही हुई, यह गलत है। उनकी यह बात सही नहीं है। पहले से ही यह प्रोसेस में था। इसमें आपको भी श्रेय मिला है, लेकिन विभाग ने अपनी ओर से अभियाचना लोक सेवा आयोग को पहले ही भेज दी थी।

*2--श्री सरदार सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

बाराबंकी जिले की श्रीमती जहां आरा जाफरी बेगम एवं श्रीमती किश्वर आरा सद्दीका बेगम का मालिकाना भत्ता

*3--श्री फखरे आलम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जहांआरा बेगम तथा अन्य दो निवासी बाराबंकी का मालिकाना भत्ता भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र शासन में सन् 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और अब तक उन्हें मालिकाना भत्ता भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि राजस्व परिषद् से इस मामले में कतिपय सूचना वर्ष 1980 से मांगी जा रही है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो शासन को सूचना न उपलब्ध कराने के लिए जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हफिज मोहम्मद सिद्दीकी--

श्रीमती जहांआरा जाफरी बेगम तथा किश्वर आरा सद्दीका बेगम का मालि

काना भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र माह अगस्त 1983 में शासन को प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर राजस्व परिषद् से सितम्बर 1983 में आख्या मांगी गयी थी। परिषद् से प्राप्त अन्तिम आख्या दिनांक 11-9-84 के अनुसार प्रश्नगत मामले में मालिकाना भत्ते का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर जो उन्हीं के कहने के मुताबिक 13 महीने में आ पाया है। जो आपने आख्या मांगी है अगस्त 1984 में और उसका जवाब सितम्बर, 1984 में मिला, 9 महीने में तो पूरा बच्चा तैयार हो जाता है और 13 महीने में उत्तर आया है। इसके साथ ही साथ जो सवाल किया था उसका प्रश्न नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा नियम है जिसमें आप यह कहते हैं कि नियमानुसार मालिकाना भत्ता देना संभव नहीं है। वह आख्या किसकी है क्या उस रिपोर्ट को सदन में पढ़कर सुनायेंगे। दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि यह मामला कितने दिनों से चल रहा है और कहां-कहां चलता रहा और इतने दिन तक क्यों रुका रहा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, प्रार्थना-पत्र अगस्त 1983 को मिला उन प्रार्थना-पत्रों को राजस्व परिषद को आख्या के लिए भेज दिया गया राजस्व परिषद् ने जो आख्या भेजी है वह 11-9-1984 को भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष कार्याधिकारी की आख्या को देखते हुए प्रश्नगत मामले का मालिकाना भत्ता का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है। फिर भी प्रश्नगत मामले में परिषद् की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय विभाग की राय प्राप्त करके आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री फखरे आलम--

यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने मंत्री जी को यह लिखकर भेज दिया कि नियमानुसार मालिकाना भत्ता नहीं दिया जा सकता। मेरा सवाल यह है कि वह कौन सा नियम है जिसमें यह लिखा है कि मालिकाना भत्ता नहीं दिया जा सकता। या तो यह कह दिया जाता कि मालिकाना भत्ता नहीं दिया जायेगा। नियम तो है। मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने उस नियम को देखने की कोशिश की है ? यदि हां, तो बता दें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिस गांव के लोगों ने मालिकाना भत्ता मांगा है उसके खेवट में उनका नाम अंकित नहीं है। यदि माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं इसको दिखवा लूंगा और पूरी तरह से मालूम करके मैं, उनको स्थिति से अवगत करा दूंगा।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, कोई जवाब नहीं आया। इसे आप पोस्टपोन कर दें। उनका नाम खेवट में नहीं है, यह आपने कहीं अपने जवाब में नहीं लिखा है। जब मैंने प्रश्न किया तो उसके जवाब में यही उत्तर आना चाहिये था। इस तरह से आप सरकम्वेन्ट करना चाहते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इसे आप पोस्टपोन कर दें और खेवट देखकर बतायें कि उसमें है या नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

पोस्टपोन करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य एक लायर हैं। उन्हें जमींदारी एबोलिशन कानून का पूरा-पूरा ज्ञान है। उसमें क्या प्राविधान है, इसकी भी जानकारी उन्हें है। अगर माननीय सदस्य प्रश्न न करते तो पूरी

तरह से छानबीन करके इस मामले में हम लोग निर्णय करने वाले थे लेकिन जब प्रश्न कर दिया तो जल्दी-जल्दी में जवाब देने के लिए हमको हाउस में प्रस्तुत होना पड़ा ।

सहकारी समितियां एवं पंचायतें, मुख्य लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक

.4--श्री ऊदल--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां एवं पंचायतें, मुख्य लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ लेखा परीक्षा के 351 पदों पर चयन हेतु पात्रता सूची शासन के पत्र संख्या आडिट 192/दस-34/4/69, दिनांक 1-7-82 के आधार पर यह व्यवस्था की गयी जो 8 मार्च, 73 के शासनादेश का हवाला देकर किया जाना है जबकि इसका संशोधन 20 मार्च, 74 में हो गया था कि पात्रता सूची को निरस्त किया जाय और शासनादेश के मुताबिक भेजा जाय ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों के कोटे के मुताबिक अलग से पात्रता सूची नहीं भेजी गयी और सन् 73 के ही शासनादेश के मुताबिक उक्त विभाग के आदेश संख्या सी/53/पदोन्नति अ-2, दिनांक 13-1-84 के द्वारा 324 लेखा परीक्षकों को ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पद पर पदोन्नति कर दी गयी है जिसमें नं0 322 व 323 दो को आरक्षण की सुविधा दी गयी जबकि 58 अनुसूचित जाति के लेखा परीक्षकों को करनी चाहिए ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 351 पदों पर चयन हेतु पात्रता सूची के सम्बन्ध में दिनांक 1-7-82 को कोई शासनादेश नहीं जारी किया गया । वास्तव में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 680 पदों पर नवम्बर, 1983 में नियमित चयन किया गया । अनुसूचित जाति के लिये 122 तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 13 पद आरक्षित थे ।

शासनादेश दिनांक 20-3-74 के अनुसार सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग से पात्रता सूची बनाई गई । अनुसूचित जाति के केवल 61 पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे जिनमें से 58 का चयन किया गया । अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी पात्रता सूची में नहीं था । शेष अनुसूचित जाति के 64 तथा अनुसूचित जनजाति के 13 अर्थात् 77 पद आगामी चयन के लिये अग्रेनीत कर दिये गये हैं । प्रश्नगत पत्र दिनांक 13-1-84 नियुक्ति पत्र है जिसमें केवल 323 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई थी न कि 324 की । उसमें मूल क्रमांक 322 तक ही है । क्रमांक 17 को दो बार लिखने से कुल 323 अभ्यर्थियों की संख्या आती है । उसमें से क्रमांक 17(क), 96, 132, 133, 241, 321, तथा 322 पर उल्लिखित लेखा परीक्षक अनुसूचित जाति के हैं । उक्त 324 पदों पर अलग से कोई चयन नहीं किया गया है ।

नियमानुसार चूंकि और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सम्पूर्ण पात्रता क्षेत्र में नहीं आते थे अतः उनका चयन नहीं किया गया है । अतएव जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ऊदल--

जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के शुरू में बताया है कि 1-7-82 को कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया । मैंने जिस पत्र का हवाला दिया है पत्र संख्या आडिट--192/10-34/4/69, दिनांक 1-7-82 इस तरह का कोई पत्र जारी हुआ था या नहीं अगर हुआ था तो कृपया उसे बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य का आशय 13-1-84 के पत्र से है तो यह तो नियुक्ति पत्र था और जो माननीय सदस्य का आशय है वह सही है उनका कहना था कि 58 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिये सब मिला कर 58 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये थी वह हो गयी है ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी का कहना है कि यह शासनादेश 20-3-74 के मुताबिक किया गया । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके मुताबिक न करके जो सन् 83 में बना था उसके मुताबिक चयन किया । मेरी जानकारी को सत्य मानकर क्या इसकी जांच करायेंगे? जिसे आप नियुक्ति पत्र कहते हैं वह 20-3-74 के मुताबिक नहीं हुई ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो माननीय सदस्य की मंशा थी उन्होंने 58 की संख्या बतायी थी, वह तभी सम्भव थी जब नियमितरूप से होता । चूंकि माननीय सदस्य का सुझाव पूरा हो गया है और जो उनकी शंका थी उसका निवारण हो गया है । उनका कहना था कि 58 अनुसूचित जाति के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिये वह हो गयी है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, यह स्पष्ट शासनादेश है कि प्रमोशन में भी रिजरवेशन की व्यवस्था है तो उस शासनादेश का पालन नहीं किया गया और जब यह प्रश्न हुआ तब यह किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य प्रश्न होने के पहले किया गया या प्रश्न होने के बाद हुआ ?

दूसरा प्रश्न यह कि इस शासनादेश के बाद में भी विगत दिनों में भी यह प्रश्न आया कि कारपोरेशन्स में उनकी भर्ती नहीं हो रही है, वहां पर भर्ती के लिए आरक्षण नहीं किया जा रहा है । तो क्या जिन अधिकारियों ने इन आदेशों की अवहेलना की है उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य की आशंका निर्मूल है क्योंकि यह जनवरी फरवरी, 84 में हुआ और उसके बाद सदन में यह आया है क्योंकि पहले तो प्रश्न सदन में आ नहीं सकता था ।

*5--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

*6--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में दिनांक 1-2-83 को प्रस्तुत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विधेयक पर मा० सदन की स्वीकृति कराकर उसको अन्तिम रूप देने में सरकार द्वारा विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

जी हां । उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर दो वर्ष चार माह तक विचार करने के बाद प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित व्यापक, महत्वपूर्ण एवं दूरगामी संशोधनों में से कतिपय ऐसे भी हैं जिनमें राजस्व प्रशासन की वर्तमान नीति एवं ढांचे में आमूल परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त हैं और उनके सम्बन्ध में शासन का दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए समस्त पहलुओं पर गहराई से विचार किया जा रहा है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, प्रश्नगत राजस्व संहिता में प्रदेश की पूरी जनता का हित इन्वल्व है। इसलिए मैं विशेषरूप से आपका संरक्षण चाहता हूं। इसमें लगभग दो दर्जन अधिनियम और नियमावली सम्मिलित करके ही यह संहिता सदन में प्रस्तुत की गयी। उसके बाद प्रवर समिति में लगभग ढाई वर्ष तक इसका परीक्षण और विचार किया और उसके पश्चात् यह मामला 1-2-83 को सदन में प्रस्तुत हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रवर समिति में विचार किया तो उस समय शासन के अधिकारियों को क्या उसमें शामिल नहीं किया गया, जो कठिनाइयों को सामने रखते। आज पुनः जो उत्तर आया है उसमें लिखा है कि राजस्व प्रशासन की वर्तमान नीति और ढांचे में आमूल परिवर्तन अन्तर्गस्त है और उसमें शासन का दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए समस्त पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, प्रवर समिति ने 2 वर्ष 4 महीने तक बड़े परिश्रम से अच्छी तरह संहिता तैयार किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे संशोधन हैं जो सरकार की नीति से सम्बन्ध रखते हैं, उन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और वह इस समय प्रोसेस में है, कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया है, हम विलम्ब नहीं करना चाहते हैं तेजी से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि माननीय सदस्यों की जो भावना है उसको आदर मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में प्रवर समिति बनी थी।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मेरा ध्यान दिलाया। मान्यवर, ठीक है कि राजस्व मंत्री उसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाते कह दिया था कि मैं समिति के काम को रिगुलेट करता हूं लेकिन बाकी मसले जब शासन के समक्ष जायेंगे तो उस समय शासन जिन चीजों को ठीक समझेगा वह करेगा। मैं समिति के साथ बंधा हुआ नहीं हूं और शासन नीति सम्बन्धी जो बातें होंगी उनको सामने रखकर आगे कार्य करेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि नीति निर्धारण करना और उसके अनुरूप कानून बनाना विधायिका का काम है और इस सदन ने एक प्रवर समिति बनायी, दोनों सदनों की, जिसमें नीति निर्धारण के लिए जो जनता की भावनायें हैं उसको प्रकट किया ?

श्री अध्यक्ष--

दोनों सदनों की यह प्रवर समिति नहीं थी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इस सदन के प्रतिनिधियों ने एक रिपोर्ट दिया, तो क्या कारण है कि मंत्री जी जन प्रतिनिधियों की नीति निर्धारण सम्बन्धी रिपोर्ट को अपने निहित स्वार्थ से पीड़ित अफसरशाही बोर्ड आफ रेवेन्यू की राय के मुकाबले में गौण नहीं रखेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था कि प्रवर समिति ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छी संहिता तैयार की लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको गहराई से देखना पड़ता है और गहराई से विचार कर निर्णय लेना पड़ता है। जहां तक जनभावना का सवाल है तो जनता की भावनाओं का आदर किया जायेगा लेकिन किसी चीज को करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसमें समय लगता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, मुझे इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है, कृपया प्रश्न प्रहर के बाद अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इस पर प्रश्न प्रहर के बाद खड़ा होना चाहूंगा, यह मैंने कहा है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

सीधा सा प्रश्न मेरा यह था कि ढाई वर्षों तक प्रवर समिति में यह मामला विचाराधीन रहा, तो उस समय इस पर क्यों नहीं विचार किया गया ? इस कठिनाई पर उस समय क्यों नहीं विचार किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश हुई, उसके बाद ही शासन को उसकी संस्तुतियों पर विचार करने का अवसर है और अब वह प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी है और माननीय सदस्यों को जो विलम्ब का भय है, वह होने वाला नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं स्वयं इस समिति का सदस्य था । जब जनता सरकार के जमाने में यह प्रवर समिति बनी, तो संयोग से इस प्रवर समिति का सदस्य था और इस सरकार में भी प्रवर समिति का सदस्य था । मैंने विस्तार के साथ उसको देखा है । जो उत्तर आया है, उस पर मुझे कुछ वैधानिक आपत्ति है, उस पर मैं बाद में उठाऊंगा, लेकिन इस समय मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह मेरा सवाल यह है, क्या यह सही है कि जब सरकार ने अपना एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया तो समझा गया कि सरकार इससे सहमत है, और उसके बाद, नीतिगत सहमत होने के बाद एक विधेयक यहां पर आया जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि कतिपय ऐसे भी हैं जिनमें राजस्व प्रशासन की वर्तमान नीति एवं ढांचे में आमूल परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय यह विधेयक इस आदरणीय सदन में उपस्थित किया गया । उस समय नेता सदन मुख्य मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र थे, तो अब क्या मुख्यमंत्री बदलने के बाद सरकार अपनी मूल नीति में भी कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि प्रवर समिति के अध्यक्ष ने प्रवर समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत की । अब सरकार कुछ संशोधन चाहती है जो आवश्यक है, जिन पर निर्णय लेना और गहराई से विचार करना आवश्यक है और उसमें कोई विलम्ब करने की बात नहीं है । इस समय उस पर हमने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

(दिवाकर विक्रम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने क्या सवाल किया और क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आया है ? आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिलवाइये या मैं यह समझूं कि आपने उसे डिस्एलाऊ कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं उनको (मंत्री को) बाध्य नहीं कर सकता हूं । उन्होंने उत्तर दे दिया है । उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर उत्तर यहां पर दे दिया है । आप बैठ जायं, मैं बाद में फिर आपको एक मौका दे दूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

उस समिति में राजस्व मंत्री जी अध्यक्ष थे और उनका यह व्यु था। वह समिति के सदस्य के रूप में रहे हैं, शासन उसको अलग से देखेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उस प्रवर समिति के सदस्य राजस्व सचिव भी थे, और ला विभाग के अधिकारी भी थे ? क्या यह भी सही है कि उस प्रवर समिति ने बोर्ड आफ रेवेन्यू , चकबन्दी विभाग आदि अन्य सभी विभागों के अधिकारियों से परामर्श करके, विचारों को सुनने के बाद ही अपनी रिपोर्ट दिया है ? यदि हां, तो राजस्व सचिव और ला विभाग के अधिकारी जब वहां पर थे, तो उनके द्वारा क्या प्रवर समिति में यह आपत्ति उठाई गई।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि राजस्व सचिव इसमें थे और सबसे बातचीत करके, पूछताछ करके प्रवर समिति के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें सदन को भी अधिकार है कि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर यदि संशोधन करना चाहे तो कर सकती है और सरकार को भी यदि कोई आवश्यकता है तो वह भी सदन में संशोधन ला सकती है। जब बिल प्रस्तुत होगा तब विचार कर सकते हैं। उस समय यह दोनों चीजें खुली हुई हैं। तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने अपने अन्तिम भाषण में इस चीज का खुलासा कर दिया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पहले भी पूछा था और मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आप मूल उत्तर को देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि "दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए" तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय यह विधेयक इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया गया उस समय सरकार ने कोई दृष्टिकोण निश्चित किया होगा।

मैं माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने जो कहा उस सम्बन्ध में एक बात बताना चाहता हूं कि राजस्व सचिव कमेटी में थे लेकिन सचिव शासन के मत के वक्ता नहीं हैं, वह हैं मंत्री। जहां तक मेरी जानकारी है जो अध्यक्ष पीठ से प्रस्ताव पारित हुआ प्रवर समिति को भेजने का उसमें राजस्व मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। राजेन्द्र कुमार गुप्त भी इसके अध्यक्ष बनाये जा सकते थे। हर माननीय सदस्य जो कमेटी में था प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। शासन के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। तो एक चीज बनी। सरकार ने जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो प्रशासन की प्रक्रिया है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट शासन के पास गयी। मंत्रि-परिषद् के पास गयी और विधेयक बना तथा प्रस्तुत हुआ। सरकार ने अपनी नीति सुनिश्चित कर ली थी और आज फिर कहते हैं कि नीति सुनिश्चित करनी है। तो क्या दो मुख्य मंत्रियों के बदलने के कारण नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। यदि हां, तो कौन सी नीति के परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, विचार तो किसी भी समय हो सकता है। विचार में अवरोध नहीं है। माननीय सदन भी विचार कर सकता है और सरकार भी इस पर विचार कर सकती है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है सदन में उस पर प्रवर समिति बनी। प्रवर समिति ने कुछ संस्तुतियां की हैं उन पर विचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रवर समिति की रिपोर्ट मंत्रि-परिषद् में गयी, ला विभाग में गयी, विधेयक बना और विधेयक पुरः स्थापित

हुआ । असलियत क्या है, प्रवर समिति ने राजस्व परिषद् को एबोलिश करने का प्रस्ताव पास किया था । यह सरकार सचिवों के दबाव में राजस्व परिषद् को जिंदा रखने के लिये परिवर्तन करना चाहती है । यह मेरा साफ आरोप है हम विधेयक पर चर्चा करना चाहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि दो दो मुख्य मंत्रियों के बनने के बाद इसमें नीति में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, नीति में कोई परिवर्तन नहीं है । लेकिन जिन चीजों को पास कराना है इस सदन में उसके बारे में विचार करना पड़ेगा । मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि उनका परिश्रम विफल नहीं जायगा ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को प्रश्न समिति को सुपुर्द करता हूं ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत् कनेक्शन पर ली जाने वाली जमानत की धनराशि

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हाल ही में विद्युत् उपभोक्ताओं से विद्युत् कनेक्शन पर ली जाने वाली जमानत की धनराशि 30 रुपया प्रति हार्सपावर एवं 100 रुपया प्रति किलोवाट से बढ़ाकर क्रमशः 75 तथा 300 रुपया कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली जमानत की धनराशि का निर्धारण वर्ष 1976 में तत्कालीन विद्युत् दर के आधार पर किया गया था । उसके पश्चात् दिनांक 1-7-1978, 1-6-1979, 1-8-1980 एवं 1-10-1981 में विद्युत् दरों का पुनरीक्षण किया गया था । किन्तु जमानत की धनराशि नहीं बढ़ायी गयी थी । दिनांक 1-11-1982 से लागू विद्युत् दरों के आधार पर वर्ष 1983 में इसका पुनरीक्षण करना पड़ा क्योंकि यह धनराशि पुनरीक्षित दरों के अनुसार बहुत कम थी ।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से 1976 एवं 1983 से ली जाने वाली जमानत की धनराशि का तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 101 पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नई पुनरीक्षित दरें लागू हुई हैं, यह आज जो उपभोक्ता कनेक्शन लेंगे, उन पर लागू होंगी या जिनके पास पहले से कनेक्शन था, उनके ऊपर भी लागू होंगी ? जो पुराने कनेक्शन होल्डर्स हैं, उनको तो पैसा जमा करने की नोटिस दी गयी है । मान्यवर, इस समय कोई उपभोक्ता कनेक्शन लेता है तो उससे अनुबन्ध भराया जाता है । जिस अनुबन्ध में इसका जिक्र न होने के बाद यह बढ़ी हुई रकम लेने का क्या कारण है और क्या यह अवैधानिक नहीं है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

श्रीमन्, अवैधानिक तो नहीं है, वरना कोई न कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर स्थगन आदेश ले आता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिस समय पुराने कनेक्शन लेने वालों से अनुबन्ध लिया गया, उस समय जो सिक्योरिटी मनी जमा कराई गयी, उस सिक्योरिटी मनी को आज बढ़ाने का क्या कारण है ? सिक्योरिटी मनी आपके पास डिपाजिट होती है, उसके ऊपर 3 परसेंट मात्र आप ब्याज देते हैं और जो उपभोक्ता के ऊपर बकाया मनी रह जाती है, उसके ऊपर 18 परसेन्ट चार्ज करते हैं । यह असमानता बहुत बुरी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सिक्योरिटी मनी है, उसको राष्ट्रीय बचत पत्र में ले लें, तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

मान्यवर, राष्ट्रीय बचत पत्र में लेने पर विचार करेंगे ।

चकबन्दी अधिकारी डुमरियागंज, श्री अशफाक के विरुद्ध शिकायती पत्र

*8—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 27-2-1984 पर दिनांक 28-2-1984 को मामले की गम्भीरता को देखते हुए राजस्व सचिव को यह आदेश दिया था कि "मामले की गम्भीरता को देखते हुए जांच कराना आवश्यक है, अत 15 दिन के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करें' ? यदि हां, तो चकबन्दी अधिकारी, डुमरियागंज श्री अशफाक के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता की शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और यह अधिकारी जांच करने कब गया, क्या उसने प्रश्नकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित किया ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हां ।

प्रश्नकर्त्ता के सन्दर्भित पत्र दिनांक 27-2-1984 की जांच श्री राधा कृष्ण प्रसाद यादव, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बस्ती (डुमरियागंज) के माध्यम से जून, 1984 में कराई गई । उन्होंने प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित किया था । प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-6-84 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को यह लिखकर दिया है कि "मुझसे क्षेत्र की जनता ने जो शिकायत की मैंने लिख दिया । मेरे पास साक्ष्य नहीं है । इसकी जांच यदि करना चाहें तो प्रार्थना-पत्र के आधार पर कर लें ।"

जांच से यह पाया गया कि श्री अशफाक अहमद के पिता लगभग 56 वर्ष से गोन्डा में वकालत करते हैं इनके पूर्वज ग्राम-मुबारक पुर, तहसील डुमरियागंज के निवासी थे ग्राम मरसोतवा में हरिजनों के साथ भेदभाव की शिकायत सही नहीं पायी गयी अन्य शिकायतें अस्पष्ट होने के कारण जांच सम्भव नहीं हो सकी ।

मेरठ जिले के मधुवन सिनेमा में मारा गया छापा एवं पकड़े गये अवैध टिकट

*9—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह 22-23 अप्रैल, के अन्तिम सप्ताह 1984 में नगर मेरठ, के मधुवन सिनेमा में छापा मारा गया जिसमें लगभग सभी दर्शक बगैर टिकट के पकड़े गए जिस पर तत्कालीन जिलाधीश मेरठ ने सिनेमा घर का लाइसेन्स कैंसिल करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो किस आधार पर लाइसेन्स कैंसिल नहीं किया गया और वह सिनेमाघर किसका है ?

श्री ब्रह्म दत्त —

जी हां। दिनांक 23-4-1984 को मधुबन सिनेमा, मेरठ के रात्रि प्रदर्शन का आकस्मिक निरीक्षण, अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ के साथ किया गया था जिसमें सभी दर्शक बिना वैध टिकट प्रदर्शन देखते पाये गये। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने दिनांक 24-4-84 को मधुबन सिनेमा का लाईसेंस निलम्बित करके कारण बताओ नोटिस दिया जिसका उत्तर प्राप्त होने पर उन्होंने एक माह के लिये लाईसेंस प्रतिसंहृत किया। सिनेमा लाईसेंसी की अपील पर शासन ने दिनांक 30-4-84 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के लाईसेन्स के प्रतिसंहृत के आदेश को अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित किया।

सिनेमाधर, सर्वश्री बालकृष्ण शर्मा, नाथूराम शर्मा, नरेश चन्द शर्मा, रमेश चन्द्र शर्मा, मदन मोहन शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, डाक्टर सुरेश दत्त शर्मा, दिनेश दत्त शर्मा, श्रीमती शकुन्तला शर्मा, श्रीमती बिमला रानी शर्मा, कुमारी ओंकारी देवी, श्रीमती सरोज शर्मा व श्रीमती जगदम्बा रानी शर्मा की हिस्सेदारी में है।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने छापा मारा, तो लाइसेन्स रद्द किया गया था, क्या उन दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण मेरठ से हो गया ? (2) क्या यह सही है कि यह रमेश शर्मा हैं, ये हमारे एक विधायक के ससुर हैं और महेश शर्मा का इतने परिवार का सिनेमा है, यह बात सही है इसी आधार पर शासन ने लाइसेंस रद्द करने के बाद फिर लाइसेंस दे दिया ?

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय विधायकों के रिश्तेदारों को यह नहीं मिल सकता है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय विधायकों की वंशावली तो मेरे पास नहीं है कि कौन माननीय विधायकों का रिश्तेदार है। इसमें किसी के रिश्तेदार का सवाल नहीं है। सामान्यतया जब एक हफ्ते सिनेमा बन्द हो जाता है, तो हम हुकुम दे देते हैं कि सिनेमा चालू हो जाय।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि जब उसमें छापा मारा, तो जितने सारे दर्शक थे, वे बगैर टिकट के पाये गये और जिलाधिकारी ने उसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी, मेरठ का वहां से स्थानान्तरण हो गया ? और जिलाधिकारी की संस्तुति क्या है यह हमें बताने का कष्ट करें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस कारण किसी के स्थानान्तरण का सवाल नहीं है जिलाधिकारी ने पाया और उन्होंने उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया वह प्रक्रिया जारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

निरीक्षण में यह पाया कि जो दर्शक थे वे सबके सब बिना टिकट थे। तो मेरठ शहर में मनोरंजन कर अधिकारी रहते हैं, उनका स्टाफ रहता है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

फैसला हो जायेगा, जो दोषी होगा उनके सब के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)—

मेरठ जनपद का यह भ्रष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी ने हंसी में इस प्रश्न को उड़ा

दिया । यह सारे शहर को विदित है कि इसका सम्बन्ध एक विधायक से है, इसीलिए लाखों रुपये की चोरी वर्षों-वर्षों से चली आ रही है ।

(शेम-शेम)

(व्यवधान)

मेरठ में यह चर्चा है कि इसमें कांग्रेस के उच्च नेताओं की साझीदारी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें । आप सूचना दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी का स्थानान्तरण केवल इस केस के उजागर करने के कारण हुआ और उस पर अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? इस मुकदमें का निर्णय मंत्री कब तक करा देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इसका फैसला इस बात पर नहीं होगा कि कौन किसका रिश्तेदार है । इसका विधिवत परीक्षण किया जायेगा । कोई रियायत नहीं की जायेगी । इसमें बहुत जल्द निर्णय किया जायेगा । हमारे यहां सामान्य नियम है कि कोई सिनेमा एक हफ्ते बन्द है तो उसको खोल दिया जाता है और मुकदमा चलता रहता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मंत्री जी, को यह बताने में क्या आपत्ति है कि इसके मालिक का सम्बन्ध यहां बैठे हुए सत्ता पक्ष के विधायक [××] से है । जिसके कारण चोरी चल रही है । मेरा यह सीधा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मंजूर अहमद--

एक प्रश्न और करने दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो नियम 46 में चर्चा की मांग कर सकते हैं ।

श्री मंजूर अहमद--

नियम 49 में एक घंटे की चर्चा दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर भेजिये ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, जातिवाद, प्रबन्ध समिति के निरंकुशता के संबंध में जांच तथा कृत कार्यवाही

*10--श्री तपेश्वर तथा श्री यमुना प्रसाद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अता० प्र० सं० 129 व 137 के उत्तरों के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच पूर्ण करने में अप्रत्याशित विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

नोट--(××)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखदेव प्रसाद--

कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तपेश्वर--

मंत्री जी ने कहा कि पुनः आख्या मंगायी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि निदेशालय से किन-किन विन्दुओं पर पुनः आख्या मंगायी गयी है। मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि 3 लाख 52 हजार का इसमें गोलमाल है। अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

इसमे जांच पूर्ण हो चुकी है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ विन्दु उठाये हैं, अपने प्रश्न में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नौ विन्दु थे और जिन पर जांच पूरी नहीं हो सकी थी, उसकी दुबारा जांच पूरी कर दी गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ कमियां बताई हैं, कुछ आडिट सम्बन्धी बताई हैं कुछ इन्तजाम सम्बन्धी बताई हैं, रिपोर्ट के आधार पर उनको निर्देश दिये गये हैं कि अगर वह इसको पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जांच अधिकारी कौन थे, जिन विन्दु पर शिकायत की गई थी, उन बिन्दुओं पर शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण लिया गया था। इसमें जांच अधिकारी कौन थे ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

मान्यवर, इसमें हमारा आडिट डाइरेक्टर मालती चकपाल जी हैं, उन्होंने इसमें जांच की है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद--

जी हां।

(हंसी)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आख्या थी उसमें क्या-क्या प्रमुख शिकायत मानी गयी हैं। क्या शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि नौ विन्दु पर शिकायत प्राप्त हुई है इसमें जांच करायी गयी लेकिन उसके बाद दुबारा फिर जांच करायी गयी उसमें कुछ मामले सही पाए गये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित संस्था की जांच करायी गयी और नौ बिन्दु में कुछ बिन्दु पर वह दोषी पाए गये तो वह कौन-कौन सी बातें हैं जो दोष के रूप में आप स्वीकार करते हैं और उन पर कार्यवाही की जाएगी ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

मान्यवर, एक बिन्दु यह है कि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। दूसरा बिन्दु है कि उनके पास वह जमीन है 3/4 एकड़ की, जिसके बारे में था और उसकी कीमत के बारे में एक आडिट आब्जेक्शन भी है। इसी प्रकार से अध्यापकों की नियुक्ति और उनके स्थायीकरण का प्रश्न है। यही दो तीन प्रश्न हैं।

श्री आर0 के0 गर्ग, विधि सलाहकार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रतिनियुक्ति

*11--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 के0 गर्ग, विधि सलाहकार, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, न्यायिक सेवा से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं ? यदि हां, तो श्री गर्ग किस अधिकार से परिषद् में प्रतिनियुक्त हैं और किस आधार पर वे प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं। श्री आर0 के0 गर्ग दिनांक 4 जून, 1984 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद में विधि सलाहकार के पद से कार्यमुक्त किये जा चुके हैं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*12--श्री पंचानन राय--

(7वें सोमवार में ता0 प्र0 संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सहकारी गन्ना विकास समिति, बुलन्दशहर द्वारा किसानों से काटी गयी रोड फंड की धनराशि

*13--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1971 से बुलन्दशहर को गन्ना समिति पर किसानों का दस लाख रुपया रोड फंड का था जिसको गन्ना विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने सड़कों के बनवाने में खर्च न करके किसी और मद में खर्च कर दिया तथा कुछ रुपया जिला गन्ना अधिकारी ने घोटाला करके हड़प लिया ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत और मदों में खर्च किया गया तथा रुपया हड़पने वाले गन्ना अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

वर्ष 1971-72 से 1983-84 तक 14,75,198.96 रु0 रोड फंड के रूप में कटौती की गयी। कटौती की गयी इस धनराशि में से वर्ष 1983-84 तक 11,15,235.29 रु0 सड़कों के निर्माण कार्यों पर परिषद् द्वारा व्यय किया गया है। इस व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 के माध्यम से पत्री जो शुगर मिल से प्राप्त धनराशि 7,70,542.20 रु0 का भुगतान परिषद् को कर दिया गया है। अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति चीनी मिल से कटौती की धनराशि प्राप्त होने पर की जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह जवाब अधूरा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 14,75,198.96 रुपये किसानों से काटे गये, इसमें से परिषद् को 7.70 लाख रुपये मिले, तो ये बाकी के सात लाख रुपये कहां हैं और किस रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब अधूरा नहीं है, पूरा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि ये 14.75 लाख रुपये में से बाकी रुपये कहां हैं। तो मान्यवर, वह भी मिल ही के पास हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे यह पैसा जल्द से जल्द प्राप्त हो जाय।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, सन् 1971 से किसानों से पैसा काटा जा रहा है। सन् 1982 में कुछ रुपये सड़कों के लिये स्थानांतरित हुए थे। जो पैसा जिस मद के लिये काटा गया है उसी में इस्तेमाल होना चाहिये। लेकिन उसमें नहीं हुआ और 12 वर्ष से घपला हो रहा है और अधिकारी खाते रहे। मेरा आरोप है

कि जो पैसा परिषद् को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, उसमें बड़ा घपला है और इसमें वहीं के अधिकारियों का हाथ है। जवाब अधूरा इसलिये है क्योंकि सवाल यह है कि किसानों से सन 1971 से जो कटौती की गयी वह धनराशि अनियमित रूप से खर्च हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस 7.46 लाख रुपये के बारे में किसी उच्च अधिकारी को भेजकर जांच करावें कि यह पैसा कहां इस्तेमाल हुआ। अनियमित रूप से हुआ या सही हुआ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को ऐसा शुबहा हो रहा है कि यह धन सोसाइटी को दे दिया गया है और कर्मचारी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह रुपया जो बाकी बच गया है, मिल के पास है, सोसाइटी को नहीं मिला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सोसाइटी को जल्दी मिल जाय ताकि जिस कार्य के लिये कटौती की गयी है, उस पर खर्च हो सके। न घपला हुआ है और न ही दुरुपयोग।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जब रुपया मौजूद है तो प्रयास करने की और दबाव डालने की क्या आवश्यकता है। सन 1971 से कटौती हो रही है जिसके लिये कटौती की गयी, उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। परिषद को स्थानान्तरित नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब रुपया मौजूद है तो स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया और इसके लिये प्रयास की क्यों आवश्यकता पड़ी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस शुगर मिल की क्या हालत है। इसकी हालत बहुत खराब है। रुपया उनके पास है ही नहीं और उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया होगा उनके पास रुपया आ जाय तो दिलवा देंगे। फैक्टरी की हालत अच्छी होते ही दिलवा देंगे।

श्री छत्तर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह रुपया सड़कों के लिये लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि 7 लाख रुपये में से कितनी सड़कें कहां कहां बनायी गयीं, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, इसकी लिस्ट लम्बी है। तकरीबन 14-15 सड़कें बनायी गई हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रति आप माननीय सदस्य को भेज दीजियेगा।

बिक्री कर कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल

*14--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के बिक्री-कर कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की आंशिक कलमबन्द हड़ताल पहली जनवरी, 1984 से चल रही है? यदि हां, तो हड़ताल प्रारम्भ होने से ता0 25-1-84 तक कितने काम के घंटों तथा राजस्व का नुकसान हुआ? क्या यह भी सही है कि कार्यालयों से चेक बैंक को नहीं गये हैं? यदि हां, तो कितने रुपये के कितने चेक नहीं गए? इन कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए आयुक्त ने क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बिक्री-कर विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने पहली जनवरी 1984 से नहीं अपितु दिनांक 10-1-84 से 2 घंटे कलम बन्द हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया था । दिनांक 10-1-84 से 25-1-84 तक 16 दिवसों में से दिनांक 10-1-84 को गुरू गोविन्द सिंह की जन्म तिथि, 14-1-84 को द्वितीय शनिवार एवं 15-1-84 तथा 22-1-84 को रविवार होने के कारण कुल 12 कार्य दिवसों में 28 घंटे की कलम बन्द हड़ताल रही । दिनांक 10-1-84 से 20-1-84 तक तथा 21-1-84 से 25-1-84 तक क्रमशः 2 घंटे एवं 3 घंटे की कलम बन्द हड़ताल रही । राजस्व की कोई हानि नहीं हुई केवल कहीं-कहीं पर कुछ चैक समय से बैंक नहीं भेजे जा सके । लगभग 5 करोड़ 86 लाख रु0 के कुल 22607 चैक नहीं गये । कर्मचारियों की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर कार्यवाही की गई है ।

कानपुर जिले के ग्राम बरौर, उरसान एवं गौरीकरन का विद्युतीकरण

*15—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-3-82, 27-4-82 व 23-12-82 ग्राम बरौर, ग्राम उरसान, ग्राम गौरीकरन, जिला कानपुर देहात में विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त गांवों को अब तक बिजली न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार 31-12-84 तक उक्त गांवों को बिजली सुविधा उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

ग्राम बरौर का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युतीकरण परिभाषा द्वारा किया जा चुका है । ग्राम उरसान व गौरीकरन का विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है । इन ग्रामों का विद्युतीकरण 31-12-84 तक करना सम्भव नहीं है क्योंकि—

(1) ग्राम उरसान किसी ग्रा0 वि0 नि0 द्वारा वित्त पोषित योजना में सम्मिलित नहीं है ।

(2) ग्राम गौरीकरन का विद्युतीकरण विकास खण्ड मल्पुरा के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत एक योजना में सम्मिलित है । अतः इस ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1985 में सम्भावित है ।

अल्मोड़ा जिले के भिकियासैण में तहसील की स्थापना की मांग

*16—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वे भिकियासैण को रानीखेत तहसील से अलग तहसील बनाने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैण में तहसील स्थापित करने की संस्तुति की गई है ।

इस प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ यथा समय विचार अष्टम वित्त आयोग से धन उपलब्ध होने पर सम्भव होगा ।

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*17—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से 1-12-83 तक जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज एवं धर्मापुर के किन-किन ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या इस

अवधि में लक्ष्य को पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर, मुफ्तीगंज तथा धर्मापुर में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 एवं अप्रैल, 83 से 1-12-83 तक केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण परिभाषा द्वारा वर्जित ग्राम एवं हरिजन बस्ती संलग्न सूची (अ), (ब), (स) और (ग) में दर्शायी गई है ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 103 पर ।)

पारीच्छा विद्युत् गृह के अभियन्ता, श्री माता प्रसाद की विदेश यात्रा

*18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पारीच्छा 210 मेगावाट में कार्यरत एक अभियन्ता श्री माता प्रसाद को विभाग ने विदेश भेजा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उनकी लापरवाही से मई, 1983 में वह यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत में शासन को करीब एक करोड़ रुपया वहन करना पड़ा ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी को विदेश भेजने का क्या औचित्य है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री

*19—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सहकारी चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की बिक्री हेतु देहली स्थित शुगर सेल्स लिएजन आफिसर द्वारा फ्री सेल की रिलीज कोटा की चीनी को वर्ष 82-83 में बिक्री करने की कार्य-प्रणाली से सहकारी चीनी मिलों को करोड़ों रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो शासन इस व्यवस्था में कब तक और क्या सुधार करेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी नहीं ।

चीनी बिक्री की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सहकारी चीनी मिलें स्वतंत्र हैं कि चीनी की बिक्री स्वयं करें अथवा संघ के दिल्ली स्थित कार्यालय से करायें ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*20—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भर में गन्ना कृषकों का गन्ना मिलों पर एक अरब रुपया बाकी है ? यदि हां, तो उक्त राशि गन्ना किसानों को मय सूद के कब तक भुगतान की जायगी ? उक्त भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

सीजन 1983-84 में कुल देय गन्ना मूल्य 381·82 करोड़ रु0 में से दिनांक 31-8-84 तक मिलों ने 336·57 करोड़ रु0 का भुगतान कर दिया है तथा 45·25 करोड़ रु0 अवशेष है । सीजन 1983-84 से पूर्व वर्षों का 5·19 करोड़ रु0 बकाया है । इस प्रकार प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना कृषकों का कुल 50·44 करोड़ रु0 गन्ना मूल्य का बकाया है । सीजन 1983-84 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इससे पूर्व वर्षों का अवशेष 5·19 करोड़ में से अधिकांश धनराशि विवादग्रस्त है ।

बकाया गन्ना मूल्य पर देय ब्याज के प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं का शासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है ।

परीक्षणोपरान्त विधिक स्थिति के अनुसार नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

अतारांकित प्रश्न

मेसर्स गिरीश चन्द्र, शेष चन्द्र किराना, सहसवान, बदायूं द्वारा अधिक बिक्री-कर की अदायगी

1--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स गिरीश चन्द्र, शेषचन्द्र किराना, सहसवान, जनपद बदायूं को बिक्री-कर अधिकारी बदायूं ने वर्ष 73-74 को कर निर्धारण पत्रावली में अधिक जमा राशि का रिफण्ड निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं कराया है ? यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी थे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त बिक्री-कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र सं0 न्याय-2-वापसी-बदायूं-2 (80-81) 357 बिक्री-कर दिनांक 2-5-83 जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

इसके लिये सम्बन्धित खाता पालक और बिक्री-कर अधिकारी दोषी थे ।

जी हां ।

पत्र दिनांक 2-5-83 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यापारी को ब्याज का भुगतान दिनांक 27-5-83 को कर दिया गया ।

वाराणसी के गांव रुद्रपुर के श्री लक्ष्मी नारायण की भूमि का गलत इन्द्राज सम्बन्धी शिकायत-पत्र

2--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे शुक्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांव रुद्रपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर 1371 फ0 में लक्ष्मी नारायण का नाम अंकित है जिसकी दुरुस्ती इसलिए नहीं की जा सकी कि यह इन्द्राज प्रकाश में अब तक नहीं आया था और न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने राजस्व मन्त्री को एक पत्र 12-12-83 को लिखा है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

ग्राम रुद्रपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर 1371 फ0 में लक्ष्मी नारायण का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अंकित था ।

यह सत्य है कि यह मामला तत्समय पकड़ में नहीं आया था क्योंकि मिसिल बन्द रजिस्टर में यह वाद लक्ष्मी नारायण के नाम से न अंकित होकर दुल्लू बनाम लक्ष्मी नारायण दर्ज था ।

प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 12-12-83 शासन में प्राप्त हुआ जिस पर जांच करायी गयी । जांच से यह विदित हुआ कि दुल्लू राम की ओर से कागजात दुरुस्ती का मुकदमा तहसीलदार के न्यायालय में 1-9-82 को प्रश्न के उत्तर देने की तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका था जो परगना अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है एवं निर्णय हेतु परिपक्व हो चुका है ।

लखनऊ, बिक्री-कर कार्यालय में करदाताओं के रिफण्ड की धनराशि का गबन

3—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय में करदाताओं के 2 1/4 लाख रिफण्ड का गबन हो गया है और दिनांक 3-2-83 को पुलिस में रपट दर्ज करा दी गयी थी ? उनको इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या 1147 (प्रथम किश्त), दूसरी पत्र संख्या 4 (द्वितीय किश्त) व तीसरा पत्र संख्या 304 (तृतीय किश्त) भेजे हैं, जो उनके कार्यालय में क्रमशः दिनांक 8-4-83, 30-8-83 व 1-10-83 को प्राप्त हो गए हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि करदाताओं को रिफण्ड मय ब्याज के कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

संदर्भित पत्र प्राप्त हुए थे । इस सम्बन्ध में मूल अभिलेख पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल कर दिये गये हैं । तथापि, करदाताओं को रिफण्ड दिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ।

फैजाबाद में ग्राम हुसेनपुर निवासी श्री गुप्तार द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

4—मित्र सेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के अता० प्र० सं० 13 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि अवैध पट्टे के निरस्तीकरण की जो कार्यवाही जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत अपर जिला अधिकारी, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन थी, क्या उसमें निर्णय हो गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत वाद में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर के गाटा संख्या 598 का बन्दोबस्त

5—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तह० मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 598 बन्दोबस्त अव्वल एवं वर्तमान समय में इस पर स्थित कुआं का इन्द्राज है ? यदि हां, तो किसके नाम अंकित हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर में गाटा संख्या 598 बंदोबस्त अव्वल में जंगल अंकित है और इसमें कुएं का इन्द्राज नहीं है । गाटा संख्या 598 से वर्तमान समय में अन्य गाटा के साथ गाटा संख्या 2111 भी बना है । इस गाटा संख्या 2111 में सुलेमान सुत गुलाब खां आदि के नाम निजी कूप अंकित हैं ।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम बाहरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तह० मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कितनी भू-सम्पत्ति है तथा क्या इस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को आधार वर्ष की खतौनी में ग्राम समाज की भूमि 270 बीघा 19 बिस्वा 1 धुर है। बाद पैमाइश अब 70 बीघा 3 धुर है। भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 18 बिस्वा 17 धुर की कमी गाटों की पैमाइश में कमी-बेशी के कारण हुई है। ग्राम में 60 व्यक्तियों ने ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। पांच मामलों में अनधिकृत काबिजदारों के विरुद्ध नियम 122-बी की कार्यवाही की गयी थी जिसमें उन पर जुर्माना किया गया तथा भूमि से बेदखल किया गया। दो मामले विवादित भूमि पर स्वायत्त का अधिकार निहित होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। शेष मामलों में 122-बी, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही तहसीलदार मुसाफिरखाना के न्यायालय में विचाराधीन है।

लखीमपुर खीरी जिले की ग्राम सभा रोशन नगर की ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*7--श्री दूध नाथ राजभर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशन नगर, परगना भूड़, तह0 व जिला लखीमपुर खीरी में ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति का ब्योरा क्या है? क्या यह सत्य है कि ग्राम समाज की कुछ भू-सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशन नगर में निहित कुल भूमि 91.79 एकड़ है जिसमें नवीन परती 2.24 एकड़, अन्य बंजर 5.02, जंगल झाड़ी 1.46, चारगाह 18.13, तालाब 3.00, नाली 1.24, आबादी 27.89, चकमार्ग 11.43, रास्ता 12.30, कब्रिस्तान 0.10, श्मशान 0.47, खाद के गड्ढे 1.21, खलिहान 4-45, खाल निकालने का स्थान 0.08 एकड़ है। ग्राम समाज की 1.42 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा पाया गया था। अनधिकृत काबिजदारों ने मौखिक आदेशों का पालन करते हुये ग्राम समाज की भूमि से कब्जा हटा लिया है। इसलिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस समय कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है।

लखीमपुर खीरी जिले की ग्राम सभा रोशन नगर के ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध भूमि आवंटन सम्बन्धी शिकायती पत्र

8--श्री दूध नाथ राजभर तथा श्री अकबर हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मकबूलपुर इनामी दरजी व मन्नापुर हसमत बेहना, निवासी ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशनगर, विकास खंड बांकेगंज, परगना भूड़, तह0 व जिला लखीमपुर खीरी का शिकायती प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन अनियमितताएं किए जाने के विरुद्ध ग्राम प्रधान एवं लेखपाल ग्राम सभा रोशन नगर, ग्राम कुसमौरी के विरुद्ध दिनांक 15-9-1982 तथा 4-11-1982, 1-11-83 को मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री एवं जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रार्थना पत्र दिनांक 15-9-1982 तथा 4-11-1982 का प्राप्त होना नहीं

पाया गया है। दिनांक 4-11-1983 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, जिसे जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। किन्तु जिलाधिकारी से कृत कार्यवाही की सूचना मांगने पर सूचित किया गया कि उक्त-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम रसूलपुर में लगाये गये पेड़ों की संख्या

9—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 1153, 1154, 1155, 1156 तथा 1130 में किस-किस प्रकार के कितने पेड़ लगे हैं और अनुमानित वह कितने वर्ष पुराने है ? इन पेड़ों की सुरक्षा हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न में सन्दर्भित प्रत्येक गाटों में लगे वृक्षों की संख्या एवं उम्र से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। वृक्षों की सुरक्षा अभिलेखों में अंकित उनके खातेदारों द्वारा की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 106 पर)।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम बाहरपुर के जमींदारों के प्रतिकर का भुगतान

10—श्री दूधनाथ राजभर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 2रे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाता खेवट संख्या 2 आला पर 34 भूखण्ड हैं ? प्रत्येक भूखण्ड का प्रतिकर प्रत्येक मालिकान को कितना-कितना तथा कब दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नियमान्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण खातेवार किया जाता है, अतः भूखण्डों के अनुसार प्रतिकर के वितरण को बताना सम्भव नहीं है शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम रसूलपुर के कतिपय गाटों पर लगाये गये वृक्षों का इन्द्राज

11—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1359 फ० में गाटा संख्या 774, 800 तथा 852 के कौन से मालिकान हैं तथा उन पर वृक्ष मौजूद हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में वृक्षों का इन्द्राज न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम रसूलपुर परगना, जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, सुलतानपुर में वर्ष 1359 फ० में गाटा सं० 774 के मालिकान बाबू गोवर्धनदास तथा खेवट-1 जिमन 9(1) तालाब अंकित हैं। गाटा 800 मालिक बाबू शिवप्रसाद के नाम ऊसर दर्ज है। गाटा सं० 852 अब्दुल वाहिद सुत मुस्तफा खां एवं मु० लिह जुन निशा जौजे वाहिद खां के नाम दर्ज है। उक्त वर्ष में उक्त गाटों के सम्बन्ध में किसी वृक्ष का इन्द्राज नहीं है। 1359 फ० के गाटा सं० 774, 800 से वर्तमान गाटे 1152, 1154 बने हैं, जो चकबन्दी से पृथक् हैं तथा उसमें वृक्ष हैं। वे गाटे चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक् है तथा ग्राम सभा की सम्पत्ति हैं। ग्राम सभा की भूमि

पर स्थित वृक्षों पर किसी का कब्जा अंकित नहीं किया गया है। 1359 फ0 का गाटा सं0 852 वर्तमान समय में गाटा 1219 बना है, जो स्थल पर मजरूआ है, उसमें कोई पेड़ स्थित नहीं है।

सुल्तानपुर जिले की ग्राम सभा रसूलपुर की भूमि एवं मन्दिर, कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद की भूमि

12--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुलतानपुर में ग्राम अभिलेख के अनुसार कितनी भूमि है तथा जिन गाटों में कृषि भूमि कब्रिस्तान शमशान, मजिस्द, शिवालय, मन्दिर आबादी एवं रास्ते, चरागाह, स्कूल है, उनमें से कौन से गाटे मय क्षेत्रफल ग्राम समाज की मिलकियत हैं? उनमें कितने पर पेड़ अथवा खेती है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम सभा रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, विकास खण्ड शुकुलबाजार, जिला सुलतानपुर का ग्राम अभिलेख के अनुसार 1373 बीघा 16 बिसवा 18 धुर कुल भूमि है। सन्दर्भित भूमि में कृषि भूमि, कब्रिस्तान, मन्दिर, मस्जिद, आबादी एवं रास्ते से सम्बन्धित गाटों का पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है। ग्राम में शमशान, शिवाले, चरागाह एवं स्कूल ग्राम समाज की भूमि में नहीं है। ग्राम समाज की मिलकियत से सम्बन्धित गाटे जो अकृषक भूमि हैं और ग्राम समाज में दर्ज हैं, उसका कुल क्षेत्रफल 47 बीघा 4 बिस्वा 19 धुर है, उनमें ग्राम समाज के वे गाटे जिस पर वृक्ष मौजूद हैं, उनका क्षेत्रफल 27 बीघा 11 बिस्वा 17 धुर हैं और खेती योग्य गाटों का क्षेत्रफल 13 बीघा 19 बिस्वा 12 धुर हैं। ग्राम समाज में दर्ज गाटे, जो अकृषक भूमि है, वे गाटे जिनमें वृक्ष हैं एवं ग्राम समाज के वे गाटे, जो मजरूआ हैं, के विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

बस्ती जिले के ग्राम सरोता एवं ऐखिन के हरिजनों को भूमि का आवंटन

13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती, तहसील एवं परगना नौगढ़ के ग्राम सरोता तथा तप्पा ऐखिन में किन-किन हरिजनों को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर प्राप्त है तथा सभी को कब्जा मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम सरोता तथा ऐखिन तहसील व परगना नौगढ़ में ग्राम समाज की भूमि सर्वश्री अयोध्या पुत्र तितिल, जोखू पुत्र महावीर, हरखू पुत्र जो बोध, बुद्धिराम पुत्र भरोस व कामल पुत्र भरोस के नाम पट्टा दिया गया है। जिसमें सर्वश्री अयोध्या पुत्र तितिल, बुद्धिराम पुत्र भरोस को कब्जा दे दिया गया है केवल सर्वश्री जोखू, हरखू व कोमल को आवटित भूमि, जो अकृषक है उस पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है, जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

वाराणसी जिले की ग्राम सभा बरवां की भूमि का आवंटन

14--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी ने 6 मार्च, 1979 को गांव सभा बरवां, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को आदेश दिया था कि बिना उनकी स्वीकृति के कोई पट्टा गांव समाज की भूमि का न किया जाय? क्या यह सही है कि उक्त वक्त के प्रधान (पंचम) एवं गांव समाज के मन्त्री, अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव, लेखपाल

ने 5 जुलाई, 1979, 14 नवम्बर, 1979, 21 मार्च, 1980, 5 जुलाई, 1981, 17 अक्तूबर, 1981 तथा 5 जनवरी, 1982 को 8 बार पट्टा अनियमित तरीके से किया है और परगना हाकिम के आदेश की अवहेलना की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि गांव सभा बरवां के प्रधान मेवा लाल वर्मा ने एक प्रार्थना-पत्र परगनाधीश, ज्ञानपुर, वाराणसी को दिनांक 6 फरवरी, 1984 को इस सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

प्रश्न में सन्दर्भित तिथियों को आबंटन का प्रस्ताव पारित किया गया लेकिन उसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा नहीं किया गया ।

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी गयी जांच के उपरान्त 16 व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली का वाद धारा 122-बी ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया गया है ।

देवरिया जिले के ग्राम धनौती के ग्रा वासियों का शिकायती-पत्र

15--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के ग्राम धनौती से सम्बन्धित ग्रामवासियों के पत्र के साथ माह फरवरी, 1982 में प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायती-पत्र उन्हें दिया था जिसकी प्राप्ति स्वीकृत उनके पत्रांक 577/रा0 मं0/82, दिनांक 26 फरवरी, 1982 द्वारा तथा इसी पत्र पर मुख्य मन्त्री ने अपने पत्रांक एम0/1935/सी0 एम0 81-82, दिनांक 15 अप्रैल, 1982 द्वारा की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या शिकायतकर्त्ताओं को भी जांच के लिए बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित भू-खंडों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के वाद संख्या 430 व 431 क्रमशः राजेन्द्र बनाम संकवती व श्री राजेन्द्र बनाम सुरेन्द्र के पक्ष में आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1977 व 5 अप्रैल, 1977 द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने का आदेश पारित हुआ था । तदनुसार वादीगण द्वारा कब्जा किये जाने पर ही शिकायती-पत्र दिया गया था जिस पर जांच कराई गई । जांच के समय श्री राम जी भाई, नेता लोकदल आदि शिकायतकर्त्ताओं में से जो उपस्थित थे, द्वारा जानकारी देने पर शासकीय अभिवक्ता (माल) द्वारा उक्त आदेश को एक पक्षीय मानते हुये दिनांक 6 अगस्त, 1982 को कायमी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

गोरखपुर की तहसील महराजगंज के संग्रह अमीनों के विरुद्ध रसीद न देने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

16--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 जिसमें संग्रह अमीनों द्वारा जनता के वसूली धनराशि की रसीद न देने से सम्बन्धित तहसील महराजगंज, गोरखपुर की जो शिकायत प्राप्त है एवं जिसकी प्राप्ति स्वीकृति की सूचना संयुक्त सचिव ने अपने अतारांकित शा0 प0 सं0 आर0 एम0 10/1-6-84 राजस्व-6, राजस्व अनुभाग-6, विधान भवन, लखनऊ दिनांक 3 फरवरी, 1984 द्वारा किया है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा शिकायत की जांच करायी गयी । मामला परगनाधिकारी, महराजगंज के स्तर पर अभी विचाराधीन है ।

श्री परमानन्द कुमार, भूतपूर्व कानूनगो, आजमगढ़ द्वारा कागजात गायब करने की घटना

17--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमानन्द कुमार किस तिथि से अनुपस्थित हैं ? उनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट किस तिथि को दर्ज कराई गई तथा दिनांक 20 फरवरी, 1984 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री परमानन्द कुमार 2 मई, 1983 से अनुपस्थित हुए । इनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराने हेतु दिनांक 8 सितम्बर, 1973 को थानाध्यक्ष, जियनपुर को आख्या भेजी गई किन्तु थानाध्यक्ष द्वारा 2 दिसम्बर, 1983 को यह सूचना दी गयी कि इनके विरुद्ध आरोप नहीं बनता है । तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19 मई, 1983 के आधार पर उनको निलम्बित कर दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 1983 पर श्री कुमार को दिनांक 24 मार्च, 1984 को सेवा में बहाल कर दिया गया ।

श्री परमानन्द कुमार द्वारा रिट याचिका दायर कर दिये जाने के फलस्वरूप 20 फरवरी, 1984 तक उनके विरुद्ध कार्यवाही स्थगित रखी गयी । मामले की छानबीन करने पर पता चला कि श्री कुमार ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये थे । इस आधार पर दिनांक 20 अप्रैल, 1984 को उन्हें पुनः निलम्बित कर दिया गया । बाद में मामले की छानबीन एवं परीक्षणोपरांत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें एक प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए 16 जून, 1984 से सेवा में बहाल कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले की ग्राम सहुला की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

18--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमल-दरामद की वैधता की जांच में क्या इस बात की भी जांच कराई जायेगी कि मुकदमा नम्बर 4890 तारीख फैसला 19 जुलाई, 1973 फर्जी है ? यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के सन्दर्भ में तथाकथित वाद संख्या 4890 तारीख फैसला 29 जुलाई, 1973 (19 जुलाई, 1973 नहीं) की अमल-दरामद के सम्बन्ध में जांच करायी गयी । जांच में यह पाया गया कि अमल-दरामद फर्जी है । अमल दरामद को जा0 च0 अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत खारिज करने का मामला उप संचालक, चकबन्दी के यहां विचाराधीन है ।

कानपुर जिले की तहसील बिल्हौर के चपरासी श्री राजनारायण के वेतन का भुगतान

19--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण, चपरासी

तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के वेतन के बारे में अनियमितता सम्बन्धी जो जांच अपर जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) ने परगनाधिकारी, बिल्हौर से कराई थी, क्या परगनाधिकारी, बिल्हौर की जांच रिपोर्ट दिनांकित 14-10-83 अपर जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री राजनारायण, चपरासी के वेतन का भुगतान अभी तक न करने के क्या कारण हैं तथा राजनारायण, चपरासी के वेतन के गबन करने का दोषी कौन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

परगनाधिकारी की जांच आख्या व अभिलेखों के अनुसार श्री राजनारायण, चपरासी की नियुक्ति 17-4-82 से 31-5-82 तक के लिए ही की गई थी । इस अवधि का वेतन उन्हें भुगतान किया जा चुका है । वेतन के किसी धनराशि का गबन होना नहीं पाया गया इसलिए किसी को गबन के लिए दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम महदेवा के हरिजनों को भूमि का आवंटन

20--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के ग्राम महदेवा की हरिजन आबादी की भूमि के आवंटन सम्बन्धी अनियमितताओं के रूप में प्रश्नकर्ता के पत्र माह मई, 82 पर श्री बलवन्त राम, संयुक्त सचिव ने अपने अ0 शा0 पत्रांक क्र0 प्र0 205/एक-13-3 (136)/82-400 राजस्व अनु0-9, लखनऊ दिनांक मई, 1982 द्वारा जो सूचना-पत्र प्राप्ति का दिया है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद गोरखपुर, तहसील महराजगंज के ग्राम महदेवा में हरिजन आवास के लिये सुरक्षित भूमि का आवंटन जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 सी(4) के अनुसार अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को परगनाधिकारी के अनुमोदन दिनांक 1-11-1980 के अन्तर्गत किया जा चुका है ।

वाराणसी जिले की गांव सभा बरवां की भूमि का श्री सकल नारायण को पट्टा

21--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरवां, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रधान मेवालाल ने परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र 6-2-84 को दिया है कि आराजी नं0 337 गांव बरवां की सकल नारायण पुत्र पंचम राम को सन् 1966 में भूतपूर्व प्रधान पंचमराम ने पट्टा दिया है और उसका नाम भी तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में उक्त नम्बर पर चढ़ा दिया गया है ? क्या उसके बारे में मौजूदा प्रधान मेवालाल ने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि आवंटन के दिन सकल नारायण की पैदाइश ही नहीं हुई थी ? क्या यह सही है कि इसकी जन्म तिथि 3 जनवरी, 1967 बरवां प्राइमरी पाठशाला में दर्ज है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी और पट्टे को निरस्त करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । प्रश्न में संदर्भित शिकायतें जांच में सही पायी गयीं । आवंटन दिनांक 31-3-84 को निरस्त किया जा चुका है ।

मैनपुरी जिले की गांव सभा खेरिया शिकमा गोहना की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

22--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा खेरिया शिकमी गोहना के प्रधान एवं उप प्रधान तथा सदस्यों ने ग्राम समाज भूमि पर अनधिकार कब्जे के सम्बन्ध में शासन के आदेशानुसार दिनांक 25-3-83 को परगनाधिकारी, जसराना ने मौके पर जांच की एवं अनधिकार कब्जा पाया और शासन को कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट अग्रसारित की ? यदि हां, तो अब तक किस अधिकारी ने दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। परगनाधिकारी, जसराना द्वारा जांच की गयी। उनकी जांच आख्या के अनुसार ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध तहसीलदार जसराना के न्यायालय में ज0 वि0 अधि0 की धारा 122वीं के अन्तर्गत वाद दायर करके बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के लेखपाल, श्री खुर्शीद अहमद एवं श्री जगदीश मिश्रा के विरुद्ध शिकायती पत्र

23--श्री मलिक मु0 कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 17 मार्च, 1983 एवं 18 मार्च, 1983 को राजस्व सचिव श्री शर्मा जी से मिल कर डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में कार्यरत लेखपाल खुर्शीद अहमद एवं जगदीश मिश्रा के भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत पत्र उन्हें दिया था ? क्या यह सत्य है कि राजस्व अनुभाग-9 द्वारा दिनांक 23-3-83 को डी0 ओ0 नम्बर 13-3-(11)/83-226, दिनांकित 23-3-84 जारी हुआ ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और इन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

सर्वश्री खुर्शीद अहमद एवं जगदीश मिश्रा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से जांच में कुछ आरोप आंशिक रूप से सही पाये गये। उक्त दोनों लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के उपरान्त चरित्रपंजी में कठोर प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री विभाग, गाजीपुर के चपरासी स्व0 श्री राम नरेश राम की विधवा को वेतन का भुगतान

24--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चन्द्रावती देवी विधवा श्री राम नरेश राम, निवासी ग्राम बबेरी, तहसील व जनपद गाजीपुर, जिनके पति जिला हरिजन एवं समाज कल्याण, गाजीपुर में चपरासी के पद पर कार्यरत रहते हुये सन् 1978 में मरे थे, की नियुक्ति दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, गाजीपुर के आदेश से चतुर्थ श्रेणी में बाल विकास परियोजनाधिकारी कार्यालय विरनू वि0 खंड में की गई है ? यदि हां, तो अब तक श्रीमती चन्द्रावती की सेवा योगदान देने के बाद भी वेतन आदि क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सुख देव प्रसाद—

जी हां ।

श्रीमती चन्द्रावती को वेतन का भुगतान नियमित रूप से हो रहा है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारियों का चयन

25—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1983 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कितने पद सृजित किये गये थे ? कितने प्रत्याशी बुलाये गये थे और उनकी चयन प्रक्रिया क्या थी ? उन पदों पर कितने और किन-किन अभ्यर्थियों का चयन किया गया ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

वर्ष 1983 में बाल विकास परियोजना अधिकारी के कुल 24 पद सृजित किये गये थे ।

153 प्रत्याशी बुलाये गये थे ।

उक्त पद को भरे जाने हेतु एक चयन समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया था ।

*संलग्नक में इंगित 13 अभ्यर्थियों का चयन सीधी भर्ती द्वारा किया गया ।

जनहित तथा कार्यहित में पदों का भरा जाना आवश्यक था ।

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 108 पर।)

कानपुर जिले के हरिजन छात्रों को अवटित छात्रवृत्ति की धनराशि

2—श्री भूधर नारायन मिश्र—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर एवं कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 82-83 में कितना रुपया हरिजनों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को शुल्क के मद में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

वर्ष 1982-83 में कानपुर (महानगर) में 1,67,35,000 रु० तथा कानपुर देहात में 26,74,000 रु० हरिजनों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ।

विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की शुल्क की मद में कानपुर (महानगर) में 6,00,000 तथा कानपुर देहात में 5,40,000 रु० खर्च किया गया ।

प्रदेश में हरिजन छात्रावासों का निर्माण

27—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने हरिजन छात्रावास हैं तथा इन छात्रावासों का निर्माण निजी व्यक्तियों के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

प्रदेश में कुल 36 ऐसे हरिजन छात्रावास हैं जिनके भवन का निर्माण स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है । इन छात्रावासों का निर्माण निजी व्यक्तियों के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है वरन् उत्तर प्रदेश हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर कम से कम एक हरिजन छात्रावास निर्माण की योजना है जिसके अन्तर्गत अब तक कुल 34 हरिजन

छात्रावासों का निर्माण विभिन्न जनपदों में किया जा चुका है ।

वाराणसी जिले की ग्राम कुरु की विद्युत् लाइन के टूटने की घटना

28--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुरु, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की विद्युत् लाइन का तार जनवरी, 1984 से टूट गया है जिससे उक्त गांव को विद्युत् सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि 10 फरवरी, 1984 तक लाइन ठीक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और लाइन कब ठीक की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

ग्राम कुरु में तार टूटने के कारण विद्युत् सप्लाई न आने की शिकायत 24 जनवरी, 1984 को प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं । तार को जोड़कर 28 जनवरी, 1984 को लाइन चालू कर दी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर के ग्राम हाजीपुर व कमालपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

29--श्री छत्तर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, तृतीय, बुलन्दशहर ने दिनांक 19-6-83 को एक पत्र मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि प्रश्नकर्त्ता को भी भेजी गयी थी ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित ग्राम हाजीपुर एवं कमालपुर में हरिजनों के मुहल्लों में बिजली अब तक लगाई गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 19-8-83 को लिखा गया था । ग्राम हाजीपुर व उसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका था ।

ग्राम कमालपुर का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि ग्रामवासियों से विद्युतीकरण हेतु निर्धारित अग्रिम के साथ प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

पहाड़ी क्षेत्रों की माइक्रो हाइडिल योजना

30--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 में पहाड़ी इलाकों के उत्थान हेतु माइक्रो हाइडिल नामक कोई योजना चलाई गई थी ? इसके तहत 60 जगहों पर कार्य होना था ? यदि हां, तो अब तक कितने माइक्रो-हाइडिल बनाये गये और शेष के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनपरा तापीय परियोजना, मिर्जापुर में की गयी लिपिकों की नियुक्ति

31--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में नियुक्ति दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति विद्युत् सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है ? यदि हां, तो मुख्य अभियंता, जल विद्युत्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5621/अनु0-6-एम-आजमगढ़/परीक्षा, दिनांक 8-10-82 द्वारा 15 लिपिकों की नियुक्ति अनपरा तापीय परियोजना, मिर्जापुर में की

गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 26 लिपिक श्रमिक आपूर्ति में कार्यरत हैं जिनमें पांच मस्टर रोल के हैं, तो इनमें से क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

जी नहीं । श्रमिक आपूर्ति के माध्यम से कुल 27 लोग लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें मस्टर राल पर कोई नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के ग्राम बिहरई द्वारा विद्युत् कनेक्शन का जमा की गयी अर्नेस्टमनी

32—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम बिहरई, प0 व तहसील टाण्डा, के निवासियों द्वारा लाईट कनेक्शन लिए जाने हेतु दिसम्बर, 1979 में अर्नेस्ट मनी 25 रु0 के हिसाब से 7 व्यक्तियों द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है तथा फरवरी, 1981 में खम्भा व तार ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया है तथा मार्च, 1983 में ट्रान्सफार्मर तक विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ट्रान्सफार्मर के आगे ग्रामीणों को कनेक्शन हेतु खम्भा व तार खींच कर विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो उक्त मामले में इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

जी नहीं । प्रस्तावित उपभोक्ताओं को व्यय अनुमान एवं कनेक्शन लेने सम्बन्धी शर्तें भेज दी गई हैं जैसे ही उपभोक्ता व्यय अनुमान की धनराशि जमा कर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर देंगे उनको लाईन खींच कर विद्युत् सप्लाई करने की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

उन्नाव जिले के ग्राम मोती खेड़ा के श्री सुरेन्द्र की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु

33—श्री भीखालाल—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 7-2-84 के संदर्भ में श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री चन्द्र शेखर, निवासी ग्राम मोती खेड़ा, जनपद उन्नाव, जिसकी मृत्यु बिजली के तार के लगने से हो गयी थी, को विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति करायी गयी अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मृतक के परिवार को अनुग्रह धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवश्यक अभिलेख, जैसे शव विच्छेदन आख्या, पंचायतनामा, पुलिस रिपोर्ट इत्यादि उपलब्ध न होने के कारण इस विषय पर निर्णय नहीं हो सका । आवश्यक अभिलेख अब प्राप्त हो गये हैं और अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के विषय में शीघ्र निर्णय हो जायेगा ।

उन्नाव जिले के ग्राम सभा खीरी गुरुदासपुर की भूमि पर श्री सोने लाल का अनधिकृत कब्जा

34—श्री भीखा लाल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 5वें शुक्र के अता0 प्र0 सं0 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामला किस न्यायालय में विचाराधीन है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत मामला तहसीलदार, सफीपुर, जिला उन्नाव के न्यायालय में धारा 122-बी (2) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है। बाद में अनधिकृत अध्यासीन व्यक्ति सोने लाल पुत्र राम गुलाम, निवासी खारी गुरुदासपुर को गांव सभा भूमि संख्या 412 क्षेत्रफल 1-5-0 से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ जिले में हरिजन लेखपाल की पदोन्नति

35--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1978 से सितम्बर, 1983 तक लखनऊ जनपद में कितने लेखपालों की पदोन्नति किन-किन पदों पर की गयी और उसमें कितने हरिजन हैं ? क्या यह भी सही है कि वरिष्ठता सूची में हरिजन अभ्यर्थियों के नाम ऊपर होते हुए भी सामान्य अभ्यर्थी, जिनके नाम सूची में नीचे थे, की पदोन्नति की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत अवधि में जनपद लखनऊ में 23 लेखपालों को सहायक अध्यापक, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, भू-लेख लिपिक तथा सुपरवाइजर कानूनगो के पदों पर पदोन्नति की गयी, जिनमें से एक हरिजन है।

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले की ग्राम सभा चौधरी डीह भूमि का आवंटन

36--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चौधरी डीह, परगना सुलसीपुर, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में खेती की जमीनों के पट्टे दिये गये थे ? यदि हां, तो यह कितने व्यक्तियों को दिये गये थे और उसमें से कितने व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है और शेष को कब्जा न दिलाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। वर्ष 1975-76 में 34 व्यक्तियों को खेती के जमीनों के पट्टे दिये गये थे और इन सभी आवंटियों को वर्ष 1976 में ही भूमि का कब्जा दिला दिया गया था।

37--श्री भीखा लाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गन्ना शोध एवं गन्ना विकास के श्री आर० पी० विश्वकर्मा एवं श्री आर० पी० पाण्डेय को उप निदेशक शोध के पद पर नियुक्ति

38--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा यू० ओ० 275/12 (4)-1227-70, दिनांक 1-7-72 के बाद कृषि विभाग से गन्ना शोध संगठन के अधिकारी एवं कर्मचारी पद एवं प्रतिष्ठानों सहित जब गन्ना विकास विभाग में हस्तान्तरित हो चुके थे तो गन्ना शोध एवं गन्ना विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की कोई एक वर्ष की सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसे प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० पी० विश्वकर्मा, श्री आर० पी० पाण्डेय तथा टी० सी० पंत को किस नियम के अन्तर्गत कृषि विभाग के उपनिदेशक (शोध) के पद पर पदोन्नति की गयी थी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी नहीं ।

कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 1-7-72 के द्वारा गन्ना शोध शाहजहांपुर के नियंत्रण में कार्य कर रही समस्त गन्ना शोध इकाइयों तथा तत्सम्बन्धी आधिष्ठान गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के प्रशासकीय नियंत्रण में हस्तान्तरित कर दिया गया था । अतः गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव पर ही श्री आर० पी० विश्वकर्मा, श्री आर० पी० पाण्डेय तथा श्री टी० सी० पन्त को विभागीय ज्येष्ठता के आधार पर उप निदेशक शोध के पद पर अस्थायी एवं तदर्थ रूप से कार्य संचालनार्थ नियुक्त किया गया था ।

स्व० श्री छत्रपाल सिंह, संग्रह अमीन के जमानत लेखा में जमा धनराशि का भुगतान

39--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 354805/3-सी-आर० ए०/अधिष/जमानत दिनांक 22 मार्च, 1981 द्वारा श्री छत्रपाल सिंह संग्रह अमीन के उत्तराधिकारी को जमानत लेखा संख्या 354805 में जमा धन की वापसी मय ब्याज के भुगतान हेतु पोस्ट मास्टर लखनऊ को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

स्व० श्री छत्रपाल सिंह संग्रह की जमानत लेखा संख्या 354805 में जमा धनराशि ब्याज सहित रुपया 793.02 को अभिदाता के उत्तराधिकारी के पक्ष में अवमुक्त करते हुए उसके तुरन्त भुगतान करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा पोस्ट मास्टर लखनऊ को लिखा गया । उप डाकपाल, बचत, जी० पी० ओ० ने अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई, 1984 द्वारा सूचित किया है कि विगत 6 वर्षों से कोई लेन-देन न होने के कारण उक्त खाता बन्द कर दिया गया है । खाते को पुनः संचालित करने के लिये उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर के विद्युत विभाग के कर्मचारी स्व० श्री शम्भू दयाल का स्टाफ विद्युत कनेक्शन

40--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भू दयाल निवासी 106/109, गांधी नगर, कानपुर में रिवर पावर साइट में सेवारत थे, का स्वर्गवास जनवरी, 1973 में हो गया था ? यदि हां, तो इन्हें जो स्टाफ विद्युत कनेक्शन दिया गया था क्या वह आज तक उसी नाम में चालू था ? यदि हां, तो इस स्टाफ कनेक्शन में निहित सुविधाओं का लाभ उठाने और इसे जारी रखने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

यह सत्य है कि श्री शम्भू दयाल के नाम जो स्टाफ विद्युत कनेक्शन था वह अभी तक चालू था, जिसका नियमित भुगतान उनके पुत्र द्वारा किया जाता रहा है । जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया इस कनेक्शन को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जनवरी, 1973 से अब तक के दोनों विद्युत दरों के अन्तर के बकाया का बिल 2,379.13 रु० बना कर स्वर्गीय शम्भू दयाल के पुत्र के पास भेज दिया गया है एवं उनके अनुरोध पर बकाये को 6 किस्तों में भुगतान की अनुमति विभाग द्वारा दे दी गयी है, जिसकी 400 रु० की प्रथम किस्त दिनांक 28 अगस्त, 1984 को जमा कर दी गई है । जिस व्यक्ति को भूल-वश यह कनेक्शन विभागीय दर पर

जारी रहा उसकी जांच की जा रही है और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

रामपुर जिले के ग्राम बमनपुरा के श्री अम्मन मियां की भूमि का नहर निर्माण हेतु कथित अधिग्रहण

41—जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लगभग 7, 8 वर्ष पूर्व ग्राम बमनपुरा, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर के काश्तकार श्री अम्मन मियां पुत्र श्री मंजूर अली के गाटा संख्या 89/2 रकबा 0-20 डेसीमल में बमनपुरा माइनर नहर बना दी गई थी और इस भूमि का मुआवजा आज तक उक्त खातेदार को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसका ब्याज सहित मुआवजा काश्तकार को तुरन्त दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बमनपुरा, तहसील बिलासपुर के काश्तकार श्री अम्मन मियां पुत्र श्री मंजूर अली की भूमि गाटा संख्या-89/2 रकबई 0-20 डेसीमल का अर्जन ही नहीं किया गया है । अतः उसके लिये काश्तकार को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

बरेली जिले ग्राम हरुनगला के श्री सेवा राम के खलिहान का फसल को विद्युत स्पर्शाघात से हुई हानि

42—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली का सदर तहसील के ग्राम हरुनगला के कृषक श्री सेवाराम पुत्र श्री तोताराम की गेहूं की फसल जो खलिहान में थी, के राज्य विद्युत बोर्ड की असावधानी से जलने पर कृषक की क्षति पूर्ति का प्रार्थना पत्र, मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की संस्तुति सहित पत्रावली संख्या मु0/इ (बरेली) पैंतीस-54 एफ0 ए0/82-83 दिनांक 27-5-83 को ऊर्जा अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक मुआवजे का भुगतान श्री सेवाराम को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

जी नहीं ।

मुआवजा दिये जाने का मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विचाराधीन है ।

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय विद्युत परियोजनाओं और जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

43—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठें मंगलवार दिनांक 20-3-84 के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के ता0 प्र0 सं0 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय निर्माणाधीन तापीय एवं जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रतिशत भाग कितना हो जाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस समय निर्माणाधीन एवं प्रसंरित तापीय व जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत उत्पादन क्षमता

का प्रतिशत निम्नवत् हो जाने की सम्भावना है—

वर्ष के अन्त तक	अधिष्ठापित क्षमतानुसार	पीकिंग सामर्थ्य के अनुसार
1984-85	32.57	37.51
1989-90	26.89	29.64
1994-95	43.35	43.22

उन्नाव जिले के ग्राम बोरीखेड़ा मजरा बल्हऊमऊ के श्रीराम औतार के मकान की निकट की भूमि

44—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बोरी खेड़ा, परगना गोरिन्दा परसन्दन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में श्री राम औतार के मकान के सामने तथा उसके चक के पास चकबन्दी की जो भूमि आबादी हेतु छोड़ी गई है, वह भूमि किसको आबंटित की गयी, यदि अभी तक आबंटित नहीं की गई, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त जमीन को ग्रामवासियों में आबंटित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बोरीखेड़ा मजरा बल्हऊमऊ, परगना परसन्दन तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में श्री राम औतार के मकान के सामने तथा उसके चक के पास चकबन्दी प्रक्रियाओं में कोई भूमि आबादी हेतु नहीं छोड़ी गयी है। इस स्थान पर भूमि संख्या-210, क्षेत्रफल 4 बिस्वा, पंचायत घर के लिए चकबन्दी में सुरक्षित की गयी है, जिस पर श्री राम औतार का अनधिकृत कब्जा था। उनके विरुद्ध तहसीलदार हसनगंज के न्यायालय में दायर किये गये बाद में पारित आदेश द्वारा उन्हें इस भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

उक्त भूमि पंचायतघर के लिए सुरक्षित है। अतः उसे आबंटित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रदेश के ग्रामों की आबादी का मानचित्र

45—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मन्त्री की जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामों में ग्रामों की आबादी के विस्तृत मानचित्र नहीं हैं और इसके कारण आबादी भूमि पर अनधिकृत कब्जे की समस्या के वादों तथा वास्तविक गृह स्वामियों का अकारण परेशान करने की समस्या के वादों का निर्णय करने में नियत प्राधिकारी के पास कोई स्पष्ट मानक तथा दिशा निर्देश नहीं होते जिस कारण एक ओर आबादी भूमि पर अवैध कब्जे होते हैं और दूसरी ओर पुराने गृह स्वामियों की अवैध जुर्माने भी किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ग्राम आबादी भूमि के विस्तृत मानचित्र, जिनका स्वामित्व भी दर्शाया जाये, बनाने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

सुलतानपुर जिले के ग्राम सुजानपुर की ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

46—श्री रामस्वरूप निम—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सुजानपुर, पो० मदापुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में कुल कितनी कृषि योग्य ग्राम समाज तथा अतिरिक्त भूमि है ? उक्त भूमि के आबंटन हेतु ग्राम के निर्धन भूमिहीन हरिजनों के प्रार्थनापत्र माननीय श्री माधो प्रसाद व श्री देवी प्रसाद विधायकों की सबल संस्तुति के साथ हस्ताक्षरित माह अप्रैल, 1984 में जिलाधिकारी, सुलतानपुर व राजस्व सचिव तथा राजस्व मंत्री

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन कर्ता को अलग-अलग कुल कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी और कब्जा दिलवा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम सुजानपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कुल कृषि योग्य भूमि 7-9-14 है तथा सीलिंग की कुल 1-1-15 अतिरिक्त भूमि थी ।

श्री माधो प्रसाद व श्री देवी प्रसाद विधायकों की सबल संस्तुति के आधार पर श्री राम पदारथ को 0-14-17 और श्री राम गोपाल को 0-14-17 भूमि आवंटित की जा चुकी है । अन्य आवेदनकर्ताओं में श्री राम नेवाज तथा श्री हीरालाल, श्री राम पदारथ के सगे भाई हैं तथा एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं । श्री कोइली पात्र व्यक्तियों में नहीं आते हैं, क्योंकि संतानहीन हैं और इनके नाम भूमि भी है । सभी आवंटियों को भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है ।

बधिर विद्यालय, लखनऊ एवं ट्रेनिंग कालेज फार दि टीचर्स आफ दि डेफ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यापक एवं कर्मचारी

47—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ तथा मूक बधिर टीचर्स ट्रेनिंग कालेज लखनऊ में पृथक्-पृथक् कितने अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और यदि आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है, तो क्यों ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

लखनऊ बधिर विद्यालय ऐशबाग, लखनऊ	ट्रेनिंग कालेज फार दि टीचर्स आफ दि डेफ
15 अध्यापक, 4 लिपिक (जिनमें 1 पूर्ण कालिक तथा 3 अंश कालिक), 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जिनमें 8 पूर्ण कालिक 2 अंश कालिक) कार्यरत हैं ।	7 अध्यापक (जिनमें 3 पूर्ण कालिक 4 अंश कालिक), 2 लिपिक, 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अनु0 जाति अनु0 जनजाति	अनु0 जाति अनु0 जनजाति
अध्य पक	अध्यापक
लिपिक	लिपिक
चतुर्थ श्रेणी–3	चतुर्थ श्रेणी–3
अध्यापक वर्ग के लिये अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुये, चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है परन्तु पदों की कम संख्या होने के कारण जनजाति का आरक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका। संस्था स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जाती है। सामान्य व्यवस्था हेतु प्रति वर्ष आवर्तक अनुदान दिया जाता है चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृति के शासनादेश में आरक्षण पूर्ण किये जाने की शर्त जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।	अध्यापक वर्ग के लिए अनु0 जाति व अनु0 जनजाति के प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुये, चतुर्थ श्रेणी में अनु0 जाति का आरक्षण पूर्ण है। परन्तु पदों की कम संख्या होने के कारण जनजाति का आरक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका संस्था स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलायी जाती है। सामान्य व्यवस्था हेतु प्रति वर्ष आवर्तक अनुदान दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृति के शासनादेश में आरक्षण पूर्ण किये जाने की शर्त जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।

48—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

49—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

50–51—श्री भूधर नारायण मिश्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मथुरा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों की प्रोन्नति

52—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिपिकों के 8 पद प्रोन्नति हेतु रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या शासन वरिष्ठता के आधार पर अविलम्ब प्रोन्नति की सूची प्रकाशित कर रिक्त पदों को भरेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्रोन्नति के सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों ने वरिष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र दिये, जिस पर पुनः ज्येष्ठता सूची तैयार करके कर्मचारियों में परिचालित किया गया और उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् वरिष्ठता सूची प्रकाशित करके रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जायेगा।

मथुरा जिले के ग्राम केशोपुर में अग्निकाण्ड

53—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1984 में जनपद मथुरा के गांव केशोपुर, थाना राया में भयंकर

अग्निकाण्ड हुआ था ? यदि हां, तो कुल क्षति क्या थी और शासन ने पीड़ितों की क्या-क्या मदद की तथा परिवार-वाइज मदद सूची क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 22-5-84 को जनपद मथुरा के गांव केशोपुर, थाना राया में अग्निकांड हुआ था, कुल अनुमानित क्षति 1,75,700 आंकी गई है। शासन ने अग्निकांड से पीड़ित 26 परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में 6,300 रुपये तथा गृह निर्माण अनुदान के रूप में 8,800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जिसकी परिवार वाइज मदद सूची संलग्न है।

(देखिये मत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 109 पर।)

मथुरा जिले के ग्राम सुथरिया में अग्निकाण्ड

54—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 मई, 1984 को जनपद मथुरा के गांव सुथरिया में भयंकर अग्निकांड हुआ जिसमें करीब 90 घर जलकर राख हो गये ? यदि हां, तो बेघर हुए परिवारों को शासन ने क्या-क्या मदद की ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 18-5-84 को जनपद मथुरा के गांव सुथरिया में हुए अग्निकांड से 48 घर पूर्णतया जल गये और 78 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। जिसमें से 116 परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में 34,000 रुपये तथा गृह निर्माण अनुदान के रूप में 30,400 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई जिसका पूर्ण विवरण† संलग्न है।

†छापी नहीं गई।

प्रदेश में हुए अग्निकांड

55—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अप्रैल, 1984 से 31-5-84 तक कितने अग्निकांड हुए तथा उनमें कितनी क्षति हुई ? शासन ने पीड़ितों की कितनी-कितनी क्षति पूर्ति की ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जिले के ग्राम बौरी खेड़ा में भूमि का कथित आवंटन

56—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुंवर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 3-4-84 का पत्र, जो ग्राम बौरी खेड़ा, परगना गोविन्दा, परसन्दन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में गांव की पश्चिमी ओर आबादी हेतु भूमि को राम औतार पुत्र रघुवर निवासी उपरोक्त द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या आबादी की जमीन वहां के निवासियों को आबंटित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री कुंवर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा का कथित प्रश्न शासन को प्राप्त हुआ था। किन्तु ग्राम बौरी खेड़ा में पश्चिम की ओर आबादी आवंटन हेतु कोई भूमि नहीं छोड़ी गई है। अतः उक्त स्थान पर आबादी हेतु भूमि आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

जौनपुर जिले के ग्राम शेखपुरा के श्री लोटू, हरिजन को भूमि का आवंटन

57--श्री किरन पाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जोखू पुत्र लोटू हरिजन, निवासी ग्राम शेखपुरा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को उनके ही ग्राम में 1976 में गाटा संख्या 174 की 12 डिसमिल रकबा जमीन पट्टा किया गया था ? क्या उक्त हरिजन को आवास निर्माण हेतु मिली उक्त जमीन पर कब्जा मिल गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त जमीन पर किसी सवर्ण ने अपना मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो ऐसा करने वाले को बेदखल कर उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

इस संबंध में जिलाधिकारी, जौनपुर से जानकारी प्राप्त हुई है वह पर्याप्त नहीं है। विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है ?

बुलन्दशहर के गांव पिपाला ग्राम सभा की भूमि का अनियमित पट्टा

58--श्री किरनपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिपाला, जनपद व तहसील बुलन्दशहर के निवासी श्री मूलचन्द्र शर्मा, पुत्र श्री खजान सिंह तथा उन्हीं के परिवार के अन्य लोगों द्वारा पिपाला गांव की ग्राम सभा का लगभग 200 बीघा जमीन, जो हरिजनों को आवंटित होना थी, पर अनियमित ढंग से कई वर्षों से कब्जा किये रखने से संबंधित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 19-4-1984 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त संबंध में जांच करा कर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त श्री मूलचन्द्र शर्मा से ग्राम समाज की हड़पी समस्त जमीन गांव के गरीब हरिजनों में आवंटित की जायेगी तथा जो लाभ उक्त जमीन से अनियमित रूप से श्री शर्मा ने अर्जित किया है वह उनसे वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। शिकायती-पत्र की जांच कराई गयी और श्री हुकमचंद और शिवदत्त, जो श्री मूलचन्द्र शर्मा के सगे भाई हैं, को अनियमित पट्टे किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया। इन अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। श्री मूलचंद शर्मा का ग्राम समाज की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा न होने के कारण उनसे हर्जाने की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

59--श्री किरनपाल सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

60--श्री यमुना प्रसाद--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री गोपीनाथ वर्मा के अता० प्र० सं० 126 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जांच अधिकारी किसको नियुक्त किया गया और उसने जांच कार्य कब आरम्भ किया ? यदि हां, तो जांच आख्या प्राप्त हो गयी है तो उसकी प्रति सदन के पटल पर रखते हुये यह बतायेंगे कि आख्या पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

जी हां ।

पुनः जांच करने के लिये आदेश निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को दिये गये थे ।

जांच कार्य दिनांक 26-2-1983 को प्रारम्भ किया गया । जांच आख्या प्राप्त हो गई है उसकी प्रति संलग्न है । जांच आख्या के आधार पर निदेशक को विद्यालय में की जाने वाली नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नीति/आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा लेखा आपत्तियों के निराकरण के कार्य का सुचारु रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

कार्यालय, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 के लिपिक की सचिवालय वित्त विभाग में नियुक्ति

61—श्री यमुना प्रसाद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0, लखनऊ का एक लिपिक वित्त सचिव, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय में विगत 8, 10 वर्षों से कार्यरत है और अपना वेतन प्रतिमास मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करता है ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या है और क्या शासन ने मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक लिपिक का पद कम कर दिया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

†छपी नहीं गयी ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालय का एक लिपिक उनके द्वारा सचिवालय स्तर पर भेजे गये पत्रों/सन्दर्भों आदि पर तत्परता से कार्यवाही होने के उद्देश्य से सम्बन्धित अनुभागों से सम्पर्क आदि कार्य करता है । चूंकि वह उनके कार्यालय का ही कार्य करता है अतः उसे वेतन उन्हीं के कार्यालय से मिलता है । उनके यहां एक लिपिक के पद को कम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले के ग्राम बुझिया में विमुक्त जाति की कालोनी का कथित निर्माण

62--श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन ने सन् 1956-57 में तहसील नानपारा, वि0खं0, मिहीपुरवा बहराइच के अन्तर्गत ग्राम बुझिया में एक विमुक्त जाति की कालोनी बनाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी का निर्माण उक्त नाम से हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वहां पर कालोनी के नाम से एक मकान भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कतिपय ग्रामों के जीर्ण-शीर्ण अभिलेख

63--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 5वें शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष 84 गांव के अभिलेखों के

जीर्ण-शीर्ण होने, उनमें से अधिक गल्तियों के विद्यमान होने के क्या प्रमुख कारण हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश गांवों में बिना चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हुए अधिकांश में चकबन्दी पूरा होना दिखा दी गयी है ? क्या यह सही है कि गांव के बहुत से वास्तविक अभिलेख गायब हैं ? यदि हां, तो उसके लिये कौन से लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील सगड़ी के प्रश्नगत 84 ग्रामों के अभिलेख समय-समय पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, अभिलेखों के हस्तानान्तरण, विभिन्न कार्य हेतु उनके प्रयोग तथा अधिक दिनों से पड़े रहने एवं मौसम के प्रभाव के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं । विभिन्न स्तर पर तैयार किये गये अभिलेखों के यथा समय समुचित मिलान न किये जाने के कारण उनमें गल्तियां विद्यमान हैं । 18 ग्रामों में धारा 52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है, किन्तु इनमें से 17 ग्रामों के अभिलेख जांच न होने तथा अन्तिम भू-चित्र न बनने के कारण जमा नहीं कराये जा सके हैं । केवल एक ग्राम हरैया के कुछ अभिलेख गायब हो गये हैं जिनके लिये श्री रामनरेश, लेखपाल को समुचित दण्ड दे दिया गया है । इस गांव के गायब अभिलेखों का पुनः निर्माण भी हो गया है । अन्य किसी ग्राम का अभिलेख गायब नहीं है ।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबन्दी, आजमगढ़ को निर्देश दिये गये हैं कि उक्त ग्रामों के अभिलेखों में जो त्रुटियां विद्यमान हैं उन्हें तुरन्त ठीक करायें तथा उक्त 17 ग्रामों के अभिलेखों को धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन का प्रस्ताव भेजने से पूर्व ही तहसील व माल अभिलेखागार में जमा कराना था, इन्हें तुरन्त जमा कराया जावे । साथ ही उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करावें ।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड हरैया के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

64--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 9वें मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 116 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया विकास खंड में अविद्युतीकृत 73 गांवों के विद्युतीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? इन गांवों के विद्युतीकरण हेतु कब तक योजना बनायी जायेगी तथा इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हरैया विकास खण्ड में एस० पी० ए० योजना चल रही है, जिसमें वर्ष 1984 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । इस योजना के अन्तर्गत केवल निजी नलकूपों का विद्युतीकरण किया जाता है और गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जाता है । इस योजना के समाप्त होने के बाद ही ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए एक आर० ई० सी० की योजना बन सकती है । नई योजना बनने तथा स्वीकृत होने के पश्चात् ही हरैया ब्लाक के अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रोग्राम बनाया जा सकता है ।

मेरठ जिले के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, श्री जसराम सिंह को दिया गया शासनादेश

65--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने मार्च, 1984 में

जिला अधिकारी, मेरठ को आदेश दिया था कि श्री जसराम सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मेरठ से जनपद मेरठ व मुजफ्फरनगर का कोई कार्य न लिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पहले इन्हें मथुरा जनपद का कार्य दिया गया और फिर यह मेरठ का ही कार्य देखने लगे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री जसराम सिंह नाम का सहायक चकबन्दी अधिकारी मेरठ में नियुक्त नहीं था बल्कि इस नाम से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मेरठ नियुक्त थे। शासनादेश संख्या 58(14)/1/84-187, दिनांक 20-3-84 द्वारा चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दिये गये थे कि श्री जसराम सिंह, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी से मेरठ जनपद की अपीलें न सुनवाई जायें। चकबन्दी आयुक्त ने श्री जसराम सिंह का प्रोग्राम मथुरा निर्धारित किया परन्तु मेरठ की अपीलें न सुनने का स्पष्ट आदेश नहीं भेजा। शासनादेश दिनांक 20-3-84 का पालन किन परिस्थितियों में नहीं किया, इसकी जांच की जा रही है।

आजमगढ़ के विकास खण्ड, अजमतगढ़ के ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

66--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 9व मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 317 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, आजमगढ़ में अविद्युतीकरण 79 गांवों के विद्युतीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम न बनाये जाने के क्या कारण हैं ? इन गांवों के विद्युतीकरण हेतु कब तक योजना बनायी जायेगी तथा इनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आजमगढ़ विकास खण्ड में 11/80 से एस0 पी0 ए0 योजना लागू है और 11/84 को समाप्त हो जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत केवल निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का प्राविधान है। एस0 पी0 ए0 योजना पूर्ण हो जाने के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पोषित योजना बनाने पर विचार किया जायेगा, जिसमें नियमानुसार ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान होगा। योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात् नियमानुसार शेष ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा।

बुलन्दशहर, सहकारी गन्ना समिति में श्री तपीराज, मेट एवं श्री लाल बिहारी लाल, चपरासी की नियुक्ति

67--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर ने श्री तपी राज स्टोर मेट को विगत आठ माह से तथा लाल बिहारी सीजनल चपरासी, गन्ना समिति, बुलन्दशहर को विगत चार माह से बिना कोई चुनाव प्रक्रिया अपनाये अनियमित ढंग से नियुक्त कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित कार्य के लिये जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

श्री तपी राज, मेट, सहकारी गन्ना समिति, बुलन्दशहर की नियुक्ति उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली 1975 के तहत गठित की गयी क्षेत्रीय सेवा प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त की गयी। श्री लाल बिहारी, सामयिक चपरासी की नियुक्ति समिति के कार्य संचालनार्थ क्षेत्रीय सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा केवल पेराई सत्र के लिये ही की गयी

थी जिसे सत्र की समाप्ति पर सेवा मुक्त कर दिया गया। अतः जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

बाराबंकी जिले की रामसनेहीघाट तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभाओं की भूमि का आबंटन

68—श्री रामहर्ष मिश्र तथा श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में ऐसी कितनी ग्राम सभाएं हैं, जिनमें सम्पूर्ण ग्राम समाज व अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का आबंटन भूमिहीन हरिजनों को नहीं किया गया है ? उक्त तहसील की उक्त प्रत्येक ग्राम सभाओं में ग्राम समाज व अतिरिक्त कृषि योग्य अलग-अलग कुल कितनी भूमि है और उक्त सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का आबंटन निर्धन एवं भूमिहीन हरिजनों को कब तक आबंटित करके कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1983-84 में चलाये गये विशेष भूमि आबंटन अभियान के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में कुल 186 ग्राम सभाओं में 1211 हे0 ग्राम समाज तथा इन्हीं में से 38 ग्राम सभाओं में 62.40 हे0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि प्रकाश में जिसका पात्र व्यक्तियों में आबंटन किया जाना अवशेष है। इन 186 ग्राम सभाओं में से 81 ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत होने के कारण, इन ग्रामों में उपलब्ध 338 हे0 ग्राम समाज भूमि का आबंटन किया जाना तब तक संभव नहीं है जब तक इन ग्रामों के सम्बन्ध में चकबन्दी कार्य पूर्ण न हो जाय। सीलिंग से उपलब्ध अतिरिक्त घोषित भूमि आबंटन हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा उपलब्ध भूमि का आबंटन पात्र व्यक्तियों को शीघ्र कर दिया जायेगा।

आजमगढ़ जिले में सामूहिक लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्पिंग सेटों की खरीद

69—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 8वें बधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना बोरिंग के लगभग 5 लाख रुपये के पम्पिंग सेट खरीदे जाने का क्या औचित्य है ? इनमें से कितने पम्पिंग सेट वर्ष 83-84 बोरिंग के बाद प्रयोग में लाये गये क्या यह सही है कि प्रयोग न होने से ये पम्पिंग सेट खराब हो रहे हैं ? इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

सामूहिक लघु सिंचाई कार्यक्रम में 70 पम्पिंग सेट एवं 184 बोरिंग हेतु पाइप इत्यादि के क्रय करने की आपूर्ति के आदेश दो अलग-अलग फर्मों को मार्च, 1983 में दिये गये। 50 पम्पिंग सेट कीमत 4,99,922 रु0 की आपूर्ति मार्च, 1983 में हो गई किन्तु पाइप इत्यादि से सम्बन्धित फर्म ने पाइप का मूल्य बढ़ जाने के कारण आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया। जिसके फलस्वरूप पाइप इत्यादि का क्रय पम्पिंग सेट की आपूर्ति के पश्चात् वर्ष 83-84 के अंतिम त्रैमास में किया जा सका। वर्ष 1983-84 में केवल 6 बोरिंग पूरी हो पाई। फर्म को पम्पिंग सेट के ट्रायल के लिये निर्देश दिया गया है कि वह बोरिंग स्थल पर पम्पिंग सेट का ट्रायल दे दें अभी ट्रायल नहीं हुआ। अतः कोई पम्पिंग सेट प्रयोग में नहीं लाया गया।

पम्पिंग सेट विकास खंड मुख्यालयों में पूर्ववत् मूल पैकिंग के साथ सुरक्षित रखे हुये हैं पम्प सेटों की ट्रायल कराने हेतु फर्म का 5 % भुगतान भी रोका

गया है । पम्पिंग सेट वर्ष 1982-83 में कार्यरत अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) द्वारा खरीदे गये थे। पम्पिंग सेट खोलने पर यदि कोई खराबी हुई होगी तो उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा अमुआरी नारायनपुर में हरिजन कालोनी का निर्माण

70--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 5वें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

निर्माण कार्य माह मई, 1984 के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ किया गया । अनुमान है कि निर्माण कार्य दिसम्बर, 1984 के पूर्व ही पूरा करा दिया जायेगा ।

बुलन्दशहर के ग्राम औलीना के श्री सोहन सिंह की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु

71--श्री किरनपाल सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सोहन सिंह धोबी, निवासी ग्राम औलीना, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर की 29-5-84 को सुबह 6 बजे विद्युत् विभाग की ग्यारह हजार वोल्टेज का तार टूटने से उसी के गांव के उत्तर पश्चिम में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतक सोहन सिंह के परिवार को क्या सहायता राशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

मृतक के कानूनी वारिस को अनुग्रह धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा 1,000 रु0 (एक हजार रुपया) अंतरिम अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की जा चुकी है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम मानिकपुर का विद्युतीकरण

72--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के छठें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 152 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम मानिकपुर का सामान्य योजना में विद्युतीकरण कराने के लिए उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ग्राम मानिकपुर सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु समस्त 14 बत्ती एवं पंखे के लिए बिजली के आवेदनों को दिनांक 23-2-82 को धरोहर राशि एवं सर्विस लाइन व्यय जमा करने हेतु विभागीय नियम व शर्तें जारी कर दी गई थीं और दिनांक 7-4-82 को पुनः उपरोक्त आवेदकों को अनुस्मारक भेजे गए थे परन्तु उन्होंने कनेक्शन लेने हेतु नियम व शर्तें पूरी नहीं की ।

आजमगढ़ जिले के विद्युत् उपकेन्द्र, रौनापार द्वारा विद्युत् आपूर्ति

73--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 7वें मंगलवार के अ0 प्र0 सं0 7, 8, 10 तथा 15 के उत्तर के सन्दर्भ में

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे पूर्वी फीडर की कितना लोड उठाने की क्षमता है पूर्वी तथा पश्चिमी फीडर को मिलाकर कुल कितना लोड है ? क्या यह सही है कि पूर्वी तथा पश्चिमी फीडर का कुल लोड अकेले पूर्वी फीडर द्वारा वहन किया जाना सम्भव नहीं था इस कारण अगस्त, 1983 से दिसम्बर, 1983 तक किसानों को विद्युत् की नियमित आपूर्ति नहीं हो सकी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र रौनापार से निकले पूर्वी फीडर की लोड उठाने की क्षमता 100 (एक सौ) एम्पीयर है । पूर्वी तथा पश्चिमी फीडरों को मिलाकर कुल लोड 75 एम्पीयर है ।

जी नहीं । पूर्वी तथा पश्चिमी फीडर का कुल लोड अकेले पूर्वी फीडर द्वारा वहन किया जाना सम्भव था । अगस्त 1983 से दिसम्बर 1983 तक किसानों को सामान्यतया निर्धारित सीमा तक औसत विद्युत् आपूर्ति की गई है इस लिए किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सानहरा, आजमगढ़ में श्री कन्हैया लाल की अध्यापक के पद पर नियुक्ति

74—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 98 के उत्तर के सम्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदित नियक्ति को अनुमोदित करने का अधिकार निदेशक को किस नियम द्वारा प्राप्त है ? क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक अनर्ह था तथा उसकी नियुक्ति शासनादेश का उल्लंघन करके की गयी थी ? यदि हां, तो उसे वेतन भुगतान क्यों किया जा रहा है ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

हरिजन कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर अनुदानित संस्थाओं में किसी भी नियुक्ति के अनुमोदन का अधिकार, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश में निहित है ।

जी हां ।

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने पर नियत वेतन दिया जा रहा है ।

75—76—77—श्री पंचानन राय—

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 74, 75 व 76 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

आजमगढ़ के विकास खंड हरैया में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लागू किए जाने की मांग

78—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 4थे बुध के अता0 प्र0 स0 80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानक के अनुसार कोई सूची बनी है ? यदि हां, तो हरैया ब्लाक किस क्रम-संख्या पर आता है तथा कितने ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान लागू है ? इस ब्लाक में उक्त योजना का लागू किया जाना कब तक सम्भव होगा ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पूरे प्रदेश में लागू है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सघनीकृत विकास

हेतु चयनित विकास खंडों की कोई सूची नहीं बनी है। अतः हरैया विकास खंड की क्रम संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आजमगढ़ जनपद में 15 विकास खंडों में लागू है। हरैया विकास खंड में उक्त योजना का लागू किया जाना कब तक सम्भव होगा, अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है, शासन द्वारा इस पर आगामी वर्ष में विचार होगा।

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोनहरा, आजमगढ़ में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति

79--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 5वें बुध के अता0 प्र0 संख्या 70 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रशिक्षित व्यक्ति संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह है तथा सन्दर्भित शासनादेश द्वारा शासन ने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है? यदि हां, तो शासनादेश के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को वेतन क्यों दिया गया?

श्री सुखदेव प्रसाद--

जी हां।

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के फल-स्वरूप नियत वेतन का भुगतान किया गया।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड अजमतगढ़ के अन्तर्गत समेकित बाल विकास परियोजना को लागू किये जाने की मांग

80--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 81 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वर्ष 1984-85 में विकास खंड, अजमतगढ़, बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की कृपा करेगी?

श्री सुखदेव प्रसाद--

समेकित बाल विकास परियोजनाओं का चयन भारत सरकार अन्तिम रूप से करती है। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खंड में वर्ष 1984-85 में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की संस्तुति भारत सरकार को भेजी गई थी, परन्तु उनके द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।

आजमगढ़ जिले की हरिजन प्राइमरी पाठशाला, सोनहरा में श्री कन्हैया लाल की अवैधानिक नियुक्ति

81--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 98 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा नियुक्ति अनुमोदित न किये जाने के क्या कारण थे? क्या उक्त नियुक्ति नियम विरुद्ध थी? यदि हां, तो निदेशक ने किस आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन किया था?

श्री सुखदेव प्रसाद--

नियुक्त अध्यापक अप्रशिक्षित एवं अनर्ह था।

जी हां।

शासनादेश में लगायी गयी रोक के विरुद्ध थे।

संस्था में बालकों की संख्या में वृद्धि के आधार पर निदेशक ने प्रश्नगत

अध्यापक की नियत वेतन पर प्रबन्धक द्वारा की गयी नियुक्ति को स्वतः अनुमोदित किया था ।

अनुसूचित जनजाति विकास निगम के सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति

82--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जनजाति वित्त निगम में सामान्य प्रबन्धक के पद पर किसी सामान्य ग्रेड के खन्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति का क्या औचित्य है ? क्या उक्त अधिकारी इस विभाग के किसी उच्च अधिकारी का सम्बन्धी भी है ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

प्रश्न में अनुसूचित जनजाति वित्त निगम का उल्लेख किया गया है । कदाचित प्रश्नकर्त्ता का आशय तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0 से है । यदि माननीय विधायक का आशय यही है तो प्रश्न का उत्तर निम्नवत् है :

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0 में सामान्य प्रबन्धक के पद पर सामान्य ग्रेड के खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है बल्कि इस पद पर विशेष वेतन क्रम के खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की गयी है ।

इस निगम द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास का कार्य किया जाता है जो ग्राम्य विकास के ही कार्यों के समान है । अस्तु कार्यक्रमों के उचित नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु ग्राम्य विकास के अनुभवी एवं वरिष्ठ खंड विकास अधिकारी को सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करना उचित समझा गया ।

उक्त अधिकारी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी का सम्बन्धी नहीं है ।

आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा हाजीपुर की भूमि पर अवैध कब्जा

83--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हाजीपुर, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है तथा ग्राम प्रधान द्वारा उसकी शिकायतें 1983 में थाना-अध्यक्ष-पवई, तहसीलदार एवं परगनाधिकारी, फूलपुर, आजमगढ़ को की गयी है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रधान, गांव सभा, हाजीपुर ने गांव सभा भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने विषयक एक प्रार्थनापत्र दिनांक 5-3-83 को केवल थानाध्यक्ष, पवई को दिया था । थानाध्यक्ष, पवई द्वारा अवैध निर्माण कार्य तुरन्त रुकवा दिया गया था खोदी गई भूमि को पटवा दिया गया । गांव सभा भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम आराजी अजगरा, भगरवी का घुसवा टोला में अग्निकाण्ड

84--श्री पंचानन राय--

क्या सत्र राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम पत्र 84 के 2रे शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1983 जो मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिलाधिकारी, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि अग्निकांड से प्रभावित सात परिवारों में से प्रत्येक के पास 3-1/8 एकड़ से अधिक भूमि है, उनके खाने-पीने की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की जीवन हानि नहीं हुई तथा आर्थिक स्थिति सामान्य है। मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से सहायता देना उचित नहीं पाया गया।

आजमगढ़, कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं आरक्षण कोटा

85--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अ0प्र0 सं0 77 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1979 से 31-12-1983 तक हुई नियुक्तियों में हरिजन आरक्षण पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह रिक्तियां कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों से भरी गई हैं या इन पर बाहर के व्यक्ति भी नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

1 जनवरी, 1979 से 31-12-1983 तक हुई 35 रिक्तियों में 10 हरिजन अभ्यर्थी नियुक्त किये गये हैं। स्पष्ट है कि आरक्षण पूरा है। 16 रिक्तियों को उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्राविधानों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा भरा गया है, तथा शेष रिक्तियां नियमानुसार कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों द्वारा भरी गयी हैं।

चकबन्दी विभाग, देवरिया के स्व0 श्री हरि नरेश लाल, चकबन्दी कर्त्ता के स्थान पर उनके पुत्र, श्री विजय कुमार की नियुक्ति की मांग

86--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि श्री हरिनरेश लाल, चकबन्दी कर्त्ता की मृत्यु सेवाकाल में हो गई तथा उनके पुत्र श्री विजय कुमार की योग्यतानुसार नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा चकबन्दी आयुक्त को कोई पत्र वर्ष 1983 में दिया गया है ? यदि हां, इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, देवरिया पड़रौना को उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेज दिया गया है। श्री श्रीवास्तव को भी उनके घर के पते पर निर्देशित किया गया है कि वह उक्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से सम्पर्क स्थापित करें।

आजमगढ़ जिले के चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों की दक्षता रोक

87--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च, 1983 में दक्षता रोक पार करना था ? इसमें कौन कौन से ऐसे हैं, जिन्हें 21-3-1984 तक दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है ? इसके प्रमुख कारण क्या है तथा इन्हें कब तक दक्षता

श्री यशपाल सिंह—

अब ऐसा कोई कर्मचारी उप कृषि निदेशक गोरखपुर के अधीन कार्यरत नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के लार एवं सलेमपुर टाउन एरिया में किये गये व्यय का विवरण

95—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के लार एवं सलेमपुर टाउन एरिया में वर्ष 1983-84 में कितना धन अलग-अलग और किस कार्य हेतु व्यय किया गया तथा इन कार्यों की प्रगति क्या रही ?

श्री विद्या भूषण—

टाउन एरिया, लार एवं सलेमपुर कमेटियों में वर्ष 1983-84 में किये गये व्यय का मदवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम-संख्या	पदनाम	टाउन एरिया लार द्वारा व्यय की गई धनराशि (रुपयों में)	टाउन एरिया सलेमपुर द्वारा व्यय की गयी धनराशि (रुपयों में)
1	सामान्य प्रशासन एवं कर संग्रह	1,61,589.89	15,805.90
2	विद्युत् प्रकाश व्यवस्था	24,592.95	84,420.70
3	निर्माण कार्य	90,246.89	66,576.97
4	विविध कार्य	21,844.12	19,271.24

सम्बन्धित कार्यों की प्रगति संतोषजनक रही है ।

प्रधानों के निर्वाचन में फतेहपुर जनपद के ग्राम मलता में अवैध पाये गये नामांकन-पत्र तथा श्री प्रकाश दत्त शुक्ल व श्रीमती करूणा देवी शुक्ला के नामांकन-पत्र गलत ढंग से खारिज किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

96—श्री भगवानदीन कुशवाहा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत प्रधानों के निर्वाचन में जनपद फतेहपुर के ब्लाक मलवा की नामांकन में हुई धांधली से सम्बन्धित शिकायती-पत्र चुनाव होने से अब तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो ब्लाक मलवां में कुल कितने नामांकन-पत्र वैध पाये गये और जो अवैध पाय गये वह किन कारणों से ? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मलवां के न्याय पंचायत आगे से प्रधान पद के दो उम्मीदवार श्री प्रकाश दत्त शुक्ल व श्रीमती करूणा देवी शुक्ला ने भी नामांकन-पत्र भरे थे, लेकिन उन्हें खंड विकास अधिकारी द्वारा किन नियमों के तहत खारिज किया गया ? यदि नामांकन

ग्राम विद्युतीकरण योजना नहीं है । अतः हरिजन बस्ती या गांव में विद्युत् कनेक्शन देना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम सूरजपुर के श्री बैजनाथ राम के बिजली के बिल की बकाया वसूली

91--श्री राजकुमार राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-7-83 बाबत समाप्त करने बिजली का बिल बनाम बैजनाथ राय, निवासी सूरजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री बैजनाथ राय पुत्र श्री निर्धन राय, ग्राम सूरजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के नलकूप के विरुद्ध बिजली के बकाये की वसूली निरस्त करने सम्बन्धी माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 25-7-83 प्राप्त हुआ है ।

इस विषय में यह पाया गया कि श्री बैजनाथ राय पुत्र श्री निर्धन राय के नाम से कोई कनेक्शन नहीं है किन्तु श्री बैजनाथ राय पुत्र श्री राम आधार राय का नाम लेजर में अंकित है जिसके विरुद्ध 23895.03 रु0 क. वसूली के लिए नोटिस भेजी गयी थी, जिसे तहसीलदार ने यह लिख कर वापस कर दिया है कि श्री बैजनाथ राय पुत्र राम आधार राय नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सूरजपुर में नहीं है, जिससे बकाया धन की वसूली की जा सकें ।

इस सम्बन्ध में अग्रिम जांच की जा रही है, तदोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम हंकारीपुर के श्री गोधन राम के, चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

92--श्री राजकुमार राय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गोधन राम विशारद का पत्र दिनांक 2-2-84 प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 10-2-84 के साथ टुकड़ा हंकारीपुर, परगना नत्थूपुर, तह0 घोसी, जिला आजमगढ़ की चकबन्दी हेतु विज्ञाप्ति करने के लिए मिला था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, आजमगढ़ को प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम भूड़ाडाद मनियार की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

93--श्री राजकुमार राय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भूड़ाडाद मनियार, परगना नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान जद्दू प्रसाद यादव का शिकायती-पत्र चकबन्दी के बाद भी खसरा खतौनी तहसील व जिला पर न पहुंचने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-8-83 के साथ मिला था ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम भूड़ाडाद, परगना नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान जद्दू प्रसाद यादव का संबंधित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-8-1983 के साथ प्राप्त नहीं हुआ है वरन् प्रश्नकर्ता के दिनांक रहित पत्र के साथ श्री सागर

आदि ग्राम भूड़ाडीह मनियार, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, आजमगढ़ के माध्यम से जांच कराई जा रही है।

किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, आजमगढ़ में कर्मचारियों की नियुक्ति और गन्ना उत्पादक हेतु किये गये कार्य

94--श्री राजकुमार राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल, घोसी, आजमगढ़ में अब तक (30-8-83 तक) कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है? उसमें कौन-कौन कर्मचारी स्थायी तथा कौन-कौन दैनिक मजदूरी पर हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, (आजमगढ़) में दिनांक 30-8-83 तक कुल 1 2 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उनमें से 50 कर्मचारी नियमित एवं 82 कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर हैं।

95--श्री राज कुमार राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घोसी चीनी मिल के लिये कौन-कौन से ब्लाक चुने गये हैं और उन ब्लाकों में गन्ना उत्पादन एवं विकास हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये और कितनी धनराशि व्यय की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

घोसी चीनी मिल (आजमगढ़) के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित विकास खंड शामिल हैं :--

तहसील	विकास खंड
घोसी (आजमगढ़)	घोसी, कोपागंज, बढ़रांव, दोहरीघाट तथा फतेहपुर।
मंडाव (आजमगढ़)	मगड़ी अजमतगंज तथा हरैया।
बांसगांव (गोरखपुर)	बड़हलगंज, गगहा तथा गोला।

इन विकास खंडों में गन्ना विकास के लिए की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

उक्त कार्य पर कुल 3,91,931.18 रुपये व्यय किया गया।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 111 पर।)

आजमगढ़ जिले के ग्राम अहमदपुर असना के विद्युतीकरण की मांग

96--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के असना (मुख्य ग्राम) तथा (हरिजन बस्ती) के विद्युतीकरण हेतु प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1984 को मिला है? यदि हां, तो क्या शासन उसके शीघ्र विद्युतीकरण के लिये विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त--

हां आजमगढ़ जनपद की घोसी तहसील में अहमदपुर असना (मुख्य ग्राम) तथा (हरिजन बस्ती) के विद्युतीकरण हेतु दिनांक 10 फरवरी, 1984 का माननीय विधायक जी का पत्र प्राप्त हुआ है, परन्तु अहमदपुर असना नाम का ग्राम इस खंड में नहीं है, इस तहसील की विकास खंड वडराव में एक

एस0 पी0 ए0 योजना, जो नलकूप ऊर्जन से सम्बन्धित है, चल रही है। उक्त योजना की समाप्ति के बाद ही अन्य योजना जिसमें ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान होगा, नियमानुसार लेना सम्भव होगा।

आजमगढ़ जिले के स्व0 रमेश राय तथा राम जन्म की क्षति पूर्ति से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

97--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें स्व0 रमेश राय तथा राम जन्म के क्षतिपूर्ति के विषय में कृष्णादेव राय निवासी मोहम्मदाबाद, मियाह, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का 11 अगस्त, 1983 का पत्र प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति-पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1984 के साथ मिला था ? यदि हां, तो क्लेम का निपटारा कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

मृतक के आश्रितों को तदर्थ रूप से 1,000 रु0 (एक हजार रुपया) जिलाधिकारी, आजमगढ़ के माध्यम से दिया जा चुका है। क्लेम का निपटारा क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के प्राप्त होने पर किया जायगा। साधारणतया ऐसे मामलों में कुल मिलाकर रु0 5,000 अनुग्रह धनराशि स्वीकार किये जाने का नियम है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जिवहार निवासी श्री भानदत्त यादव की विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा धनराशि

98--श्री राज कुमार राय--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भानदत्त यादव तथा 6 अन्य उपभोक्ताओं ने रसीद बुक नं0 195909 के तहत दिनांक 5 नवम्बर, 1980 को प्रत्येक ने 25-25 रु0 की धनराशि अपने ग्राम जिवहार, ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में बिजली कनेक्शन पाने हेतु जमा किया था तथा उस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का भी पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1984 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक बिजली न दिये जाने के कारण क्या हैं तथा बिजली कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त --

जी हां।

श्री भानदत्त यादव तथा 6 अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 5 नवम्बर, 1980 को बत्ती एवं पखा, कनेक्शन हेतु प्रत्येक मे रु0 25.00 की अग्रिम धनराशि जमा की थी। प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1984 का इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। इन व्यक्तियों को अब तक विद्युत् कनेक्शन ग्राम में आपसी विवाद के कारण नहीं दिया जा सका है। आपसी विवाद समाप्त होने पर तथा इन सभी व्यक्तियों द्वारा अन्य विभागीय औपचारिकतायें पूरी करने पर कनेक्शन दे दिया जायेगा।

देवरिया जिले की ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, तप्पा पटना के ग्राम प्रधान द्वारा पोखरियों का किया गया पट्टा एवं धनराशि के खर्च का विवरण

99--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, तप्पा पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के किस-किस प्रस्ताव द्वारा उस ग्राम की एक पोखरी में पिछले तीन साल से सिंघाड़ा रोपने तथा वर्ष 1983 में चार पोखरियों की मछलियां निकलवा कर बेचने तथा वर्ष 1984 में उस ग्राम की तीन पोखरियों

की मछली मारने हेतु 10 साल का पट्टा देने की अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या उक्त सभी कार्य ग्राम प्रधान ने अपनी मर्जी से किये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित सभी अनियमितताएं जांचोपरान्त सही पायी गयी हैं । ग्राम प्रधान को इस अनियमितताओं के कारण दिनांक 25 अप्रैल, 1984 को ही निलम्बित कर दिया गया था । किन्तु प्रधान ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध न्यायालय से 7 मई, 1984 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः कोई अन्य प्रशासनिक कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के उपरान्त सम्भव होगी ।

100--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम में पिछले तीन सालों के दौरान सिंघाड़ा रोपने व मछलियां निकलवाकर बेचने से जो आय हुई उसे ग्राम सभा के कोष में कब-कब जमा किया गया है तथा उसे खर्च करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में ग्राम सभा ने कब-कब और क्या प्रस्ताव किया है और यदि बिना प्रस्ताव के ही उक्त सब राशि खर्च की गयी है तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां, उल्लिखित आय गांव सभा कोष में नहीं जमा की गयी है और न तो उसे खर्च करने के लिये कोई प्रस्ताव पास किया गया है । कोई अन्य कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही सम्भव होगी ।

101--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1984 में उक्त ग्राम की तीन पोखरियों की, 10 साला पट्टा देने के समय, उक्त ग्राम के कहार जाति के व्यक्तियों को बोली बोलने से वंचित क्यों रखा गया जबकि शासनादेशानुसार वह प्रथम वरीयता प्राप्त व्यक्तियों की सूची में थे ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध पट्टों को निरस्त कर शासनादेशानुसार उस ग्राम के लिए तहसीलदार सदर, देवरिया द्वारा दिये गये राशन कार्ड संख्या 230205 रखने वाले कहार जाति के व्यक्तियों श्री राजेन्द्र व महेन्द्र कहार को पट्टा देने के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं, जो वर्तमान पट्टे की दर से दूने पर पट्टा देने को तैयार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां में कहार जाति का कोई मूल निवास नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले की ग्राम सभा रामपुर हिरावन तप्पा नगवा के कब्रिस्तान को भूमि दिये जाने की मांग

102--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रामपुर हिरावन, तप्पा नगवा, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के कब्रिस्तान पर स्थित करबला में हर साल मुहर्रम के ताजिये दफन करने के दिन कब्रिस्तान पर इकट्ठा होने वाले लोगों द्वारा मुस्लिम सरह के खिलाफ, कब्रों पर जूते पहनकर चलने, उन पर थूकने आदि बातों को लेकर झगड़ा होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो स्थानीय अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचने से रोकने के लिये

उक्त कब्रिस्तान के बगल में या आस-पास स्थित ग्राम सभा की बगल की जमीन को मुहर्रम के मेले के लिए आवंटित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम रामपुर हिरामन, तप्पा नगला में स्थित गाटा संख्या- 215/2-17 वर्ष 1387 लगायत 1392 फ0 के खतौनी के खाता संख्या--243 पर वर्ग 6-3 कब्रिस्तान अंकित है। उक्त कब्रिस्तान में स्थित करबला में प्रति वर्ष मोहर्रम का ताजिया दफन होता है। ताजिया विधि विधान से दफन होता है और कोई समस्या, अथवा झगड़ा, जूता पहन कर उस पर जाने या थूकने के सम्बन्ध में नहीं है। अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भरपूर सम्मान दिया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक सुख शान्ति एवं अमन चैन से अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। ग्राम सभा की भूमि विधि एवं नियम के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को देने का प्राविधान है। कब्रिस्तान की भूमि ही अल्पसंख्यकों के लिये पर्याप्त है। मुहर्रम के मेले के लिये भूमि आवंटित करने का प्राविधान नहीं है।

देवरिया जिले के ग्राम देवरिया बुद्धू खां, तप्पा नगवा के तालाब का इन्द्राज और ग्राम प्रधान श्री खलील अहमद के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं उनका निलम्बन

103--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, तप्पा पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के वर्तमान खतौनी खाता संख्या 14 के अराजी नं0 116 (एक एकड़ तैंतीस डिसमिल) व 120 (एक एकड़ ग्यारह डिसमिल) का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने के कितने साल बाद तक ग्राम सभा की बंजर जमीन (सम्पत्ति) के रूप में राजस्व विभाग के कागजों में इन्दराज किया जाता रहा है तथा उसे कब और किन-किन लोगों द्वारा अपने नाम इन्दराज करा लिया गया है। तथा उस जमीन पर ग्राम का सैकड़ों वर्ष पुराना कब्रिस्तान होने की वजह से सार्वजनिक हित में क्या मन्त्री जी द्वारा उसे पुनः ग्राम सभा की बंजर (सम्पत्ति) के रूप में इन्दराज करने के आदेश सम्बन्धित विभाग को दिए जायेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां में केवल एक ग्राम देवरिया बुद्धू खां तप्पा नगवा सम्मिलित है। चकबन्दी के बाद इस ग्राम के प्राप्त जिल्द बन्दोबस्त तथा वर्तमान खतौनी के खाता संख्या--14 के गाटा संख्या--116/1-33, 120/1-11 पर श्री अल्ताफ हुसैन, मैनुल्लाह, सफीउल्लाह पुत्रगण मु0 सैयद मुसीम, सद्दीक पुत्र करामत अदालत, किताबुल पुत्रगण दिलशेर फरीदन, सोहिल पुत्रगण शहादत, मुसहिब, वकील पुत्रगण अमानत अलीबास पुत्र गोहर अली, खलील पुत्र जमदल्ली, मुस्तकीम, अफलातून, मोबिल हुसैन पुत्रगण जमादार का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। जो0 चं0 आकार पत्र 41 में हाल नं0 116/1-33 साबिक नं0 115/1-33 से तथा 120/1-11 साबिक नं0 130/55, 141/56 से निर्मित हुये हैं। इन नम्बरों के सामने कैफियत खाते में क्रमशः तालाब व भीटा अंकित है, बंजर नहीं अंकित है। राजस्व अभिलेखागार में आरक्षित खतौनी सन् 1359 फ0 में खाता 60 गाटा संख्या 115/1-33 तथा खाता--127 गाटा संख्या 130/-73, 141/-56 जमादार आदि के नाम जमन 12 (ब) बाग अंकित है। उक्त अभिलेखों से प्रगट है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही य

नम्बरानों खातेदारों के नाम अंकित रहे हैं। इन नम्बरानों में मौके पर कब्रें भी पाई गई हैं जिससे ज्ञात होता है कि इसका प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में भी होता है। इस सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर मनोनुकूल राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

104—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जद्दू शर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम सभा व पोस्ट देवरिया बुद्धू खां तप्पा पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया का जो प्रार्थना-पत्र आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2313 दिनांक 13-7-82 द्वारा जांच हेतु राजस्व सचिव उ0 प्र0 को भेजा गया था तथा उसी ग्राम के श्री शमशुल हक खां व अन्य निवासीगण द्वारा आपको भेजे गए पंजीकृत पत्र संख्या 310 दिनांक 12-3-83, 1432 दिनांक 3-5-83 तथा 339 दिनांक 16-6-83 की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उसकी जांच कब और किससे कराई गयी तथा जांचोपरान्त उनमें के कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गयी व दोषी व्यक्तियों को दंडित करने व उत्पीड़ितों के उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु शासन द्वारा कौन से आदेश दिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

आवेदन पत्र में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान श्री खलील अहमद के विरुद्ध भूमि के अनियमित पट्टों के बारे में कई शिकायतों का उल्लेख किया गया था जिनकी विस्तृत जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा फरवरी, 1983 में की गयी। जांचोपरान्त शिकायतें सही पाये जाने पर ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया गया किन्तु प्रधान ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही कोई प्रशासनिक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

लखनऊ जिले के ग्राम निजामुद्दीनपुर की भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी शिकायती-पत्र

105—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, तहसील व जिला लखनऊ में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र उन्हें माह अप्रैल, 84 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य बिन्दु कौन-कौन थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

106—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 6-4-84 को तारांकित प्रश्न सं0 13 द्वारा उत्तरित।]

गोला गोकरणनाथ, जिला खीरी में तहसील की स्थापना की मांग

107—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोला गोकरणनाथ जिला खीरी में तहसील बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो तहसील कब तक बना दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा जनपद खीरी में गोला गोकरणनाथ में तहसील स्थापित करने की संस्तुति की गई है।

इस प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से धन उपलब्ध होने की दशा में किया जायेगा।

लखीमपुर खीरी जिले की सहकारी गन्ना विकास समिति, भीरा (खीरी) के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

108--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास मन्त्री समिति लि० भीरा (खीरी) जिला लखीमपुर खीरी के सचिव (श्री गुलाब चन्द्र मिश्र) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता करने की जांच 17-1-84 को अथवा उसके आसपास के दिनों में विभागीय जांच दल द्वारा की गयी थी? क्या उसकी जांच रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो जांच में पाये गये तथ्यों का सारांश क्या है तथा उस पर गन्ना आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखीमपुर के विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता श्री हरि नारायण सेठ की गायब सेवा पुस्तिका

109--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) लखीमपुर से एक अवर अभियन्ता (श्री हरीनारायण सेठ) की सेवा पुस्तिका गायब हो जाने के कारण सन् 79 से उन्हें आज तक वेतन की वार्षिक बढ़ोत्तरी, नगदीकरण, अवकाश आदि की सुविधा नहीं मिल रही है? यदि हां, तो पुस्तिका गायब हो जाने के लिए कौन दोषी है तथा उक्त अवर अभियन्ता को आवश्यक सुविधाएं मिलती रहें इसके लिए शासन द्वारा किया कार्यवाही की जा रही है?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री हरी नारायण सेठ, अवर अभियन्ता की सेवा पुस्तिका वर्ष 1981 में उनके सेवाकाल को सत्यापित कराने हेतु विद्युत वितरण खण्ड लखीमपुर से विद्युत परीक्षण खण्ड फैजाबाद को डाक द्वारा भेजी गयी थी जो विद्युत परीक्षण खण्ड फैजाबाद कार्यालय में नहीं प्राप्त हुई जिसके लिए परिषद् का कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है। उनकी दूसरी सेवा पुस्तिका तैयार कर दी गयी है और उन्हें यथोचित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इलाहाबाद जिले की साधन सहकारी समिति छिवैया के भवन का निर्माण

110--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 2-3-84 जो छिवैया ग्राम जनपद इलाहाबाद में विवादग्रस्त भूमि पर सहकारी समिति का भवन निर्माण कराया जाने के सम्बन्ध में था एवं जिसके पाने की सूचना पत्र संख्या 518 वी० आई० पी० 84, दिनांक 12-3-84 को मन्त्री जी से प्राप्त हुई, के सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त निर्माणाधीन भवन की जमीन की रजिस्ट्री फर्जी है? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी ग्राम पाण्डेपुर के प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गयी। जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि साधन सहकारी समिति छिवैया में निर्मित ग्रामीण गोदाम की भूमि की रजिस्ट्री फर्जी नहीं है।

सब रजिस्ट्रार, कार्यालय, कन्नौज का कथित निरीक्षण

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद स्थित सब रजिस्ट्रार (जो कि बैनामा करते हैं) के कार्यालय में दिनांक 4 मार्च, 1984 को ए0 डी0 एम0 फर्रुखाबाद द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उसमें क्या-क्या अनियमितताएं प्रकाश में आयीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

ए0 डी0 एम0 फर्रुखाबाद द्वारा सब राजस्ट्रार कार्यालय, कन्नौज, फर्रुखाबाद का दिनांक 4 मार्च, 1984 को कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः मांगी गयी अन्य सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले के ग्राम सुमोर के तालाब का मछली पालन हेतु किया गया पट्टा

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम सुमोर तहसील अलीगंज, जिला एटा के ग्रामवासियों का दिनांक 26 मार्च, 1984 को अपने ग्राम की तालाब की मछलियां बेचने में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की गयी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

शिकायती प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार अलीगंज के माध्यम से करायी गयी जांच के समय शिकायतकर्ताओं से भी पूछताछ की गयी। जांच में पाया गया कि प्रश्नगत तालाब का पट्टा नियमित असेर भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। पट्टेदार जाति का धीमर है तथा मत्स्य पालन में प्रशिक्षण प्राप्त भी है। पट्टा नियमानुसार किया गया है।

113—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर का आडिट

114—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लक्ष्मी जी चीनी मिल, महोली, जिला सीतापुर जब से शासकीय रिसीवरशिप में आई है तब से 31 दिसम्बर, 1983 तक उसे सरकार तथा शुगर कारपोरेशन से कितना रुपया मिला ? क्या रिसीवरशिप में आने से 31 दिसम्बर, 1983 के बीच महोली चीनी मिल, सीतापुर के लेखे-जोखे का कोई आडिट कराया गया ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

लक्ष्मी जी शुगर मिल महोली, जनपद सीतापुर को दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रदेश सरकार से 468.65 लाख रुपये ऋण के रूप में प्राप्त हुए। शुगर कारपोरेशन से कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई।

चीनी मिल के लेखों का आडिट कम्पनी के आडिटरों के द्वारा किया जाता है। रिसीवरशिप से पूर्व महोली चीनी मिल कम्पनी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। रिसीवर के प्रयास से 1977-78 तक के लेखों का आडिट पूरा हो गया है और 1978-79 के लेखों का आडिट कराया जा रहा है। आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

फर्रुखाबाद के ग्राम कुसुमखोर में भूमि का फर्जी पट्टा

115—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुसुमखोर, प0 व त0 कन्नौ

[illegible] में फर्जी पट्टे किए जाने के सम्बन्ध में किसी शिकायत (शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार गुप्त तथा उपरोक्त ग्राम सभा के अन्य सदस्य) की कोई जांच परगना अधिकारी, कन्नौज द्वारा जनवरी, 1984 में की गयी ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं ? जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

शिकायतकर्ता ने मुख्य शिकायत यह की थी कि पट्टेदारों को रेतीली नदी नाले वाली तथा ऊबड़खाबड़ भूमि आवंटित की गयी है । एक सदस्य श्री ममनूर ने कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित अपने हस्ताक्षर को फर्जी बताया है ।

जांच के उपरान्त यह बात प्रकाश में आयी कि कुछ आवंटियों को रेतीली नदी नाले वाली व ऊबड़-खाबड़ भूमि आवंटित की गयी है तथा 78 पट्टे भी अनियमित पाये गये । श्री ममनूर सदस्य ग्राम सभा ने अपने फर्जी दस्तखत होने के सम्बन्ध में कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही जिरह हेतु ही उपस्थित हुये, इसके विपरीत ग्राम के लेखपाल, प्रधान तथा अन्य छः सदस्यों ने शपथ-पत्र दाखिल किये और कार्यवाही को सही बताया । अनियमित पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है । भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम कुसुमखोर को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18 मई, 1984 द्वारा अवक्रमित कर दिया गया है । क्षेत्रीय सुपरवाइजर कानूनगो को उनके मूल लेखपाल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा 78 अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में की गई है ।

116--श्री सरदार सिंह--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं0 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले में गन्ना विकास द्वारा सड़कों के निर्माण का अनुमोदन

117--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद् से बनने वाली सड़कों का अनुमोदन बिना विधायकों के हस्ताक्षर से हुये काम वर्ष 1983-84 का कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

गोरखपुर जनपद में प्रश्नगत योजना के अधीन वर्ष 1983-84 के लिये 6.7 कि0 मी0 सड़क पर खड़ंजे का कार्य तथा 8.25 कि0 मी0 पर मिट्टी का कार्य कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके योजना प्रारूप पर माननीय विधायकगण की सहमति उपलब्ध है ।

लखनऊ जिले के चिनहट क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के हरिजनों की भूमि का सवर्णों द्वारा रजिस्ट्रेशन

118--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ की तहसील सदर क्षेत्र चिनहट के ग्राम बस्तौली रहीमनगर टिडौली, कपपुर खदरा, खुर्रम नगर, समीउद्दीन नगर आदि ग्रामों के हरिजनों की भूमि बिना जिलाधिकारी, लखनऊ की अनुमति के वर्ष 1981 से अब तक सवर्ण लोग रजिस्ट्री कराकर दाखिल

खारिज कराते आ रहे हैं और ये हरिजन भूमिहीन एवं बेघरबार के होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मानिकापुर द्वारा हरिजन छात्रों को छात्र-वृत्ति का अनियमित आहरण

119—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि पू0 मा0 विद्यालय, मनिकापुर विकास खंड सुमेरपुर, जिला उन्नाव के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा वर्ष 1978-79 में 1,800 रु0 हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में आहरण किया गया है ? यदि हां, तो ये छात्रवृत्तियां कितनी-कितनी धनराशि के रूप में किन छात्रों को और कब-कब दी गयी है ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

जी हां ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव के कार्यालय के अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि 1,800 रुपया की छात्रवृत्ति की धनराशि के बिल पू0 मा0 विद्यालय मनिकापुर वि0 ख0 सुमेरपुर, जिला उन्नाव के नाम से प्रतिहस्ताक्षर किये गये थे । इस धनराशि के आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में हरिजन कल्याण पर्यवेक्षक द्वारा विद्यालय में जाकर जांच की गई जिससे पता चला कि यह धनराशि किसी फर्जी व्यक्ति ने वर्ष 1978-79 में आहरित की थी और आहरित धनराशि किसी भी छात्र को वितरित नहीं की गयी थी ।

बस्ती जिले के ग्राम उतरौलिया की चकबन्दी

120—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उतरौलिया तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती में चकबन्दी के बाद कितने चक नं0 ऐसे हैं जिनका रकबा मूल जोत से नक्शे में कम या अधिक है ? क्या शासन इसकी जांच कर इस प्रकार की अनियमितता दूर करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम उतरौलिया तप्पदक्खिन हवेली, परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती में चकबन्दी के बाद 21 गाटे जांच में ऐसे पाये गये जिनका रकबा जो च0 आकार पत्र 41 एवं 45 में अंकित रकबे से नक्शे में कम या अधिक है ।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 28 के अन्तर्गत उक्त अनियमितता को ठीक कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खातेदारों द्वारा वाद दायर करने पर निर्णय संभव होगा जिसमें समय लगने की संभावना है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम पिपरिया गुरु गोविन्द में भूमि का आबंटन

121—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तह0 महाराजगंज के ग्राम पिपरिया गुरु गोविन्द में अतिरिक्त घोषित एवं बचत भूमि के वितरण हेतु दिनांक 10-2-84 को प्रश्नकर्त्ता ने जो पत्र लिखा है एवं जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक 84 बी0 आई0 पी0/84, विधान भवन, लखनऊ, दिनांक 15-2-84 द्वारा किया है, पर क्या कार्यवाही की गयी तथा भूमि का वितरण कब कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1984 प्राप्त हुआ जिसकी जांच कराई गई। जांचोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि सम्बन्धित गाटा में कुल 9–93 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई। अतिरिक्त घोषित भूमि में से 2–05 एकड़ भूमि का चार भूमिहीनों को आवंटन किया जा चुका है। शेष भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च-न्यायालय के आदेशों से कार्यवाही स्थगित है।

प्रश्नगत ग्राम में बचत की 1–57 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी जिसका आवंटन पांच पात्र व्यक्तियों को किया जा चुका है।

गोरखपुर जिले के ग्राम मारनहवा का अनियमित ईंट का भट्ठा और हरिजन बस्ती की भूमि का कटाव

122—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के ग्राम मारनहवा की हरिजन बस्ती आदि से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10-2-84 को जो पत्र लिखा एवं आपने इसकी प्राप्ति स्वीकृति अपने पत्रांक 82 बी0 आई0 पी0/84, विधान भवन, लखनऊ, दिनांक 17–2–84 द्वारा किया है, उस पत्र के मुख्य बिन्दु क्या–क्या हैं तथा जांच कर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

उस पत्र के मुख्य बिन्दु ग्राम अरनहवा में चल रहे भट्ठे के अनियमित होने और ग्रामवासियों से मार पीट करने के बारे में हैं। शिकायतों की जांच करायी गयी। जांचोपरान्त भट्ठा मालिक श्री आवतराम के विरुद्ध धारा 122–बी का मुकदमा कायम किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

123—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस ग्राम की हरिजन बस्ती आदि की मिट्टी की कटाई और इसे तालाब बनाने की बात ग्रामीण जनता ने दिनांक 1 1–82 से दिनांक 30–12–83 तक परगनाधिकारी की जानकारी में अनेक बार लाई है? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्रामीण जनता द्वारा 1–1–82 से 30–12–83 तक परगनाधिकारी महाराजगंज को प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के लेखपाल प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी–पत्र

124—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर मन्डल, गोरखपुर के जनपदों में लेखपाल प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दि0 20–2–84 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति अपने पत्रांक 79 बी0आई0पी0/84, दि0 17–2–84 द्वारा किया है? यदि हां, तो संलग्न–पत्र में मूल रूप से किन–किन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और उसके अनुसार शासन क्या करने जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

पत्रांक 79/वी0आई0पी0/84, दिनांक 17-2-84 द्वारा प्राप्ति स्वीकार किये जाने वाला पत्र दिनांक 20-2-84 के बजाय 10-2-84 का है। दिनांक 10-2-84 के संलग्न पत्र में दस बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है लेकिन उसमें मूल बिन्दु दो ही हैं, जैसे—

(1) गोरखपुर मन्डल के प्रशिक्षणार्थियों को लखनऊ मन्डल में स्थानान्तरित करने के बाद पुनः लखनऊ मन्डल से गोरखपुर मन्डल में स्थानान्तरित किया जाना।

(2) लेखपाल प्रशिक्षण कोर्स में नये विषय के रूप में शामिल किये गये "अधिनियम एवं प्रक्रिया" विषय को परीक्षा का बहिष्कार करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का अनुत्तीर्ण घोषित न करके उन्हें पुनः परीक्षा में सम्मिलित किया जाना।

प्रशिक्षण सत्र 1981-82 के प्रशिक्षणार्थियों को गोरखपुर मंडल से लखनऊ मंडल में स्थानान्तरित करने का कारण गोरखपुर स्थित लेखपाल स्कूल के भवन की मरम्मत एवं अध्यापकों की कमी थी बाद में उक्त कमी को दूर करके गोरखपुर मन्डल के प्रशिक्षणार्थियों को लखनऊ मंडल से गोरखपुर मन्डल में वापस कर दिया गया।

जहां तक "अधिनियम एवं प्रक्रिया" विषय के लेखपाल प्रशिक्षण कोर्स में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न है यह कार्यवाही समुचित विचारोपरांत की गई क्योंकि लेखपाल के लिए अधिनियम एवं प्रक्रिया का प्रारम्भिक ज्ञान आवश्यक है। जब एक विषय कोर्स में सम्मिलित कर दिया गया तो उसका बहिष्कार किया जाना प्रत्यक्ष अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता के आरोप में प्रशिक्षणार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाना अनुचित नहीं है। फिर भी समुचित विचारोपरांत उक्त प्रशिक्षणार्थियों को जुलाई, 1984 की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के आदेश जारी कर्ये जा चुके हैं।

गोरखपुर जिले के ग्राम जमपुर, सलामतगढ़ के लेखपाल, श्री निर्मल कुमार गुप्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र

125—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ग्राम जमपुर, सलामतगढ़, बरगदवा, राजा आदि गांवों से सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दि0 10-2-84 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक 81 वी0 आई0 पी0/84, दिनांक 17-2-84 द्वारा दिया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 10-2-84 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है परन्तु प्रश्न में अंकित गांवों के लेखपाल श्री निर्मल कुमार गुप्त के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 17-2-84 प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र में अंकित शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में लेखपाल के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाये गये फिर भी श्री निर्मल कुमार गुप्त को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

गोरखपुर के ग्राम माहोपार, पुरुषोली के लिए धोबीघाट हेतु भूमि की मांग

126—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

5 मार्च, 1982 के अता0 प्र0 सं0 67 के उत्तर के क्रम में क्या

राजस्व मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में सन्दर्भित ग्रामों में से किन-किन ग्रामों में रजकवर्ग (धोबी) के लिए कपड़ा सुखाने व धोबी आबादी हेतु कितनी-कितनी मात्रा में किस किस भू-प्लाट में जमीन सुरक्षित की गई है ? क्या यह सत्य है कि ऐसे भूप्लाटों का कुछ भाग अनधिकृत व अवैधानिक रूप से अपात्र लोगों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या कब्जा शीघ्र हटा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

127—क्या राजस्व मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि उपर्युक्त अता0 प्र0 सं0 67 में उल्लिखित ग्राम माहोपार के विषय में कपड़ा सुखाने हेतु छोड़ी गई एवं हरिजन आबादी की भूमि पर अवैध कब्जे की कोई सूचना प्रश्नकर्त्ता द्वारा स्थानीय अधिकारियों व शासन को माह दिसम्बर, 1983 से माह फरवरी 15, 1984 के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

128 —श्री राम चरण सिंह—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मिर्जापुर जिले के ग्राम कोलना की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

129—श्री रामचरण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड नरायनपुर, ग्राम सभा कोलना में हरिजन बस्ती का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया जायगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम सभा कोलना की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दिनांक 2-2-82 को नियमानुसार किया जा चुका है ।

मिर्जापुर जिले के धोरावल एवं लालगंज में तहसील की स्थापना पर विचार

130—श्री रामचरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में नई तहसील बनाने की कोई योजना इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस तहसील का मुख्यालय कहां होगा ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी तथा आयुक्त वाराणसी मण्डल ने तहसील मुख्यालय कहां बनाने की संस्तुति की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा जनपद मिर्जापुर में लालगंज में तहसील स्थापित करने की संस्तुति की गयी है जिस पर अन्य प्रस्तावों के साथ यथा स्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से धन उपलब्ध होने पर सम्भव होगा । जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने तहसील मुख्यालय धोरावल (सीमावर्ती ग्राम खुटहा) तथा लालगंज प्रस्तावित किया था ।

मिर्जापुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों के नलकूपों का विद्युत बिल

131—श्री राम चरण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वर्ष 1982 में बाढ़ के दौरान कृषकों के पम्पिंग सेटों को लगभग एक माह तक विद्युत की आपूर्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कृषकों को बाढ़ के दौरान

विद्युत बिल की धनराशि से मुक्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मिर्जापुर जनपद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वर्ष 1982 बाढ़ के दौरान कृषकों के पम्पिंग सेटों को 19 दिन दिनांक 29-8-1982 से 16-9-1982 तक विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई थी ।

उक्त अवधि में दैवी आपदा के कारण विद्युत् की आपूर्ति नहीं की जा सकी जब कि विद्युत् परिषद् उक्त अवधि में विद्युत् आपूर्ति करने की स्थिति में था । इस अवधि में वर्षा के कारण कृषक वैसे भी और कहीं विद्युत् का उपभोग या तो नहीं करते या बहुत कम करते हैं ।

इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में निजी नलकूप के उपभोक्ताओं से 180 रुपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिवर्ष नियत चार्ज लिया जाता था, जिसे उपभोक्ता औसतन डेढ़ घंटे प्रतिदिन विद्युत उपभोग करके औद्योगिक दर की अपेक्षा में पूर्ण कर लेता था । यह धनराशि पूरे साल की विद्युत् खपत पर आधारित थी, जिसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रति माह 15 रुपया प्रति अश्व शक्ति की दर से ली जाती थी । अतः विद्युत् परिषद् द्वारा उक्त अवधि में विद्युत् आपूर्ति बन्द रहने पर विद्युत् बिल में छूट देना सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ के महामंत्री का आन्दोलन से सम्बन्धित नोटिस एवं मांगे

132—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ के महामन्त्री श्री अवतार हुसैन द्वारा कोई आन्दोलन नोटिस 12-8-1983 के आस पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मांगे क्या थी तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ के महामन्त्री का पत्र दिनांक 10-8-1983, जिसमें 55 मांगों का उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुआ । मांगों के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा लिए गये निर्णय से महामन्त्री, उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ, को परिषद् के पत्र दिनांक 1-11-1983 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

विषय से सम्बद्ध विवरण काफी विस्तृत है, अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कक्ष में उपलब्ध अभिलेखों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं के लिये भूमि का अधिग्रहण एवं कास्तकारों के आश्रितों को दी गयी नौकरी

133—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जिले में किसान चीनी मिल बीसूपुर के निर्माण में किन-किन कास्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी तथा उसमें से अभी ऐसे कौन-कौन कास्तकार परिवार हैं जिनके किसी भी आश्रित को मिल में नौकरी नहीं दी जा सकी ? क्या इस बारे में भू0 पू0 विधायक श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की ओर से कोई शिकायती पत्र मा (गन्ना मन्त्री को) फरवरी, 1984 के दूसरे सप्ताह में अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह—

किसान सहकारी चीनी मिल, बेहाबू के निर्माण हेतु 108 खातेदारों की भूमि अधिगृहीत की गयी। इन 108 खातों में से 78 खातों पर 98 व्यक्तियों को मिल में नियोजन प्रदान किया जा चुका है। शेष 30 खातेदारों में से 13 खातेदारों के कोई वारिस न होने के कारण, 8 खातेदारों के स्वयं बाहर चले जाने एवं मिल क्षेत्र में उनके कोई वारिस न होने के कारण, 6 खातेदारों के स्वयं अच्छा नौकरी में लगे होने या नौकरी की इच्छा न रखने के कारण मिल में नियोजन नहीं प्रदान किया गया है। अवशेष 3 खातेदारों को अपना सही आश्रित मनोनीत करने एवं शपथ पत्र दाखिल करने के लिए सूचित कर दिया गया है और उनसे सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जी हां।

श्री कृष्ण स्वरूप बंधु ने अपने उक्त पत्र में 9 काश्तकारों, जिनकी भूमि मिल हेतु अधिगृहीत की गई है, को नियोजन प्रदान न किये जाने की शिकायत की थी, जिनमें केवल 2 खातेदारों को छोड़कर शेष खातेदारों के किसी न किसी आश्रित को मिल में नियोजन प्रदान किया गया है। 2 खातेदारों के सम्बन्ध में अपने आश्रित मनोनीत करने के लिए कहा गया है।

हरदोई चीनी मिल पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

134—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल हरदोई पर गन्ना काश्तकारों का किस-किस वर्ष का कितना-कितना रुपया बकाया है तथा उसका भुगतान कब तक करा दिया जायगा?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह—

हरदोई चीनी मिल पर दिनांक 31-8-1984 की स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य का कुल 180.61 लाख रु० बकाया है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रु० में)
1977-78 से पूर्व वर्षों का	2.20
1977-78	99.76
1978-79	शून्य
1979-80	शून्य
1980-81	शून्य
1981-82	78 48
1982-83	शून्य
1983-84	0.17
योग ..	180.61

वर्ष 1977-78 व इससे पूर्व वर्षों तथा वर्ष 1981-82 के बकाया गन्ना मूल्य वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये किन्तु चीनी मिल ने इन वसूली प्रमाण-पत्रों के विरोध में न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं। अतः यह धनराशि न्यायालयों में विवाद ग्रस्त होने के कारण वसूल नहीं हो सकी।

वर्ष 1983-84 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिल का ऋण उपलब्ध करा दिया गया है जिससे शीघ्र भुगतान पूरा हो जायेगा।

सीतापुर जिले के ग्राम अकोइया की भूमि का सरायन नदी से कटाव

135—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम अकोइया, प० खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर की कृषि योग्य भूमि को सरायन नदी ने काट दिया है जिससे कि अनेक जोतदारों के सामने भीषण संकट उत्पन्न है ? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार की कितनी-कितनी कृषि योग्य भूमि कट गयी है तथा इस क्षति के लिए सरकार द्वारा काश्तकारों को क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम अकोइया के खाता संख्या 52 के सहखातेदार सर्वश्री छिद्दू, भगवानदीन, पूरन पुत्रगण रूपन के गाटा संख्या 426 क्षेत्रफल 0·37 डिसमिल में 0·05 डिसमिल कृषि योग्य भूमि को गत वर्ष सरायन नदी ने काट दिया था। इसके अलावा अन्य किसी काश्तकार की कृषि योग्य भूमि को उक्त नदी ने नहीं काटा है। अतः उक्त ग्राम के खातेदारों के समक्ष कोई भीषण संकट नहीं उत्पन्न हुआ है।

चूंकि क्षति नाम मात्र की थी, अतः प्रभावित खातेदारों को सहायता देना उचित नहीं समझा गया। उक्त खातेदारों के पास सवा तीन एकड़ से कम भूमि होने के कारण उनकी माल-गुजारी पहले से ही माफ है।

136—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[करण 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित।]

सीतापुर जिले में भूदान की भूमि का आवंटन

137—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय जिला सीतापुर में भूदान में प्राप्त कुल कितनी भूमि ऐसी शेष है जिसका आवंटन नहीं किया गया है ? भूमि कब से शासन के कब्जे में है तथा अब तक आवंटन क्यों नहीं किया गया तथा इस समय उस पर कौन-कौन व्यक्ति अनधिकृत रूप से काबिज हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस समय जिला सीतापुर में भूदान में प्राप्त 34·07 एकड़ भूमि ऐसी है जिसका आवंटन नहीं हुआ है। यह भूमि भूदान में प्राप्त होने के समय से ही भूदान समिति के नाम अंकित है और भूदान समिति के कब्जे में है। यह भूमि शासन के कब्जे में नहीं है।

उपरोक्त 34·07 एकड़ भूमि में से 5·87 एकड़ भूमि कृषि योग्य है तथा 28·20 एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है। कृषि योग्य भूमि में से 2·86 एकड़ भूमि पर सर्वश्री श्याम लाल चौधरी, भिम्मा, बालकिशन, बल्ली, कृपण कुमार व संतराम का अनधिकृत कब्जा है।

भूदान समिति की भूमि के आवंटन की कार्यवाही परिपत्रादेश संख्या 8616/5-532/81, दिनांक 1-11-1983 के अन्तर्गत भूदान समिति के संयोजक द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। उनका कार्यक्रम प्राप्त होने पर भूमि आवंटन की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

हरदोई चीनी मिल द्वारा कृषकों से गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में किया गया सट्टा

138—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल, हरदोई द्वारा वर्ष 1981-82 में निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना आपूर्ति करने हेतु वांछित

पर सट्टा किया गया तथा आवश्यक धन जमा कराने के बाद 1981-82 में गन्ना नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा अतिरिक्त गन्ना न लेने की दशा में बांडिंग के लिए जमा कराई गई धनराशि वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

सत्र 1981-82 में हरदोई चीनी मिल क्षेत्र में 11·32 लाख कुन्टल गन्ने की अतिरिक्त बांडिंग कृषकों की स्वेच्छा से पेनाल्टी के शर्त के साथ की गयी थी। कृषकों को गन्ना आपूर्ति के लिए नियमानुसार पर्चियां दी गयी थीं तथा क्रय केन्द्रों पर खुली खरीद की सुविधा भी दी गई थी परन्तु कृषकों द्वारा सट्टे का पूरा गन्ना आपूर्ति न किये जाने के कारण उनकी जमा जमानत की 8,69,732·90 रु0 की धनराशि में से 2,10,883·44 रु0 की पेनाल्टी काट कर 3,42,956·03 रु0 वापस किया जा चुका है। शेष 3,15,893·43 रु0 में से 1,70,147·24 रु0 पेनाल्टी के रूप में काटकर वापसी की प्रक्रिया में है।

श्री भगवानदीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहराइच की भूमि

139--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवानदीन बालिका उ0 मा0 विद्यालय नानपारा, जिला बहराइच के पास कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है तथा तहसील नानपारा के किस-किस गांव में किस-किस गाटा संख्या पर कितनी-कितनी भूमि है तथा खतौनी तथा खसरा में किस व्यक्ति तथा पद के नाम से इन्द्राज है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री भगवानदीन बालिका उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नानपारा, जिला बहराइच के पास कुल 27·205 एकड़ भूमि है जो खसरा में नदी अंकित है और इस समय आकृषिक है।

उक्त भूमि ग्राम माझ दरियाबुर्द, परगना व तहसील नानपारा, जिला बहराइच की खतौनी के भाग-I संक्रमणीय भूमिधर के खाता संख्या 24 पर अध्यक्ष वंश भगवानदीन बालिका विद्यालय नानपारा के नाम दर्ज है जिसका गाटा संख्या व क्षेत्रफल निम्नवत् है :--

गाटा संख्या	क्षेत्रफल
	एकड़
2434 मि0	7·000
2435	0·960
2436	4·745
2437	7·840
2438	1·550
2448	1·170
2449	3·035
2487 मि0	0·905

140--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सीतापुर जिले के ग्राम कमवा खेड़ा के किसानों की फसल को कथित विद्युत लाइन से हुई क्षति

141--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम कमवा खेड़ा, तहसील सीतापुर, जिले

सीतापुर के काश्तकारों की फसलों का जो नुकसान 1980-81 वर्ष में 66,000 वोल्ट की बिजली लाइन खींचने से हुआ था, उसका मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1980-81 में प्रश्नगत ग्राम के आस-पास किसी भी 66,000 वोल्ट की लाईन का निर्माण नहीं हुआ है । अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के ग्राम तिलोकपुर के श्री मनोहर लाल की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु

142—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त अथवा सितम्बर, 1983 में सीतापुर जिले के विकास खंड ऐलिया के ग्राम तिलोकपुर में मनोहर लाल हरिजन की मृत्यु बिजली के टूटे तार छू जाने के कारण हुई थी, उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी सहायता दी गई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मृतक श्री मनोहर लाल की मृत्यु 13 अक्तूबर, 1983 को बिजली के तार छू जाने से हुई थी । मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा घोडुवल की भूमि का आवंटन

143—श्री रामस्वरूप वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के अता0 प्र0 सं0 111, दिनांक 17-2-1984 से उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पात्र व्यक्तियों की सूची में कौन-कौन से अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और उन्हें कितनी-कितनी भूमि अब तक आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस तिथि तक आवंटन होकर कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम घोडुवल, परगना खन्डासा, तहसील बीकापुर में 22 बीघा, 4 बिस्वा, 4 धूर भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 12-12-1983 के द्वारा 32 अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा कर दिया गया है ।

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 112 पर)

प्रतापगढ़ जिले की ग्राम सभा टेऊंगा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

144—श्री राम स्वरूप वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दिनांक 23-3-1984 के अता0 प्र0 सं0 100 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव में कुल कितनी भूमि पर कृषि की जाती है और उसमें से कितनी भूमि पर चकबन्दी की गयी है तथा जो जमीन चकबन्दी से बाहर की गयी है उसे ऐसा करने के कौन-कौन से कारण हैं ? क्या यह सही है कि सड़क से उस पार की भूमि में 70 बीघे पोखता गांव समाज की भूमि जो लोग अवैध रूप से जोते हुए हैं उन्हीं से सांठगांठ करके चकबन्दी अधिकारी ने उक्त भूमि को चक आउट किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम समाज की भूमि निकलवाने

और किसानों को संपूर्त चक देने के लिए उक्त भूमि की चकबन्दी के आउट को गयी भमि को फिर चकबन्दी करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम में 676 एकड़ भूमि में कृषि की जाती है इसमें से 273 एकड़ भूमि में चकबन्दी की गई है और शेष भूमि बाग, नहर, ट्रैक्टर फैक्टरी कालोनी, तालाब भट्टे व ऊंची-नीची कटावदार होने के कारण चकबन्दी क्रिया से पृथक् की गयी है।

जोती बोई जाने वाली ग्राम सभा की 42-8-11 भूमि में से 6-17-17 भूमि ग्राम सभा द्वारा भूमिहीनों को आवंटित की गयी है और छुटपुट स्थित ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा है उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं कतिपय अन्य अनियमितताओं की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद ही अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, इलाहाबाद के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

145—श्री राम स्वरूप वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के अता0 प्र0 सं0 29 दिनांक 14-3-1984 के सम्बन्ध में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासनिक जांच सम्पन्न होकर सरकार को रिपोर्ट कब मिला ? जांच में किस-किस को किस-किस बात के लिए दोषी पाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गयी और अधीक्षिका श्रीमती माया बिरमानी का स्थानान्तरण कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की जांच रिपोर्ट दिनांक 30-1-1984 को जिला-धिकारी इलाहाबाद ने निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को प्रेषित किया। जांच में श्रीमती माया बिरमानी, अधीक्षिका, श्री वाचस्पति तिवारी, तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद तथा श्री रोशन लाल, तत्कालीन स्टोर कीपर को दोषी बताया गया है। श्रीमती माया बिरमानी को स्टोर का चार्ज "स्टोर कीपर" को न देने, मांग पत्र पर स्टोर को बलपूर्वक हस्ताक्षर कराने, 38 संवासियों के स्थान पर 200 के लिए मांग-पत्र बनाने, कुमारी गीता से कार्य लेकर वेतन न देने, सामान सरकारी दुकान से न क्रय कर बाजार से क्रय करने तथा जांच के समय तथ्यों को छिपाने के लिए दोषी बताया गया है।

श्री वाचस्पति तिवारी को वर्ष 81-82 में संवासियों की गलत औसत के आधार पर अधिक मांग पत्र भिजवाने तथा श्री रोशन लाल, तत्कालीन स्टोरकीपर को बिल में ओवर रीटिंग करने के लिए दोषी बताया गया है।

श्रीमती माया बिरमानी को निलम्बित किया गया था परन्तु उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है श्री रोशन लाल का स्थानान्तरण भिक्षुक कर्मशाला, इलाहाबाद से अन्यत्र कर दिया गया है।

श्रीमती माया बिरमानी का स्थानान्तरण इसलिए नहीं किया जा सका है कि उन्होंने स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध लोक सेवा अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जहां तक श्री वाचस्पति तिवारी तत्कालीन, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विभागीय जांच कराया जाना चाहा है।

श्री रमेश चन्द्र यादव, एडवोकेट द्वारा कतिपय चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध दी गयी याचिका के सम्बन्ध में जानकारी

146—श्री रामस्वरूप वर्मा—

प्रथम सत्र 83 के दूसरे शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-3-78 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को भेजा गयी अस्वीकार की सूचना उक्त अधिकारी को प्राप्त भी हुई अथवा बीच में ही रह गयी ? यदि प्राप्त हुयी, तो किस तिथि को ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री रमेश चन्द्र यादव के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत किये जाने की शासन द्वारा दिनांक 9 मार्च, 1978 को भेजी गयी सूचना जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को दिनांक 13 मार्च, 1978 को प्राप्त हुई थी।

लखनऊ जिले के ग्राम सरैई-गुदौली के श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के जमींदारी बाण्ड का नवीनीकरण

147—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम व पोस्ट सरैईगुदौली, जनपद लखनऊ का कोई प्रार्थना-पत्र जमींदारी बाण्डों का नवीनीकरण एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 27-9-82 को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति थी तथा जिसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से अपर जिला अधिकारी, प्रशासन ने अपनी संस्तुति सहित 23-2-83 शासन को भेजा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 27-9-82 का शिकायती-पत्र माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। जिलाधिकारी लखनऊ ने यह सूचित किया है कि इस मामले में श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के जामिनदारान सर्वश्री ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह तथा जितेन्द्र बहादुर सिंह की हैसियत की जांच करके वांछित प्रमाण-पत्र प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को दिनांक 30-7-82 को भेजे जा चुके थे।

इस मामले में जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने पत्र सं0 146/डी0 एल0 आर0 सी0, दिनांक 23-2-83 द्वारा निदेशक संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ को भी स्थिति से अवगत करा दिया था। बाण्ड के नवीनीकरण एवं भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही मैनेजर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया कानपुर द्वारा की जाती है।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के लेखपालों का स्थानान्तरण

148—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर, जनपद देवरिया ने अपने तहसील सलेमपुर के लेखपालों का स्थानान्तरण अक्तूबर, 1983 से फरवरी, 1984 के मध्य किया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से लेखपाल हैं ? क्या वे अपने नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और उन लेखपालों पर कौन सी अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुपालन के अभाव में की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस जनपद के तहसील सलेमपुर में माह अक्तूबर, 1983 से फरवरी, 1984 के मध्य परगनाधिकारी सलेमपुर द्वारा लेखपालों का स्थानान्तरण किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) श्री विद्यापति पाठक
(2) श्री रघुवर प्रसाद
(3) श्री जय करन तिवारी
(4) श्री लालजी मिश्र
(5) श्री राम सेवक
(6) श्री अतिउल्लाह
(7) श्री सुरेन्द्र प्रसाद
(8) श्री राम दयाल नाथ तिवारी
(9) श्री नागेन्द्र प्रसाद
(10) श्री स्वामी नाथ पांडेय
(11) श्री ब्रजेश कुमार
(12) श्री चन्द्रिका मिश्र
(13) श्री रामानुज सिंह
(14) श्री सुरेश सिंह
(15) श्री बृजेश लाल
(16) श्री विद्या शंकर तिवारी
(17) श्री रमा शंकर लाल
(18) श्री विरेन्द्र कुमार
(19) श्री विश्वनाथ लाल
(20) श्री विश्वनाथ लाल
(21) राम बिहारी लाल
(22) श्री उमा शंकर सिंह
(23) श्री रविन्द्र
(24) श्री रामा नन्द
(25) श्री लल्लन तिवारी
(26) श्री परशुराम मिश्र
(27) श्री प्रताप नरायन लाल
(28) श्री उमापति पाण्डेय
(29) श्री नरेन्द्र पाण्डेय
(30) श्री जय मंगल पाण्डेय
(31) श्री बंशीधर
(32) श्री तेज बहादुर सिंह
(33) श्री कपिल देव सिंह

स्थानान्तरित लेखपालों में सर्वश्री विद्यापति पाठक, रघुवर प्रसाद, विरेन्द्र कुमार तथा जय मंगल पाण्डेय ने अपने स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष स्थानान्तरित लेखपालों में सर्वश्री कपिल देव सिंह व लालजी मिश्र जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है, को छोड़कर सर्वश्री अतिउल्लाह, स्वामी नाथ पाण्डेय, विद्या शंकर तिवारी तथा उमापति पाण्डेय का आवेदन-पत्र जो बच्चों की शिक्षा के आधार पर स्थानांतरण रोकने से सम्बन्धित था। दो लेखपालों सर्वश्री बृजेश कुमार एवं रामानुज सिंह लेखपाल प्रशिक्षण में चले जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरण की पूरी चेन प्रभावित होती थी। इसलिये परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 3-2-84 द्वारा दिनांक 31-3-84 तक के लिए स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया। जहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न है, आदेशों के उल्लंघन के आरोप में सर्वश्री कपिल देव सिंह व लालजी मिश्र को निलंबित कर दिया गया है।

देवरिया जिले के ग्राम चनुकी घाट, तप्पा हवेली की चकबन्दी

149—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चनुकी घाट, तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया की चकबन्दी हो गई है? यदि हां, तो नये चकों

पर चकवार अपना अधिकार पा गये हैं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और कब तक इसका निस्तारण हो जायेगा और सभी किसानों को कब तक अपने चक की जानकारी देकर अधिकार दिला दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम चनुकी घाट, तप्पा हवेली, परगना सलेमपुर मझौली, तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया की चकबन्दी हो गयी है और सभी चकवार अपने नये चकों पर काबिज हैं। सभी किसानों को उनके नये चकों की जानकारी कराकर अधिकार दे दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

150--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

151--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उन्नाव जिले के बतनई झील की मछली एवं कवलगट्टा की नीलामी की धनराशि

152--श्री भीखालाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बतनई नामक झील जो ग्राम सभा दरसवां, दऊं असावर व मिर्जा कला, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में स्थित है, की मछली व कवलगट्टा की नीलामी तहसीलदार पुरवा द्वारा 20-1-83 को 30 जून, 1983 तक के लिये सरजू पुत्र मुन्ना, निवासी दरसवां के नाम की गई थी, परन्तु आज तक बाकी पैसा जमा नहीं किया और सरजू को अवैधानिक रूप से 30 जून, 1983 के बाद मछली मारने तथा कवलगट्टा तोड़ने की आज्ञा दे दी गई। यदि हां, तो बकाया रुपया वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई और ठेके की मियाद कैसे बढ़ा दी गई? इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। तालाब की नीलामी दिनांक 20-1-83 को एक वर्ष के लिये सरजू पुत्र मुन्ना, निवासी दरसवां के हक में 1,50,000 रु० में हुयी थी। नीलामी का 1/4 भाग 37,500 रु० तुरन्त जमा हुआ था। शेष धनराशि दिनांक 20-4-83 व 1-6-83 को नोटिसों के बावजूद न जमा करने पर दिनांक 20-6-83 को परगनाधिकारी द्वारा सरजू पुत्र मन्ना के मछली (मारने के) शिकार के अधिकार समाप्त किये गये।

उक्त धन की वसूली के सम्बन्ध में श्री सरजू पुत्र मन्ना ने अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकती।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

153--श्री भीखालाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

उन्नाव जिले के ग्राम जनसार, दरियापुर, रौनाखार, सराय बड़ी, बिन्दल तथा नेवलगंज आदि के विद्युतीकरण की मांग

154--श्री भीखालाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम जनसार, रैनपुर, दरियापुर, बिचपरा आदि गांवों के कितने-कितने व्यक्तियों ने कब-कब विभाग में रुपया जमा करके विद्युत आपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं? उनको अब तक विद्युत आपूर्ति न किए जाने का क्या

कारण है और भविष्य में कब तक विद्युत् आपूर्ति करा दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम जनसार व दरियापुर में विद्युत् कनेक्शन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

ग्राम रनापुर से केवल एक प्रार्थना-पत्र नलकूप हेतु 1978 में प्राप्त हुआ था, जो लाइन से 3-1/2 कि0 म0 दूरी पर होने के कारण, विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया जा सका । ग्राम बिचपरी में 28-9-83 को 11 सम्भावी उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । ग्राम का विद्युतीकरण 30-3-84 को पूर्ण हो चुका है और भावी उपभोक्ताओं को शर्तें और दशायें भेजी जा रही हैं ।

भावी उपभोक्ताओं द्वारा पैसा जमा करने पर विद्युत् कनेक्शन दे दिए जायेंगे ।

155--श्री भोखालाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज में ग्राम सरावबद्री तथा दिबवल के किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब विभाग में पैसा जमा करके विद्युत् आपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? उनको अब तक विद्युत् आपूर्ति न किए जाने का क्या कारण है और भविष्य में कब तक विद्युत् आपूर्ति करा दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ग्राम सराव बद्री तथा दिबवल के निवासियों से विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः विद्युत् आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

156--श्री भोखालाल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज में विद्युत् आपूर्ति के लिए खंभे गाड़ कर तार कब बांधे गए थे और क्या आज तक विद्युत् की आपूर्ति की गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि ग्राम नेवलगंज में बिजली के कुछ खम्भे टूट कर गिर गए हैं, तार चोरी हो गये हैं ? यदि हां, तो दुबारा खम्भे गाड़ कर जब तक तार न बांधने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज में विद्युत् आपूर्ति के लिए वर्ष 1977 में खम्भे गाड़े गये थे तथा विद्युत् आपूर्ति चालू कर दी गयी थी । यह भी सही है कि ग्राम नेवलगंज में कुछ खम्भे टूट गये थे एवं तार चोरी चला गया था परन्तु सम्प्रति खम्भे गाड़कर लाइन के तार खींच दिए गए एवं विद्युत् आपूर्ति चालू है ।

157--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

देवरिया जिले की ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां तथा नगवा के खाता संख्या 14 की आराजी नं0 116 का इन्द्राज

158--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां, तप्पा पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के वर्तमान खतौनी खाता संख्या 14 के आराजी नं0 116 (एक एकड़ तैंतीस डिसमिल) व 120 (एक एकड़ ग्यारह डिसमिल) का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के लागू होने के कितने साल बाद तक ग्राम सभा के बंजर जमीन (सम्पत्ति) के रूप में

इन्द्राज किया जाता रहा है तथा उसे कब और किन-किन लोगों द्वारा अपने नाम से इन्द्राज करा लिया गया है तथा उस जमीन पर ग्राम का सैकड़ों वर्ष पुराना कब्रिस्तान होने की वजह से सार्वजनिक हित में क्या मंत्री जी द्वारा उसे पुनः ग्राम सभा की सम्पत्ति के रूप में इन्द्राज करने के आदेश सम्बन्धित विभाग को दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां में केवल एक ग्राम देवरिया बुद्धू खां तप्पा नगवा सम्मिलित है। चकबन्दी के बाद इस ग्राम के प्राप्त जिल्द बन्दोबस्त तथा वर्तमान खतौनी के खाता सं0 14 के गाटा संख्या-116/1-33, 120/1-11 पर श्री अल्ताफ हुसेन, मैनुल्लाह, सफीउल्लाह पुत्रगण मु0 सैयद मुस्लिम, सद्दक पुत्रगण करामत अदालत, कित बुल पुत्रगण दिलशाद, फरीदन, सोहिल पुत्रगण शहादत, मुसाहब, वकील पुत्रगण अमानत, अलीवांस पुत्र गौहर अली, खलील पुत्र जमदल्ला, मुस्तकीम, अफलातून, मोकिल हुसेन पुत्रगण जमादार का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। जो च0 आकार पत्र 41 में हाल नं0 116/1-33, साबिक नं0 115/1-33 से तथा हाल नं0 120/1-11 साबिक नं0 130/-55, 141/-56 से निर्मित हुए हैं कैफियत खाने में इन नम्बरों के सामने क्रमशः तालाब व भीटा अंकित है, बंजर नहीं अंकित है। राजस्व अभिलेखागार में आरक्षित खतौनी सन् 1359 फ0 में खाता सं0 60 गाटा सं0 115/1-33 तथा खाता सं0 127, गाटा सं0 130/-73, 141/56 जमादार आदि के नाम जमन 2(ब) बाग अंकित है। उक्त अभिलेखों से प्रगट है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ही से साबिक नम्बरान, जिससे हाल नं0 116 व 120 चकबन्दी में निर्मित हुए हैं खातेदारों के नाम दर्ज रहे है। इन नम्बरान में मौके पर कब्रें भी पाई गई है, जिससे ज्ञात होता है कि इसका प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में भी होता है इसलिए प्रश्नगत मामले में किसी कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बस्ती जिले में लागू की गयी बाल विकास परियोजना

159--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बाल विकास परियोजना किस-किस ब्लाक में लागू की गई है और प्रत्येक ब्लाक में कब से कार्य प्रारम्भ किया गया था और अब तक क्या-क्या कार्य किया गया ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

जनपद बस्ती में बाल विकास परियोजना निम्न चार विकास खंडों में लागू की गई है :

(1) कप्तान गंज।

(2) खलीलाबाद।

(3) डुमरियागंज।

(4) हैसरबाजार।

कप्तानगंज में दिसम्बर, 1982 से, खलीलाबाद में 1 नवम्बर, 1982 से, डुमरयागंज 18 फरवरी, 1983 से तथा हैसरबाजार में 9 दिसम्बर, 1982 से कार्य प्रारम्भ किया गया।

उपर्युक्त विकास खंडों में जो कार्य किये गये उनका विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 115 पर।)

बस्ती जिले के ग्राम पिपरहवा (पिलीकानन) में (मकतब) विद्यालय अलमाहद उलूम की स्थापना

160--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़, तहसील के

ग्राम पिपरहवा (पिपली कानन) में जो विनियोजित क्षेत्र है जहां निर्माण कार्य नहीं हो सकता है वहां पर एक मकतब तथा एक मसजिद का निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह निर्माण कार्य किस अधिकारी की आज्ञा से किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि ऐसे निर्माण कार्य से वहां के कुर्ब व जवार की जनता में घोर असन्तोष है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

तहसील नौगढ़ के ग्राम पिपरहवा बाजार (पिपली कानन) में विनियोजित क्षेत्र है वहां निर्माण कार्य, नक्शे की स्वीकृति के बाद हो सकता है। वहां पर एक मकतब, विद्यालय अलमाहद सलूम विद्यालय टोला बिहरा बर्डपुर नं0 1, के नाम से चल रहा है, विद्यालय भवन के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र की स्वीकृति तत्काल न नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र पिपरहवा बाजार/परगना मजिस्ट्रेट नौगढ़ द्वारा दिनांक 22-11-83 को दी गयी है। इस निर्माण कार्य से उस समय स्थानीय जनता में कुछ असंतोष था जिस पर थानाध्यक्ष मोहाना जनपद बस्ती ने 107/116(3) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 4-7-83 को दी थी जो मुकदमा परगना मजिस्ट्रेट नौगढ़ द्वारा दिनांक 8-6-84 को खारिज कर दिया गया। स्थानीय जांच द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि अब यहां की जनता में कोई असंतोष व्याप्त नहीं है।

वाराणसी जिले के चकिया टाउन एरिया के श्री माता साव व श्री बनारसी साव का विद्युत् कनेक्शन

161--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया टाउन, जिला वाराणसी में माता साव व बनारसी साव को क्रमशः 10 हार्स पावर एवं 15 हार्स पावर का कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके स्थान पर 15 हार्स पावर एवं 50 हार्स पावर की मोटर विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा चलवायी जा रही है और मोटर उखाड़ दिया जाता है ? क्या सरकार सन् 1982-83 एवं फरवरी 1983-84 तक के मीटर रीडिंग की भी जांच करायेगी ?

श्री बहादुर--

चकिया टाउन जिला वाराणसी के अन्तर्गत माता साव के नाम से कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है। बनारसी साव के नाम से 27 हार्सपावर का एक विद्युत् कनेक्शन था जिसका 8 जून, 1984 को उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया है। बनारसी साव को दूसरे स्थान पर 30 हार्सपावर का विद्युत् कनेक्शन दिनांक 28-4-84 को दिया गया है जहां मीटर लगा हुआ है, जो चालू हालत में है। यह कहना निराधार है कि बनारसी साव द्वारा 50 हार्सपावर की मीटर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा चलवायी जा रही है एवं मीटर उखाड़ दिया जाता है।

श्री बनारसी साव के पुराने कनेक्शन की वर्ष 82-83 एवं 83-84 की मीटर रीडिंग एवं अन्य विवरण संलग्नक "क" पर है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 116 पर।)

162--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माता प्रसाद व बनारसी साव टाउन चकिया वाराणसी को कब लाइट एवं औद्योगिक कनेक्शन दिये गये हैं और मीटर कब लगाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगा कि कनेक्शन पहले देकर चालू कर दिया गया और मीटर महीनों बाद लगाया गया है ?

श्री बहादुर—

माता प्रसाद के नाम से चांकिया टाउन में कोई विद्युत् कनेक्शन नहीं है। बनारसी साव को 27 हार्सपावर का औद्योगिक कनेक्शन दिनांक 1-1-64 को दिया गया था, जिसके उपभोक्ता के अनुरोध पर दिनांक 8-6-84 को स्थायीरूप से विच्छेदन कर दिया गया है। श्री बनारसी साव को 30 हार्सपावर के नये औद्योगिक विद्युत् देने की तिथि 28-4-84 है। इस कनेक्शन पर मीटर दिनांक 28-4-84 को ही लगाया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि कनेक्शन पहले देकर चालू कर दिया गया और मीटर महीनों बाद लगाया गया है।

बारबंकी जिले के जिला विकास अधिकारी हरिजन कल्याण विभाग द्वारा बोरिंग उपकरणों एवं किर्लोस्कर इंजन हेतु आमंत्रित कोटेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

163—श्री ऊदल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत बोरिंग उपकरणों, तथा किर्लोस्कर इन्जन की सप्लाई हेतु अपर जिला विकास अधिकारी, हरिजन कल्याण, बाराबंकी द्वारा दिनांक 14.2.84 को कोटेशन मांगे गये थे ? क्या यह सही है कि जिन लोगों ने कोटेशन दिये थे और जिनसे निगोशियेशन्स हुये थे उनके कोटेशन कंन्सिडर किये बगैर ऊंचे दर पर, तुलनात्मक घटिया माल की सप्लाई हेतु उक्त सप्लाई का ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किसको और क्यों ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

जी हां। जिन लोगों ने कोटेशन दिये थे उन्हें निगोसिएशन के लिए बुलाया गया था और निगोसिएशन की तिथि को कोटेशन देने वाले जो लोग उपस्थित हुए उन्होंने लिखकर दे दिया कि रेट कम करने में असमर्थ हैं। अतः उन्हें सप्लाई आदेश नहीं दिया गया। जहां तक उक्त ठेके की सप्लाई अन्य ठेकेदार को दिये जाने की बात है वह असत्य है। चूंकि इसी बीच पूर्वांचल विकास निगम, फैजाबाद ने भी सप्लाई के रेट दिये जो कोटेशन दाताओं के न्यूनतम रेटों से कम थे अथवा समान थे, अतः राज्य सरकार का संस्थान होने के कारण समस्त सामग्री निगम के माध्यम से लेने का निर्णय लिया गया।

164—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के भूतपूर्व विधायक श्री राम चन्द्र बख्श सिंह ने उक्त ठेके की अनियमितताओं के संदर्भ में दो पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश को दिनांक 20-3-1984 तथा 11-4-1984 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा था ? यदि हां, तो क्या उन तथ्यों की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ?

श्री सुखदेव प्रसाद—

भूतपूर्व विधायक श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का केवल एक पत्र दिनांक 9-3-1984 माननीय मंत्री हरिजन समाज कल्याण के यहां दिनांक 20-3-1984 को प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी बाराबंकी को जांच कराने हेतु भेजा गया। जांच अपेक्षित है।

किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा पेरा गया गन्ना एवं चीनी की रिकवरी

165—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद

जिला सीतापुर ने दिसम्बर, 1983 से 1984 तक कितने गन्ने की पिराई की है तथा उसमें कितने प्रतिशत चीनी की रिकवरी निकली ? इस अवधि में कुल कितने मूल्य के गन्ने का क्रय किया गया तथा उसमें से कितने रुपयों का भुगतान किसानों को किया जा चुका है तथा कितना शेष है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद (सीतापुर) में 15 दिसम्बर, 1983 से 23 मार्च, 1984 तक का 5·72 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी जिसमें 8·55 प्रतिशत चीनी परता (रिकवरी) आयी। इस अवधि में 123·96 लाख रुपये के मूल्य का गन्ना क्रय किया गया जिसमें से 31-8-1984 तक 110·39 लाख रुपये देय गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है तथा 13·57 लाख रुपये अवशेष हैं।

प्रदेश में खन्डसारी क्रशर के लिये दिये गये लाइसेन्स

166—श्री छत्तर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में कुल कितने खंडसारी क्रेशर लाइसेन्स प्रदेश में दिये गये हैं ? इनमें से कितने पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं कितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिये गये लाइसेंसों में 29 फरवरी, 1984 तक कार्य प्रारम्भ किया या नहीं ? यदि नहीं, तो दिये गये लाइसेन्सों को कब तक निरस्त कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्रदेश में सत्र 1983-84 में 28 नवीन लाइसेंस स्वीकार किये गये जिनमें से 8 पूर्वी क्षेत्र में, 15 मध्य क्षेत्र में, तथा 5 पश्चिमी क्षेत्र में हैं जिसका जिलेवार विवरण संलग्न है। पूर्वी क्षेत्र में दिये गये लाइसेंसों में से 29 फरवरी, 1984 तक किसी इकाई ने कार्य नहीं किया।

लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त के 9 महीने के भीतर बिना पर्याप्त कारणों के इकाई को न चलाने की स्थिति में उनके लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार रद्द या निलम्बित किये जा सकते हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 119 पर)।

गोरखपुर शहर की श्रीमती सिमरता देवी के विद्युत कनेक्शन का एस्टीमेट सम्बन्धी शिकायती-पत्र

167—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, तृतीय के सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने क्रमांक : 1845/82-83 दिनांक 15-3-1983 द्वारा लाइट फैन का एस्टीमेट श्रीमती सिमरता देवी शहर गोरखपुर के मुहल्ला बिलन्दपुर के नाम 523 रु0 का भेजा है ? यदि हां, तो क्या पुनः इसी इस्टीमेट को सेक्शन नं0 1845/82-83 (रिवाइज्ड) करके दिनांक 29-3-1984 को 1510 रु0 भेजा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद गोरखपुर में स्थित अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड तृतीय ने अपने कार्यालय पत्र सं0 1498, दिनांक 31-3-1983 द्वारा श्रीमती सिमरता देवी शहर गोरखपुर के मुहल्ला बिलंदपुर को लाइट फैन कनेक्शन हेतु 523 रु0 का एस्टीमेट भेजा था, जिसका उपभोक्ता ने निर्धारित समय के अन्दर भुगतान नहीं किया। अतः कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात परिषद द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेज (व्यय) में संशोधन कर दिये जाने एवं पूर्व स्टीमेट में कुछ कमी के कारण इस इस्टीमेट का पुनरीक्षण करना पड़ा, इसलिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड, तृतीय, गोरखपुर ने अपने पत्र सं0 1293 दिनांक 29-3-1984 द्वारा रु0 1510·00 रु0 का संशोधित इस्टीमेट उपभोक्ता के पास पुनः भेजा ।

168--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस दिशा में कोई शिकायती-पत्र माह मई, 1984 में स्थानीय सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता व शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस सम्बन्ध में माननीय विधायक जी का पत्र माह मई, 1984 का प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि प्रश्नगत भवन के सन्निकट अब विद्युत लाइन आ गई है । अतः दृष्टिगत रखते हुये पुनः नया इस्टीमेट बनाया जाय ।

तदनुसार नवीन स्थिति को देखकर नया स्टीमेट 595 रु0 का उपभोक्ता के पास जमा करने हेतु भेज दिया गया है, किन्तु उपभोक्ता द्वारा यह धनराशि अभी तक जमा नहीं की गई है, जिस कारण कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ईंट के भट्ठों पर बकाया बिक्रीकर एवं श्री कुतुबुल्लाह पर बकाया बिक्रीकर

169--फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में डुमरियागंज तहसील के कितने ईंट भट्ठा मालिकों के ऊपर सेल्स टैक्स की कितनी धनराशि शेष वसूला जाना है ? क्या यह भी सत्य है कि कुतुबुल्लाह, किताबुल्लाह और अजीजुलकदर पर या उनके अन्य परिवार के सदस्यों पर लगभग 20 लाख रुपया बिक्रीकर का बकाया है ? यदि हां, तो इसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

(क) बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में केवल 89 भट्ठा मालिकों पर 12,72,698.15 रु0 बकाया है जिसमें से न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न आदेशों द्वारा 1,33,011.29 रु0 स्थगित है ।

(ख) श्री कुतुबुल्लाह एवं उनके परिवार के अन्य 6 सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 1-9-84 को केवल 3,29,396.03 रुपया बकाया है, 20 लाख रुपया नहीं है ।

(ग) श्री कुतुबुल्लाह एवं उनके परिवार जनों के विरुद्ध चले आ रहे समस्त बकाया के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र काफी समय से जारी हैं तथा वसूली की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है । व्यापारी की अचल सम्पत्ति की नीलामी के लिए दिनांक 12-9-84 की तिथि जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की गयी बताई गयी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मी शुगर मिल छितौनी, देवरिया के सेवामुक्त कर्मचारी, श्री बांके मिश्र की आयु और शासकीय आवास, श्री दाहिया का स्थानान्तरण और कर्मचारियों का बकाया वेतन

170--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि शासकीय आवास के नियंत्रण में चलने वाली

लक्ष्मी शुगर मिल छितौनी, देवरिया में श्री बांके मिश्र तथा कुछ ऐसे सेवामुक्त कर्मचारी हैं जिन्हें पुनः सेवा में ले लिया गया है और कार्यालय में सेवा पुस्तिका में उनकी आयु 10 वर्ष बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

171—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि लक्ष्मी शुगर मिल छितौनी, जनपद देवरिया के शासकीय आदाता के स्थानान्तरण के बाद श्री दाहिया शासकीय आदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनके पास कोई प्रमाणित शैक्षिक योग्यता नहीं है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

172—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लक्ष्मी शुगर मिल जनपद देवरिया के कर्मचारियों के बकाया वेतन के सम्बन्ध में वर्तमान शासकीय आदाता ने जिस धनराशि की शासन से मांग की है, क्या वास्तव में उसका 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी नहीं ।

लखनऊ के श्री नासिर हुसैन नकवी, अमीन के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध जांच

173—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 4थे शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 111 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने सम्बन्धित अमीन को परिषद् से हटाकर जांच करने की मांग की थी ? यदि हां, तो गम्भीर शिकायतों और करीब 8 साल से एक ही स्थान पर रहने के कारण उसे न हटाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि अभी तक जांच में प्रश्नकर्त्ता का साक्ष्य नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । श्री नासिर हुसैन नकवी, अमीन को परिषदादेश संख्या 2848/10 (भू0 अ0) 7 स-82, दिनांक 11-6-84 द्वारा लखनऊ से ललितपुर जनपद को स्थानान्तरित कर दिया गया है । श्री नकवी के विरुद्ध जांच की जा रही है । जांच के अन्तर्गत उपयुक्त समय पर विधायक महोदय को साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।

श्री वी0 वी0 चतुर्वेदी, शासकीय आदाता, पंजाब शुगर मिल, घुघली, गोरखपुर के विरुद्ध जांच

174—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 4थे शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 35 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संदर्भित अधिकारी ने कितनी नियुक्तियां की थीं और कौन सी निर्धारित प्रक्रियायें उन्होंने नहीं अपनायी थीं और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के विरुद्ध शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि डा0 वर्मा की जांच रिपोर्ट क्या है व शासन को कब मिली और क्या उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

संदर्भित जांच रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ लि0

उ0 प्र0 द्वारा शासन के नियुक्ति विभाग को भेजी गयी थी। नियुक्ति विभाग द्वारा श्री चतुर्वेदी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

175—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर के क्षेत्र का निर्धारण एवं सहकारी गन्ना विकास समिति, बिसवां के कर्मचारियों की सेवाओं का समायोजन

176—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 महमूदाबाद के क्षेत्र निर्धारण के सम्बन्ध में किये गये विभागीय निर्णय के अनुसार सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिसवां, सीतापुर के स्थानान्तरित क्षेत्र से समितिभोगी कर्मचारियों को मिल की सेवाओं में समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी नहीं। अभी तक स्थानान्तरित क्षेत्र से किसी समितिभोगी कर्मचारी को मिल समिति की सेवाओं में समायोजित नहीं किया जा सका है, क्योंकि अभी तक परिसम्पत्तियों और दायित्वों का निर्धारण नहीं हो सका है।

बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेही घाट एवं फतेपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी से भूमि का कटाव

177—श्री प्रदीप कुमार यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे शुक्र के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 160 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद की तहसील रामसनेही घाट व तहसील फतेहपुर में वर्ष 1983 की घाघरा नदी की अभूतपूर्व बाढ़ से दोनों तहसीलों में 54,937 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुयी, जिसमें 13,73,42,500 रुपये की अनुमानित क्षति हुयी फिर भी जनता को राहत हेतु कोई ऋण प्रोग्राम नहीं चलाया गया ? यदि हां, तो क्यों और इससे बढ़कर वह कौन सी विषम परिस्थितियां होती हैं जब ऋण प्रोग्राम चलाये जाते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चूंकि प्रश्नगत दोनों तहसीलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पहले से ही चलाये जा रहे थे अतः अलग से कोई ऋण प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

178—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तल्ला सल्ट, विकास खण्ड, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में 1984 तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

पट्टी तल्ला सल्ट, विकास खण्ड, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में मार्च 1984 तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। किसी भी ग्राम के विद्युतीकरण न करने का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में विद्युत की लाइन अब तक पहुंची ही नहीं है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना में कर्मचारियों की नियुक्ति

179—श्री ऊबल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन

एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में बाल विकास परियोजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना के अन्तर्गत अब तक नियुक्तियां की गयी कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं और कितने प्रार्थना पत्र अब तक निदेशालय में विचाराधीन हैं ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लगभग 2017 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

प्रदेश के कानु (कान्दु) जाति को पिछड़ा जाति घोषित करने की मांग

179 (अ)--श्री ऊदल--

(अ) क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानु (कान्दू) जाति को बिहार सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी पिछड़ी जाति घोषित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव प्रसाद--

जी नहीं ।

जनवरी, 1979 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बी0 पी0 मण्डल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, जिससे यह संस्तुति मांगी गयी थी कि भारत वर्ष में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या माप दण्ड निर्धारित किये जायं और इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या उपाय किये जायं । उक्त रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे, जो अभी प्रतीक्षित हैं ।

बिक्री कर विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति और उनका आरक्षण कोटा

180--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 131 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान 430-685 में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 125 बताई गई है जबकि इस वेतनमान म 940 या इससे अधिक पद स्थाई/अस्थाई रूप से स्वीकृत हैं और 18 प्रतिशत के हिसाब से उपरोक्त संख्या 125 के स्थान पर 170 होनी चाहिये फिर भी कतिपय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

181--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर विभाग में वेतनमान 430—685 में 940 या इससे अधिक पद स्थाई/अस्थाई रूप से स्वीकृत हैं और क्या इन सभी पदों पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो निश्चित तदर्थ रूप से प्रमोट कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ? क्या तदर्थ रूप से प्रमोट कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 9-11-82 को प्रत्यावर्तित किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारी सबसे कनिष्ठ थे ? यदि कोटा पूर्ण नहीं है, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

182—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान 280—460 (अब 515—860) में निर्धारित 18 प्रतिशत का कोटा पूर्ण करने के लिए 11 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ? यदि हां, तो इन 11 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने कब—कब कार्यभार ग्रहण किया ? क्या 11वें कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ही तदर्थ रूप से प्रमोट सबसे सीनियर कर्मचारी को प्रत्यावर्तित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप निबन्धक कार्यालय, कन्नौज, फर्रुखाबाद के कर्मचारी श्री श्रीकृष्ण की अंशकालिक नियुक्ति

183—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक कार्यालय, कन्नौज, फर्रुखाबाद के कार्यकाल में कार्यरत पानी पिलाने वाले (श्री कृष्ण) जो वर्ष 1958 से वहां कार्य कर रहा है, से चपरासी के सभी कार्य जैसे ट्रेजरी पैसे से लाना, पैसे जमा करना आदि कार्य उप निबन्धक द्वारा किये जाते हैं परन्तु जब भी वहां पर चपरासी की रिक्त जगहें भरी गयीं, उसको न लेकर नये लोगों को भर्ती कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उप निबन्धक कार्यालय, कन्नौज में अंशकालिक रूप से पानी पिलाने वाले के रूप में श्री श्री कृष्ण मार्च, 1964 से अगस्त, 1972 तक तथा मार्च, 1974 के बाद कार्यरत रहे परन्तु उसके द्वारा बैंक, ट्रेजरी आदि से रुपया ले आने तथा ले जाने का कोई प्रमाण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । चपरासी के पद पर नियुक्ति के समय श्री श्री कृष्ण की शैक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं था । प्रार्थना पत्र में श्री श्री कृष्ण के स्वयं के कथनानुसार उनकी शैक्षिक योग्यता कम थी । अतः चपरासी के पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की गयी ।

[समय 12·20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—

श्री उपाध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह मैं इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में जो नियम हैं, उनके अनुसार जो कार्यवाही होगी, वह इस प्रकार है—

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है ।

13 सितम्बर, 1984 को मध्याह्न के पूर्व तक नामांकन आ जाना चाहिए था, उक्त अवधि में जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—

माननीय श्री केदारनाथ सिंह, प्रस्तावक हैं श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही और श्री राम आसरे वर्मा, समर्थक हैं और श्री नन्द किशोर सिंह, श्री फखरे आलम—प्रस्तावक हैं श्री ख्वाजा हलीम डा० शिवानन्द नौटियाल और श्री सुरेश दत्त पालीवाल, समर्थक हैं श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री विद्यासागर नौटियाल और श्री रियाज अहमद । श्री रियासत हुसैन—प्रस्तावक हैं श्री भोला लाल और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, समर्थक हैं श्री राम स्वरूप वर्मा और श्री गौरी शंकर भैय्या । श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने अपना नाम वापस ले लिया है । श्री सुखेवार सिंह—

प्रस्तावक हैं डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री शिव मंगल सिंह, समर्थक हैं श्री कुवर सिंह नेगी श्री राम कृष्ण माहेश्वरी और श्री जगदीश सिंह यादव । श्री हुकुम सिंह— प्रस्तावक हैं श्री मोहन सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री किरन पाल सिंह समर्थक हैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह और श्री बदन सिंह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 के उप नियम 4 में यह उपबन्ध है कि "निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम निर्देशित हुआ है पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा । तद्नुसार मैं प्रत्येक प्रस्तावक का नाम बारी-बारी से पुकारूंगा कि वे नाम वापस लेना चाहते हैं या नहीं ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, उपाध्यक्ष पद पर जब चुनाव होता है, तो परम्परा यह रही है कि सदन में एकता और विपक्ष में एकता बनी रहे । इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नेता सदन की । कम से कम एक बार वह विपक्ष के सभी नेताओं को बुला कर और उनसे बात-चीत करके एक शान्ति और एकता का वातावरण बनाने का प्रयास करते, परन्तु इस प्रकार का कोई भी प्रयास उनकी ओर से नहीं किया गया है । ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष का इरादा है कि विरोधी पक्ष में दरार डाली जाय । परम्परा के मुताबिक आपका भी दायित्व हो जाता है कि सदन एकता के सूत्र में बंधा रहे । अगर ऐसी स्थिति में परम्परा के विपरीत सदन का आचरण हो रहा है तो आपको उस पर व्यवस्था देनी चाहिए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक वातावरण का सम्बन्ध है, काफी दिनों से उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और उस पर चुनाव विचाराधीन है । मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिली है कि इस सम्बन्ध में आप लोगों की आपस में बात-चीत भी हुई है । फिर भी जितना सम्भव हो सके आप लोग इस बात का प्रयास करें कि माहौल उचित रहे । अभी मौका है कि चुनाव सर्वसम्मति से हो जाय और होना भी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कोई भी विरोधी पक्ष के नेता के साथ नेता सदन की बात नहीं हुई है । इसकी पुष्टि आप भी कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री केदार नाथ सिंह जी आप अपना नाम वापस लेना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

इस ओर पूरा प्रयास किया गया, अब भी कोई सहमति हो सकती है तो मैं तैयार हूं । सभी लोग एक मत होकर रहें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री केदार नाथ सिंह के प्रस्तावक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यदि प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्री केदार नाथ सिंह यहां हाउस में हैं ही नहीं किसका नाम प्रस्तावित किया जाए ।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए यह मुनासिब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझता हूं कि इस सिलसिले में विपक्ष में कोई झगड़ा न हो इस वजह से कि कोई परामर्श सत्तारूढ़ दल की तरफ से नहीं किया गया जो परम्परा पहले की रही है, उसको नहीं निभाया गया, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, उपाध्यक्ष पद के लिए मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है इस माननीय सदन के अन्दर यह पहला मौका है कि माननीय नेता सदन ने कोई परामर्श विपक्ष के लोगों से या किसी दल के नेतां से नहीं किया, इसलिए मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा और सदन की परम्पराओं को देखते हुए मैं इलेक्शन लड़ूंगा।

(शोर)

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मुझे बड़ा दुख है कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि परामर्श नहीं किया गया, परामर्श नहीं किया गया, इस बीच कई अवसर आए। इसमें यही नहीं होता है कि मैं ही हरेक से बात करूं। सभी दल के सम्मानित नेताओं को भी बात करनी चाहिए थी। जबकि इस सिलसिले में 10-12 बार बातें हुई होंगी. आखिर में यह कहां तक कहता फिरता कि तुम चाहते हो, तुम चाहते हो और दरार डालने की बात तब होती जब हम सब से यह कहते कि तुमको बना दूं, तुम को बना दूं। वैसे परामर्श के लिए शासन अब भी तैयार है आप 15 मिनट का समय दे दें, अभी हम लोग परामर्श कर लेते हैं, सदन तब तक आप चलाते रहिए। लेकिन मैं स्वयं यह जरूर चाहता हूं कि इस पद का अब चुनाव जरूर हो जाए, उत्तर प्रदेश की इतनी महत्व-पूर्ण विधान सभा का डिप्टी स्पीकर न हो यह उचित नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहें परामर्श करना अभी तो इसके लिए हम तैयार हैं।

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि हमारी उनकी सद्भावना हमेशा बनी रहेगी, इसका मुझे भरोसा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री रियासत हुसैन के श्री भोला लाल एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा प्रस्तावक हैं।

श्री भोला लाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्यक्ष पद के लिये श्री रियासत हुसैन का नाम प्रस्तावित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सूबेदार सिंह जी आप अपना वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष का सबसे बड़ा दल नियोजित ढंग से इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रहा है और अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको भाषण की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल यह बतायें कि आप अपना नाम वापस लेते हैं अथवा नहीं ?

श्री सूबेदार सिंह--

मैं माननीय रियासत हुसैन के पक्ष में अपना नाम वापिस लेता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद माननीय श्री हुकुम सिंह का नाम है, इनके प्रस्तावक हैं—श्री मोहन सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री किरन पाल सिंह ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्यक्ष पद के लिये माननीय श्री हुकुम सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूं ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं एक अपील करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि परम्परा है हमारे सदन में कि उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को जाता है और आज पांचवीं बार इस सदन में उपाध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम आया है । चार बार टल चुका है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे विरोध पक्ष की कमी रही कि हम एक मत होकर कोई केन्डीडेट ला नहीं सके । मान्यवर, यह भी हम जानते हैं कि अगर हमारे दल—विरोध पक्ष में मतैक्य नहीं होगा, तो केन्डीडेट वही होगा, केन्डीडेट वही चुना जायेगा, जिसको शासक पक्ष चाहेगा ।

मान्यवर, अब केन्डीडेट 2 ही रह गये हैं । कल हम लोगों ने नेता विरोधी दल के साथ, माननीय मुख्य मन्त्री जी के साथ बातचीत की और उनके दल का इरादा जानने की कोशिश की । उनकी राय यह मालूम हुई माननीय मुख्य मन्त्री जी की कि जो केन्डीडेट हैं, उनमें माननीय हुकुम सिंह अच्छे हैं । मान्यवर, मेरा यह भी एक आरोप है शासक दल पर कि हम मतैक्य नहीं हो पाये यह हमारी कमजोरी है, लेकिन इसमें शासक दल का कम हाथ नहीं है कि हम एक राय होने नहीं पाये । मान्यवर। मैं यह भी चाहता था कि जैसे अध्यक्ष के गरिमा के पद पर एक पुराना सदस्य और हरिजन सदस्य आसीन हैं, उसी प्रकार हमारी इच्छा यह भी थी कि इस उपाध्यक्ष पद पर एक अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य वहां पर पहुंचे ।

(व्यवधान)

आप लोग सुन लें । मेरी इच्छा थी कि इस उपाध्यक्ष के पद पर अल्पसंख्यक वर्ग का साथी बैठे, इसलिए मैंने लगातार शुरू से ही माननीय रियासत हुसैन के नाम का प्रस्ताव किया था । लेकिन, हम यह भी जानते हैं कि शासक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं मगर उसके दिल में उसके लिये क्या भावना है । मान्यवर, इस सदन की गरिमा बनी रहे, विरोध पक्ष की एकता बनी रहे, इसलिए अन्तिम क्षणों में माननीय रियासत हुसैन से अपील करता हूं कि वे अपना नाम वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष —

माननीय रियासत हुसैन साहब क्या आप अपना नाम वापस ले रहे हैं माननीय भीखा लाल जी ने आपसे अपील भी की है ।

(श्री रियासत हुसैन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*श्री राजेन्द्र सिंह—

जैसा माननीय भीखा लाल जी ने रियासत साहब से निवेदन किया है, मैं भी अपनी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से माननीय रियासत साहब से निवेदन करता हूं कि वे कम से कम विपक्ष की एकता को प्रदर्शित करते हुए, अपना नाम वापस लेने की कृपा करें ताकि उस गरिमामय पद के लिये हमारे बीच मतैक्य हो सके ।

श्री फखरे आलम—

विपक्ष की एकता को कायम रखने के लिये और सदन की गरिमा को भी कायम रखने के लिये और इस बात को देखते हुए कि हमेशा ऐसा रहा है कि

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि वह निर्विरोध हुआ है, तो मैं माननीय नेता, सदन से गुजारिश करूंगा और माननीय नेता, विरोधी दल से भी कहूंगा कि माननीय रियासत साहब को निर्विरोध निर्वाचित करा दें और माननीय हुकुम सिंह जी का नाम वापस ले लें।

*श्री खैरूल बशर—

मेरी एक अपील है। मैं चाहता हूं कि इस सदन के विरोधी दलों की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ से जो कैन्डीडेट खड़े हुए हैं श्री हुकुम सिंह जी, तो जो अल्पसंख्यक की बात की गयी है, सदन में ऐसी कोई बात नहीं है न कोई अल्पसंख्यक का सवाल है, न कोई बहुसंख्यक का सवाल है। सदन की जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उसके साथ हम मिलकर चलेंगे। मैं रियासत साहब से कहूंगा कि अपना नाम वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिये जो स्थिति इस समय पैदा हुई है, सभी सदस्यों को यह एहसास है कि माननीय नेता, सदन ने विपक्ष के नेताओं से सहमति के बारे में कोई बात नहीं की। उनकी मंशा साफ जाहिर है कि विपक्ष में दरार पड़े और ऐसी स्थिति में विपक्ष का एक दायित्व हो जाता है कि सत्ता पक्ष की साजिश नाकाम की जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

चूंकि सत्ता पक्ष का इरादा है कि विपक्ष में दरार पड़े, इसलिये मैं माननीय रियासत साहब से अपील करूंगा कि विपक्ष में दरार न पड़े, इसलिये वे अपना नाम वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

(श्री रियासत हुसैन को सम्बोधित करते हुए।)

माननीय रियासत हुसैन जी, क्या आप अपना नाम वापस ले रहे हैं?

(श्री रियासत हुसैन द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर।) इसका अर्थ है, आप नाम वापस नहीं ले रहे हैं।

चूंकि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं। अतः नियम 9 एवं नियम 8 के उपनियम (5) और उपनियम (6) के अनुसार मतदान शलाका द्वारा किया जायगा। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मैं नियम 8 का उपनियम (5) और उपनियम (6) पढ़े देता हूं। प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायगा। जब दो से अधिक सदस्यों, यहां तो केवल दो ही सदस्यों के नाम निर्देशित हुए हैं और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायेगा और पुनः शलाका की जायेगी। प्रत्येक शलाका के अन्त में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायेगा, और ऐसा उस समय तक ही रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की, या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की, अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।

जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब पर्ची डाल कर यह निश्चित किया जायेगा कि उपनियम (5) के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाये।

चूंकि नियमों के अन्तर्गत मतदान शलाका द्वारा होता है अतः उसके लिये शलाका पत्र तैयार करा लिए गये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए यह प्रबन्ध किया गया है कि शलाका पत्र सभा मण्डप में बने बूथ द्वारा वितरित किये जायेंगे और माननीय सदस्यों को जिलेवार पुकारा जायेगा। सदस्य बूथ पर जाकर शलाका-पत्र ले सकेंगे। शलाका-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त माननीय सदस्यगण अध्यक्ष मंच पर आकर शलाका-पत्र पर अपना मत अंकित करेंगे। माननीय सदस्य जिन अभ्यर्थी को अपने मत देना चाहें उनके नाम के आगे क्रास (×) का चिन्ह लगा कर मत देंगे। वह चिन्ह रेखाओं के बीच में नाम के आगे जो स्थान उसके लिए हैं, अंकित करना है न कि रेखाओं पर।

श्री मुख्तार अनीस--

मत के लिये क्रास का चिन्ह लगाया जायेगा या सही का ?

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने क्या कहा ? क्या आपने सुना नहीं ? क्रास का चिन्ह लगाना है। कोई माननीय सदस्य न तो शलाका पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, न कोई इस प्रकार का चिन्ह बनायेंगे जिससे यह पता चल सके कि उक्त मत किसने दिया है। शलाका-पत्र पर चिन्ह अंकित करने के उपरान्त माननीय सदस्य इस मत पत्र को मोड़कर मत पेटी जो सामने रखी है, उसमें डाल कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

मतदान के समय समस्त दरवाजे बन्द करवा दिये जायेंगे जब तक मतदान चलता रहेगा। अगर कोई सदस्य वोट डालने के लिए जायेंगे तो उन्हें रोका नहीं जायेगा और उन्हें आने दिया जायेगा।

अब मतदान की प्रक्रिया आरम्भ होती है।

माननीय संजय सिंह ने प्रार्थना की है कि उनको कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है इसलिए मैं उनको आज्ञा देता हूं कि वे पहले अपना मत डाल कर जा सकेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मुझे भी अनुपूरक बजट पास कराने के लिए जाना है इसलिए मुझे भी श्री संजय सिंह के बाद वोट डालने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, श्री संजय सिंह के बाद आप डाल दीजियेगा।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 45 मिनट पर संयुक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने लगे और मत डालने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी।)

(मतदान होने के मध्य 1 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

(मतदान के ही मध्य 2 बजे अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

(मतदान के ही मध्य 2 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(मतदान समाप्त होने पर)

[समय 2 बजकर 10 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई माननीय सदस्य यहां हों या बाहर हों और वह वोट देना चाहते हैं तो उनको वोट देने के लिये इस सदन में आमंत्रित करता हूं। मैं समझता हूं कि किसी को मत देना शेष नहीं रह गया है और 5 मिनट बाद गणना प्रारम्भ होगी।

(5 मिनट बाद)

श्री अध्यक्ष--

अब समय हो गया है, अतः अब मत गणना होगी।

(मतगणना होने पर)

माननीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम इस प्रकार है—

मतों की जो गणना हुई उसके अनुसार कुल मत 319 डाले गये। अवैध मतों की संख्या 2 है तथा वैध मतों की संख्या 317 है। वैध मतों में श्री हुकुम सिंह को 292 मत प्राप्त हुए।

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय रियासत हुसैन को 25 मत प्राप्त हुए। मतों की गणना के फलस्वरूप श्री हुकुम सिंह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं का मैं आभारी हूं और विशेषकर जितने और भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने ठीक प्रकार से अनुशासन में रह कर आज जो यहां पर मतदान की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी, उसको सम्पन्न कराया। मैं माननीय हुकुम सिंह के निर्वाचन के बाद उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं। जहां तक माननीय हुकुम सिंह का जो संक्षेप में परिचय है, आपका जन्म 5 अप्रैल, 1938 को हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी0 ए0, एल-एल0 बी0 की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद आप भारतीय सेना में कमीशन्ड आफिसर के पद पर चले गये और जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था, 1965 में उस वक्त पूंछ रिजौरी सेक्टर में रहकर, उसमें अच्छे सोल्जर के रूप में, कमाण्डर के रूप में आपने हिस्सा लिया। आपका प्रमुख व्यवसाय कृषि और वकालत है। सेना के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आप आसीन रहे और 1969 में स्वयं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप सेना छोड़कर घर आ गये।

1974 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और एक राजनीतिक दल के सदस्य रहे। सन् 1974 के सामान्य निर्वाचन में आप प्रथम बार विधान सभा के सदस्य हुए। दूसरी बार सन् 1980 में भी आप पुनः विजयी हुये और इस आदरणीय सदन के सदस्य बने। विधान सभा की पुस्तकालय परामर्शदात्री एवं विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। महामन्त्री जिला बार एसोसिएशन 1969 से 1972 तक रहे, महामन्त्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1976 से 1979 तक तथा जिला अध्यक्ष, लोकदल 1980 से वर्तमान तक। इसके पहले की पी0 ए0 सी0 के सभापति के रूप में आपने काम किया है।

जहां तक माननीय हुकुम सिंह का सम्बन्ध है सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि उन्होंने इस सदन में कितने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। 1974 से अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि वह एक कुशल पार्लियामेंटेरियन हैं। उनका जजमेंट जो हाउस में होता है, माना कि वह विपक्ष में बैठते हैं, इस बात के होते हुये कार्यमन्त्रणा समिति और दूसरे स्थानों पर जो उनका जजमेंट रहा है वह इस प्रकार का रहा है जिससे यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जितने काम किये और जो कार्य करने की इनकी पद्धति है वह संजीदगी की है।

मैं पुनः उनका अभिनन्दन करता हूं और नेता सदन और अन्य नेताओं से कहूंगा कि वह माननीय हुकुम सिंह, उपाध्यक्ष जी को जहां कहीं हों, ढूंढ़कर यहां पर लायें।

(नेता विरोधी दल, नेता सदन ने श्री उपाध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तक ले गये और श्री अध्यक्ष तथा श्री उपाध्यक्ष आपस में गले मिले।)

(इस समय 2 बजकर 49 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आप जैसा निश्छल व्यक्ति आज इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

श्रीमन्, मैंने, जब आप पहली बार सन् 1974 में सामान्य निर्वाचन में चुनकर आये, तब से आपके क्रियाकलाप और कार्य पद्धति का अवलोकन किया है। आपकी गम्भीरता, विषयों के प्रति स्वाभाविक रुझान और सबसे बड़ी आवश्यकता है किसी भी विधान मंडल के लिए या सदन के लिए पार्लियामेंटरी टैम्पर की। संसदीय वृत्ति तो आपके स्वभाव ही में है। किसी भी सदन को चलाने के लिए आवश्यकता होती है संसदीय रुझान की। प्रदेश के जो यहां पर जन प्रतिनिधि लोग आते हैं, उनके लिए और हमारे लिए जरूरी है कि हमारे अन्दर संसदीय वृत्ति हो, हमारा रुझान, चाल-ढाल ऐसी हो जो संसदीय कसौटी पर खरी उतरे। इस दृष्टि से हमने देखा है। आपका जो चरित्र है वह संसदीय चरित्र है, इसलिए इस सदन ने आपको उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है।

जब सन् 1962 में भारत और चीन का हमला हो रहा था तो आपने बहुत सहयोग किया। आपने भारत पाक युद्ध में पुंछ रिजोरी सेक्टर में रहकर भारत की सुरक्षा में पूर्ण योगदान दिया। आपका व्यक्तित्व प्रखरवादी और आदर्शवादी है। आप संसदीय अधिकारों और कर्तव्यों का सही ढंग से निष्पादन करते हुये इस विधान सभा के सहयोगी होंगे, माननीय अध्यक्ष जी के सहयोगी होंगे और जो उपाध्यक्ष पद की गरिमा है उसको बनाये रखेंगे ऐसी आशा हम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपको इस आदरणीय सदन के सर्वोच्च पद पर आसीन देखकर। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने आपके प्रति एक आदर और इज्जत का भाव प्रदर्शित किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस सदन की गरिमा और विधान मंडल की इज्जत को बरकरार रखने में, इसे आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। आपकी कार्यकुशलता आपकी निष्पक्षता को देखकर जिस जगह पर आपको बिठाया गया है, उसका परिचय आपको आने वाले समय में देना होगा। व्यक्ति को जितनी गरिमा के पद मिलते हैं उसी उत्तरदायित्व उतना ही अधिक बढ़ जाता है। सम्पूर्ण सदन आपसे आशा करेगा कि आपके निर्णय निष्पक्ष होंगे और उनको आप आने वाले समय में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जायेगा और उनको देखकर आने वाली जेनरेशन को खुशी होगी। मैं और मेरा दल आपसे आशा करता है कि आने वाले समय में आप इस सबूत को भी देंगे कि इस सदन के अन्दर ही नहीं, प्रदेश की जनता के सामने भी आपका यह पद आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को डिगा नहीं पायेगा। मान्यवर, मैं और भी कई चीजें जिनकी आज तक परिपाटी पड़ी हुई है, मैं आशा करूंगा कि उनमें स्वच्छता, शालीनता, निष्पक्षता और ईमानदारी लाने का कार्य आप करेंगे। मान्यवर, कुछ चीजें आपको तोड़नी भी होंगी। जैसा माननीय नेता सदन ने कहा, आप सन् 1974 में जब आये, तब भी विपक्ष में थे। सन् 1980 में पुनः आये तो विपक्ष में हमारे साथ थे, और अब तो जैसा मैंने कहा कि इस कुर्सी की मर्यादा को बनाये रखेंगे मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आज डगमगाई हुई है लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि हम याद करेंगे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से उस पीठ के निष्पक्ष और निर्विवाद आदेश और निर्णय

सुनने को मिलेंगे। मैं फिर अपने दल की ओर से, अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं और फिर आपसे आशा करता हूं एक परम्परा को चार चांद लगाने का कार्य आप करेंगे तथा इस प्रदेश और हम सभी की इज्जत बढ़ाने का कार्य करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, मुझे आज इस बात पर बड़ी खुशी है कि आप, अभी फखरे आलम साहब ने कहा है कि हरा कर बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। यह खुशी इसलिए और है कि मुझे इस बात का गौरव है कि आज से उस पीठ पर भारतीय सेना का एक अधिकारी बैठा है, जो भारतीय सेना की सेवा कर चुका है। मैं खुद भी भारतीय सेना की सेवा कर चुका हूं। इसलिए मैं स्वयं किसी हद तक आपकी उस पीठ का हिस्सेदार हूं। बहरहाल, इसके साथ ही आपने इस चुनाव के बाद कुछ ऐतिहासिक बुनियाद भी डाली है। यह तो पहले ही खुला हुआ नतीजा था, जब सत्ता पक्ष के लोग आपके बारे में कहते थे। मुझे तो हारना ही था। अभी कुछ दिन पहले इस देश के अन्दर वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ। सब जानते थे कि कामले साहब हारेंगे, लेकिन सारे विपक्ष के लोगों ने मिलकर कामले साहब को खड़ा किया। एक प्रजातंत्र के अंदर चुनाव ही हमारी जिन्दगी का आधार है। चाहे आप उधर बैठे हों और हम इधर और चाहे आप इधर और हम उधर। चुनाव एक आधार है प्रजातंत्र का और यह आपके देश को मजबूत बनाता है और बनाए रखता है।

आज देश के अन्दर जो प्रथा चल पड़ी है चाहे इधर के हों या उधर के, कि नेता चाहे अपनी कलम से किसी की गर्दन काट दे, योग्य को हटाकर अयोग्य को लगा दें, अयोग्य को योग्य बना दें तो यह प्रथा जो चल पड़ी है। यह प्रजातंत्र को और राजनीति को धक्का देने वाली और समाप्त करने वाली है। इसको जिंदा रखने के लिये इस जम्हूरियत के अधिकार को बनाए रखना होगा। इसका इस देश के हर नागरिक को अधिकार है। चुनाव होगा कि नहीं, इसके पीछे भी एक प्रश्न चिह्न है। इस पर लगातार चर्चायें चल रही हैं। हमारे और आपके जीवन में प्रजातंत्र के अन्दर बुनियादी चुनाव करना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव की प्रथा में भी एक इतिहास कायम हो गया है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री भगवतीलाल जी ने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। आज इस चुनाव से यह साबित हो चुका है कि इस देश में अल्पसंख्यकों की हैसियत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आशा करता हूं और आपसे एक वायदा करता हूं कि आप उस परम्परा को तोड़ेंगे जो परम्परा आपसे पहले उस पीठ से बैठने वालों ने यहां पर स्थापित की है। उस पीठ पर बैठकर फ्लोर क्रास इन्डिरेक्टली होता है, इसे आप तोड़ेंगे और आपकी जहां जगह है, अर्थात् नेता विरोधी दल के पास जो आपका सीट है, उसे आप अन्तिम समय तक सुशोभित करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं और मेरा दल यह वचन देता है बावजूद आपसे इलेक्शन में हारने के बाद भी, हम इस आदरणीय सदन के लिए काम करते रहेंगे और आपके हर आदेशों का हम पालन करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि आप इस पीठ पर आसीन होकर मजबूती से निर्णय लेंगे, बिना किसी प्रकार भयभीत हुए। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं। एक ऐसी परम्परा कायम करेंगे, जिससे 2-2 साल और ढाई-ढाई साल तक के लिए जो उपाध्यक्ष का पद रिक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहता था, वह खाली न रहे । चाहे उस पद की रिक्त पूर्ति चुनाव द्वारा हो या बिना चुनाव द्वारा । धन्यवाद ।

श्री भोखालाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको इस पद पर आसीन किये जाने के उपलक्ष में मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आप दोनों भूतपूर्व सैनिक रहे हैं । इस रहस्य का उद्घाटन भी आज ही हुआ है । इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मौसेरे भाई पूरी कुश्ती लड़ रहे थे । चाहे आपकी विजय हो या फिर उनकी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है । इसमें श्री रियासत हुसैन जी की कोई हार नहीं है । यह तो एक कनटेस्ट था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस पीठ पर आसीन होकर निश्चित ही सदन में कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि यहां पर आये दिन होता आया है और आज देश की जो स्थिति है । और उसमें आपको काफी धैर्य से काम लेना पड़ेगा, विनम्रता से काम लेना पड़ेगा और किसी भी मामले में उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा और हम समझते हैं कि यह सारी विशेषताएं आप में मौजूद हैं और आप उस सीट पर बैठकर सदन के संचालन में सफल सिद्ध होंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा आपकी पीठ से होती रहेगी । और आप इस विधान सभा में चाहे पी० ए० सी० कमेटी या किसी भी कमेटी में अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में जहां भी रहे हैं आपने अपनी प्रतिभा और अच्छी कार्य शैली का ही परिचय दिया है और साथ ही हमें आपसे यह उम्मीद है कि आप सदन की गरिमा को बनाये रखते हुए इसको संचालित करने का प्रयत्न करेंगे और उनके संचालन में आप सफल भी होंगे इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं ।

श्री फखरे आलम--

मुझे इस बात की खुशी है कि जो आज इस पद पर आप का चुनाव हुआ और उपाध्यक्ष की हैसियत से हमारे बीच में आए । आप अधिष्ठाता मंडल में भी रहे हैं और इस पीठ पर बैठकर भी आपने संचालन किया है और उस पर बैठकर आपने जो फैसले लिये, वह बहुत ही खूबी के साथ लिये और बड़ी कुशलता, उदारता और बिल्कुल इन्डेपेन्डेंट होकर लिये हैं । इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इस आसन पर बैठकर विधान सभा की हैसियत को बढ़ाया है । यह बात हम लोगों के लिए न सिर्फ खुशी की बात है बल्कि एक हर्ष और उल्लास का मौका है, हालांकि 9 महीने का ही टर्म बाकी रह गया है । अगर इससे पहले आप ही गये होते तो कुछ और बात थी, फिर भी 9 महीने बहुत होते हैं क्योंकि इन 9 महीनों में कुछ से कुछ हो जाता है । साथ ही हमें उम्मीद है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे । जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप इससे पहले भी आसीन रह चुके हैं इस सीट पर उस वक्त इनके संचालन में जो आपने इम्प्रेशन छोड़ा है वह भी एक अद्वितीय यादगार है और आगे भी उम्मीद है कि इसी प्रकार इम्प्रेशन आप छोड़ेंगे । साथ ही मैं उस दौर को भी याद करूंगा जब आप इधर बैठा करते थे और ऐसे-ऐसे सप्लीमेंट्री किया करते थे जिससे बहुत सी कानूनी पेचीदगी सामने आती थीं, अब वहां पर जाकर आप यह नहीं कर सकेंगे ।

(हंसी)

मान्यवर, जो आप यहां पर बैठकर कार्य किया करते थे अब वह कार्य वहां पर बैठकर नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि न सिर्फ अपोजीशन

बल्कि पूरा विधान सभा उस चीज से वंचित रह गया है, इन सब के अलावा जो आप यहां बैठकर यू0 के0 और यू0 एस0 ए0 की रूलिंग का इन्टरप्रिटेशन किया करते थे वह अब नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि आज उस चीज की बहुत बड़ी कमी हो गयी है, जो आपने इस कुर्सी को खाली कर इस कुर्सी पर बैठकर कर दी है।

मान्यवर, मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं और मेरा दल आपको हर तरह से सहयोग करेगा और आपको हर मामले में साथ देगा। और यह उम्मीद करता हूं कि आपके जो फैसले होंगे, वह विधान सभा की तारीख में यादगार रहेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जैसा अभी कहा, आपकी कुशलता, आपकी काबलियत, आपका तजर्बा, इस बात की दलील है कि इस कुर्सी पर बैठकर पूरे तरीके से आप उस काम को अंजाम देंगे। मेरे साथीगण बड़ी गुजारिश कर रहे हैं कि मैं कोई शेर कहूं, लेकिन आज मुझे आपकी सूरत देखकर कोई शेर याद ही नहीं आ रहा है।

(हंसी)

अन्त में, आपको पुनः बधाई देते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर थे, उस जगह पर आप जरूर कायम रहें। मैं आपको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से पुनः बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय नेता डी0 एस0 पी0 एवं माननीय सदस्यगण। आज माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और सभी दूसरे नेताओं ने उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद जो बधाई मुझको दी है और जो बड़े दयापूर्ण शब्द मेरे प्रति कहे हैं, मैं उसके लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं और सभी माननीय सदस्यगण को धन्यवाद देता हूं कि इस योग्य उन्होंने मुझे समझा कि मैं यहां पर आ सकूं और उपाध्यक्ष पद का कार्य संचालन कर सकूं।

कई बातें कहीं गयी हैं, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इन मान्यताओं को मानता हूं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी माननीय सदस्यगण का चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, उनका विश्वास इस पीठ में बना रहे और जो व्यक्ति इस पीठ पर आसीन होकर उस विश्वास को कायम रख सके, मैं सबसे बड़ी सफलता उसको मानता हूं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन संस्कारों में मेरी परवरिश हुई है और आपका जो प्रेम और विश्वास प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप मैं अपने आपको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई अवसर नहीं दूंगा जिससे कि किसी प्रकार के विश्वास की कमी मुझ में झलके। काफी समय इसमें लगा है, अतः अपने भाषण की कटौती करते हुए, मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।

सदन स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह प्रस्ताव है कि सदन आज के लिये स्थगित हो जाय और 17 तारीख को फिर बैठे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

और नेताओं ने भी मुझसे कहा है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है

यदि आज की कार्यवाही 17 तारीख को हो ।

श्री रियासत हुसैन—

जो माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा है कि आज की कार्यवाही 17 तारीख को ले ली जाय, 3-30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग भी है, इसमें काम को तरतीब दे दी जायगी, आज सदन स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और आज का शेष कार्य 17 तारीख को लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 17 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 17 मिनट पर सोमवार, 17 सितम्बर, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
14-9-84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुद्रण प्रतिष्ठान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

विवरण

क्रम-सं0	उपभोक्ता श्रेणी	1976 से ली जाने वाली जमानत की धनराशि	1983 से ली जाने वाली जमानत की धनराशि
1	2	3	4
		रु0	
1	घरेलू बत्ती/पंखा एवं पावर	100.00	125.00
	1 किलोवाट तक 1		
2	1 किलोवाट से ऊपर 1.5 किलोवाट तक	150.00	200.00
3	1.5 किलोवाट से ऊपर और 2 किलोवाट तक	200.00	250.00
4	2 किलोवाट से ऊपर और 2.5 किलोवाट तक	250.00	325.00
5	2.5 किलोवाट से ऊपर 4 किलोवाट तक	400.00	525.00
6	4 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट तक	500.00	650.00
	5 किलोवाट से ऊपर और 6 किलोवाट तक	600.00	800.00
	6 किलोवाट से ऊपर	प्रत्येक मामले में इसका निर्धारण इस आशय से किया जाता है कि न्यूनतम जमानत की धनराशि उसके 3 माह के विद्युत उपभोग से किसी भी दशा में कम न हो।	प्रत्येक मामले में इसका निर्धारण इस आशय से किया जाता है कि न्यूनतम जमानत की धनराशि उसके 3 माह के विद्युत उपभोग से किसी भी दशा में कम न हो।
2	वाणिज्यिक बत्ती/पंखा एवं पावर	240.00 प्रति किलोवाट	300.00 प्रति किलोवाट

1	2	3	4
			रु0
3	सिनेमा एवं थियेटर	240.00 प्रति किलोवाट	400.00 प्रति किलोवाट
4	एक्सरे मशीन	60.00 प्रति किलोवाट	100.00 प्रति किलोवाट
5	पथ प्रकाश	175.00 प्रति किलोवाट	200.00 प्रति किलोवाट
6	निजी नलकूप/पंपसेट (सिंचाई हेतु)	45.00 प्रति हार्सपावर +15.00 रोशनी हेतु	65.00 प्रति हार्सपावर +30.00 रोशनी हेतु
7	लघु एवं मध्यम पावर	45.00 प्रति किलोवाट	75.00 प्रति हार्सपावर
8	5 किलोवाट से ऊपर मिश्रित पावर	40.00 प्रति किलोवाट	75.00 प्रति किलोवाट
9	बड़े पावर	75.00 प्रति किलोवाट	125.00 प्रति किलोवाट
10	भारी पावर	90.00 प्रति के0 वी0 ए0	130.00 प्रति के0 वी0 ए0

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

सूची (अ)

विकास खंडवार—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ऊर्जित ग्राम तथा ऊर्जित हरिजन बस्ती 1980–81

विकास खण्ड का नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां
1 जलालपुर	1 नेवादा	1 हरीपुर
	2 प्रधानपुर	2 हरीकरन पट्टी
	3 सलेमपुर	
	4 कोहारी	
	5 मनहन	
	6 कुर्री	
	7 उन्दपुर	
	8 डिसौरी	
2 मुफ्तीगंज	1 मगन	1 पित्तूपुर
	2 रामपुर	
	3 पर्वापुर	
	4 निशाम	
	5 कहाली	
	6 उमाव	
	7 ललमठपुर	
	8 मामपुर	
3 धर्मपुर	1 उमरपुर	1 लल्लेपुर
	2 मकदमपुर	2 जमेथा
	3 गोसाईपुर	3 परियावां
	4 धनेजा	4 कबीरहोमपुर
	5 अमवहां	
	6 बतीरपुर	
	7 कोहना	
	8 पवना	

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

सूची (ब)

विकास खण्डवार केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा ऊर्जित ग्राम तथा ऊर्जित हरिजन बस्ती 1981–82

विकास खण्ड का नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण
1—जलालपुर	1—महिमापुर
	2—अउवार
	3—कुर्सिया
	4—रसूलपुर
	5—महवारी
2—मुफ्तीगंज	1—जगदीशपुर
	2—पेगारा
	3—मोगी पट्टी
	4—साला मावाड़ा
	5—भीरपुर
3—धर्मापुर	1—खोजनपुर
	2—लहरपुर
	3—गोपीपुर
	4—जगदीशपुर
	5—होज

सूची (स)

विकास खण्डवार केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा ऊर्जित ग्राम तथा ऊर्जित हरिजन बस्तियां 1982–83

विकास खण्ड का नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां
1—जलालपुर	1—रक्शमापुर	1—लालपुर
	2—गरहिला	2—सरकौनी
	3—उसमइला	3—अहादुरपुर
	4—तुरहना	4—पहाड़पुर
	5—इजरी	
	6—कोठया	

विकास खण्ड का नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां
2—मुफ्तीगंज	1—रसूलपुर	1—कवटा
	2—कोतवालपुर	2—बारमपुर
	3—पसेवा	3—सोया पट्टी
	4—करमूना	4—संतपुर गयासपुर
	5—देवाकलपुर	5—संबपुर
	6—सुरेला	6—बेलाव
		7—तला महुवारा
3—धर्मापुर	1—संदाबाद	1—धोकलगंज
	2—तारतला	2—हुसैनाबाद
	3—सरसौड़ा	3—जगदीशपुर
	4—पहेतिया	4—केशवपुर
	5—काशीपुर	5—कलगांव
	6—देवबन्दपुर	

सूची (ग)

विकास खण्डवार केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा ऊर्जित ग्राम तथा ऊर्जित हरिजन बस्ती 1983-84 में 1-12-83 तक

विकास खण्डका नाम	ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां
1—जलालपुर	..	1—सलेमपुर
2—मुफतीगंज	..	2—बेरमिवा
3—धर्मापुर	..	3—गोपीपुर

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में निम्न गाटा में लगे वृक्षों का विवरण

1153 में ..	2 पेड़	महुआ	अनुमानित	उम्र 70 वर्ष
	1 पेड़	महुआ	अनुमानित	उम्र 20 वर्ष
	2 पेड़	महुआ	अनुमानित	उम्र 7 वर्ष
	2 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 8 वर्ष
	1 पेड़	कंथा	अनुमानित	उम्र 50 वर्ष
	1 पेड़	बेल	अनुमानित	उम्र 50 वर्ष
	7 पेड़	बेल	अनुमानित	उम्र 5 वर्ष
	1 पेड़	बेर	अनुमानित	उम्र 6 वर्ष
	2 पेड़	सेहर	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	2 पेड़	शरीफा	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	3 पेड़	बांसकोठ	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	22 पेड़	ढाख	अनुमानित	उम्र 5 वर्ष
1154 में ..	5 पेड़	महुआ	अनुमानित	उम्र 70 वर्ष
	1 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 15 वर्ष
	2 पेड़	नीम	अनुमानित	उम्र 16 वर्ष
	1 पेड़	नीम	अनुमानित	उम्र 3 वर्ष
	1 पेड़	शहजब	अनुमानित	उम्र 50 वर्ष
	1 पेड़	बेल	अनुमानित	उम्र 50 वर्ष
	1 पेड़	बेर	अनुमानित	उम्र 20 वर्ष
	1 पेड़	खजूर	अनुमानित	उम्र 20 वर्ष
	1 पेड़	जामुन	अनुमानित	उम्र 12 वर्ष
	1 पेड़	चिलबिल	अनुमानित	उम्र 5 वर्ष
	7 पेड़	शरीफा	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	2 पेड़	बांसकोठ	अनुमानित	उम्र 40 वर्ष
	36 पेड़	ढाक	अनुमानित	उम्र 3 से 5 वर्ष

1155 में ..	3 पेड़	नीम	अनुमानित	उम्र 4 वर्ष
	2 पेड़	नीम	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	1 पेड़	शीशम	अनुमानित	उम्र 1 वर्ष
	2 पेड़	बेर	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	1 पेड़	बांसकोठ	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	2 पेड़	ढाक	अनुमानित	उम्र 4 वर्ष
1156 में ..	1 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 50 वर्ष
	1 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 5 वर्ष
	1 पेड़	बेर	अनुमानित	उम्र 5 वर्ष
	1 पेड़	लसोढा	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	1 पेड़	मोलश्री	अनुमानित	उम्र 70 वर्ष
	1 पेड़	चिलबिल	अनुमानित	उम्र 3 वर्ष
	10 पेड़	ढाक	अनुमानित	उम्र 2 से 5 वर्ष
1130 में ..	11 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 80 वर्ष
	6 पेड़	महुआ	अनुमानित	उम्र 80 वर्ष
	2 पेड़	जामुन	अनुमानित	उम्र 80 वर्ष
	3 पेड़	आम	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष
	4 पेड़	नीम	अनुमानित	उम्र 10 वर्ष

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

चयनित अभ्यर्थियों की सूची

1—श्रीमती उषा शंकर ।

2—कु0 इन्दू पाण्डे ।

3—श्रीमती गीता रानी पाण्डे ।

4—श्री सुरेश चन्द्र दूबे ।

5—श्रीमती आशा पुरी ।

6—कुमारी माधुरी ।

7—डा0 (श्रीमती) राजकुमारी यादव ।

8—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह ।

9—श्री एन0 आर0 कुशवाहा ।

10—श्री विपिन कुमार ।

11—कु0 रेखा कुमारी ।

12—श्री बाल कृष्ण पाण्डेय ।

13—श्री बंश गोपाल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता० प्र0 सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

ग्राम केशोपुर थाना राया, जिला मथुरा के अग्नि-पीड़ितों को शासन द्वारा दी गई सहायता की सूची :

तहसील मांट

क्र0सं0	नाम/पता प्रभावित व्यक्ति	अनुमानित क्षति	शासन द्वारा दी गई सहायता			विशेष विवरण
			अहेतुक सहायता	गृह नि0	अनु0 तकावी	
1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	रु0		
1	सोनी पुत्र कन्हैया	16,200	1,000	500	..	
2	राधे पुत्र हरनरायन	10,200	1,000	500	..	
3	कन्नो पुत्र कुण्दा	11,600	1,000	500	..	
4	देवकी पुत्र मक्खन	21,200	..	500	..	4 एकड़ का काश्तकार है।
5	लालाराम पुत्र मक्खन	16,500	..	500	..	अध्यापक है।
6	रामसरूप पुत्र सूखा	14,300	..	500	..	
7	मोती पुत्र सूखा	13,800	1,000	500	..	
8	मिश्री पुत्र कल्ला	14,000	..	500	..	
9	भिक्की पुत्र सूखा	4,500	600	400	..	
10	गया प्रसाद पुत्र बल्लभ	6,500	..	500	..	
11	मोहनलाल पुत्र देवीराम	6,200	..	500	..	
12	दौलतराम पुत्र टीका	4,300	400	500	..	
13	हीरा पुत्र भगवन्ता	6,100	..	500	..	
14	लक्ष्मी बेवा हरीबाबू	7,200	600	500	..	
15	रामचन्द्र पुत्र कुरंगी	1,900	..	300	..	

1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	रु0		
16	लक्ष्मीनरायन पुत्र देशराज	2,400	..	400	..	
17	गुरगी पुत्र छिदा	3,900	..	400	..	
18	हरनरायन पुत्र छिदा	4,250	..	400	..	
19	शिवराम पुत्र वेदराम	500	100	..	..	
20	कालीचरन पुत्र वेदराम	500	100	..	..	
21	शंकर पुत्र दोपा	500	100	..	..	
22	देवी पुत्र वेदराम	500	100	..	..	
23	गुलाब पुत्र रामलाल	2,350	..	..	..	बड़ा काश्तकार है। क्षति सहनीय है।
24	शिवचरन पुत्र घनश्याम	1,500	..	..	..	"
25	मुल्लो पुत्र देवो	500	..	..	..	"
26	रामसरन पुत्र घनश्याम	1,000	200	..	..	
27	रामजीलाल पुत्र कन्हैया	700	..	200	..	
28	लखमा पुत्र गंगाराम	1,150	..	200	..	
29	खचेरा पुत्र वासदेव	150	..	..	..	क्षति सहनीय है।
30	ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप	500	..	..	..	अध्यापक है क्षति सहनीय है।
31	प्यारे पुत्र बीरबल	300	..	..	..	क्षति सहनीय है।
32	चम्पा विधवा गंगाप्रसाद	500	100	..	..	

ह0 (अस्पष्ट),

अपर जिला विकारी,

मथुरा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

ब्लाकों में गन्ना उत्पादन एवं विकास हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1—क्षेत्र में सिंचित क्षमता में वृद्धि हेतु निजी नलकूप एवं पम्पिंग सेटों का निर्माण कराया जाना ।

2—गन्ना की फसल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, जमा वर्द्धकों एवं भूमि शोधक दवाओं का प्रयोग कराया जाना ।

3—क्षेत्र में उन्नतिशील गन्ना बीज की उपलब्धता हेतु आधार पौध-शाला माध्यमिक-पौधशालाओं एवं प्राथमिक पौधशालाओं तथा प्रदर्शनों का अधिष्ठान कराया जाना ।

4—क्षेत्र में पुरानी गन्ने की जाति को हटाकर नयी उन्नतिशील गन्ना बीज को इस परिक्षेत्र तथा वाह्य जनपदों से लाकर क्षेत्र में वितरित कराया जाना ।

5—क्षेत्र में मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर आसानी से गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना ।

6—मिल गेट पर ताजे गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु डनलप गाड़ियों का वितरण कराया जाना ।

7—फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा यंत्रों का वितरण किया जाना ।

8—क्षेत्र में गन्ने के विकास हेतु प्रचार माध्यमों द्वारा चलचित्र प्रदर्शन ग्राम बैठकें आदि का आयोजन किया जाना ।

9—क्षेत्र में ऊसर भूमि के सुधार के लिए लघु कृषकों को निःशुल्क पाइराइट का वितरित किया जाना ।

10—पेड़ी गन्ने की फसल पर यूरिया का छिड़काव कराया जाना ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

ग्राम समाज घोड़वल परगना–खंडासा,तहसील––बीकापुर, जिला फैजाबाद में हुए आवंटन में पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूची—

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जाति	भूमि नं0			क्षेत्रफल
1	2	3	4	5			6
1	सुखलाल	ननकू	चमार	1305 मि0		1101	988
				।) 1॥4		)3	) 212
				986		973	909मि0
				)॥।		) 1॥।	) 3।।3
				= ॥।)	3॥।		
2	मातफर	मुन्नऊ	चमार	2 मि0/)1			
3	सियाराम	मुन्नऊ	चमार	2 मि0	3 ख	13 ख	19 ज
				।) 1	)।	)।	31
				31 ख, 39	=	111/4111	
4	राम जियावन	मुन्नऊ	चमार	41,	42,	43, 52,	55मि0
				52 ऽ1	1/2 ऽ4	।ऽ3	ऽ4॥
5	कुन्नी	मुन्नऊ	चमार	55 मि0,	58मि0,	61	62मि0
				॥ऽ	ऽ।	।ऽ1	11/2 ऽ3
6	छग्गू	मुन्नऊ	चमार	62 मि0/1ऽ			
7	सत्रोहन	मुन्नऊ	चमार	62 मि0,	64	60	= 15॥
				ऽ1	।ऽ	॥)41	
8	भवानी प्रसाद	मुन्नऊ	चमार	129,	130	=	1ऽ
				।ऽ4	॥ऽ1		
9	दुलारे	मेलई	चमार	92,	131,	132,	133,
				ऽ1	।ऽ।	ऽ2॥	ऽ2॥

1	2	3	4	5	6
				134, 135 मि0	=1/
				1/1 /2||	
10	हीरालाल	रामचरन	डोम	135मि0, 136, 137, 138	
				/4 1/|| 1/1 /4||	
				= 1)	
11	मोहनलाल	रामचरन	डोम	138मि0, 139, 140, 248	
				/2 ||/1 /4 /3	
				=1)	
12	रामसुन्दर	रामचरन	डोम	248मि0, 258, 260, 261,	
				/3 /1 /2||2 1/	
				266, 277 = 1/1/1	
				/3|4 1/1	
13	जियालाल	रामचरन	डोम	289, 290मि0 = 1/	
				||/2|| 1/3	
14	गाजी	निरधिन	डोम	290मि0, 292मि0 = 1/	
				|||/2 /3	
15	गिरजा	बैजनाथ	धोबी	636 मि0/||/	
16	हलबल	बैजनाथ	धोबी	344/563, 292	
				/1 /4||	
17	मौसई	बिनई	कोरी	310, 313 =||/2	
				1/3|| /3||	
18	जगई	बिनई	कोरी	344, 355 =1/2	
				/|| 1/1||	
19	तेजई	दसई	कोरी	375 मि0, =||/	
				||/	

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6
20	देवतादीन	भगई	कोरी	375 मि0 115	=115
21	लालाराम	भगई	कोरी	375 मि0 115	=115
22	बदलू	सुद्धू	कोरी	536ख 562 599मि0 52 521 151	=1151
23	लल्लन	छोटे लाल	डोम	294, 306, 309, 909मि0 1521 1513 1511.17 15	
24	पुकारे	हौशिला	पासी	473 मि0 153	=153
25	खुशियाल	हौशिला	पासी	473 मि0	=1521114
26	खेलावन	हौशिला	पासी	621	=.541
27	बेकारू उर्फ मडाऊ	बिरई	पासी	1061 मि0=4 बिस्वा	
28	छोटेलाल	सूरजू	पासी	636 मि0=5 बिस्वा	
29	जगपाल	सूरजू	पासी	636 मि0=1/5 बिस्वा	
30	भभूति	रामदयाल	पासी	614 मि0=115111	
31	बद्री	भगवानदीन	पासी	436 मि0 पच्छिम तरफ 1154	
32	शिव पियारे	राम आधार	पासी	460 मि0 पूरब तरफ 154	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

जनपद बस्ती में स्थापित बाल विकास परियोजनाओं द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण :—

1—पौष्टिक आहार का वितरण—

(अ) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार ।

(ब) 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक आहार ।

(स) 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक आहार ।

2—पूर्व विद्यालयी शिक्षा--3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की ।

3—कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता--15 से 45 वर्ष आयु की महिलाओं की ।

4—गर्भवती/धात्री/बालकों के स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण एवं टीकाकरण की सुविधायें ।

5—महिलाओं को परिवार नियोजन/पारिवारिक समायोजन शिक्षा—
(1) आंगनबाड़ी द्वारा नसबन्दी प्रेरणा ।

अर्थ प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(संलग्नक 'ख')

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

श्री बनारसी साव, चकिया टाउन, जिला वाराणसी के 27 हार्स पावर के विद्युत् कनेक्शन पर 2/82 से 6/84 तक के उपभोग की गई यूनिट, चार्ज की गई धनराशि आदि का विवरण

माह	मीटर रीडिंग	उपभोग	चार्ज की गई धनराशि (रु0)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
2/82 के 4/82	तालाबन्द	..	1822.50	न्यूनतम देय धनराशि ।
5/82 से 7/82	18999	18951	9854.52	48 यूनिट पर नया मीटर लगाया गया था ।
8/82 से 10/82	तालाबन्द	..	1822.50	उपभोक्ता की मिल बन्द थी, अतः न्यूनतम देय धनराशि चार्ज किया गया ।
11/82 से 1/83	मीटर बन्द	..	2025.00	तदेव
2/83 से 3/83	मीटर बन्द	..	1350.00	तदेव
4/83 से 6/83	मीटर बन्द	..	2025.00	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7/83 से 8/83	मीटर बन्द	..	1350.00	तदेव
9/83 से	मीटर बन्द	..	675.00	तदेव
10/83	2477	773(पुराना) 2467(नया)	.. 1921.32	10 यूनिट पर नया मीटर लगाया गया ।
11/83	तालाबन्द	..	675.00	न्यूनतम देय धनराशि
12/83	6922	3445	1963.65	..
1/84	6949	1027	718.85	..
2/84	7060	111	678.24	..
3/84	7116	56	677.24	..
4/84	7151	35	675.00	न्यूनतम देय धनराशि ।
5/84	7161	1890	1077.30	औसत यूनिट चार्ज किया गया ।
6/84	मीटर बन्द	1890	1077.30	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

सत्र 1983-84 में स्वीकृत नये क्रशर लाइसेंस की जिलेवार सूची

पश्चिमी क्षेत्र	
नैनीताल	1
पीलीभीत	3
अलीगढ़	1
मध्य क्षेत्र	
सीतापुर	2
खीरी	13
पूर्वी क्षेत्र	
रायबरेली	2
बाराबंकी	1
फैजाबाद	1
गोण्डा	3
बहराइच	..
गोरखपुर	..
बस्ती	..
देवरिया	..
आजमगढ़	1
योग ..	28

पी0 एस0 यू0 पी0—27 वि0 सभा—9-1-85 (पी0 डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा